खण्ड-269, अंक-3
गुरूवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1888
(11 अगस्त, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 269 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

LEGISLATIVE ASSEMBLY
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ११ अगस्त, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हफीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेश प्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० आइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंचईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमारकरुणाकृष्णनायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटरास, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री

डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बैजनेश्वर सहाय, श्री
बैजनराम, श्री
बैदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री

मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल आचार्य, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघवीरराम, श्री
रघुवीर सहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसजावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
कुमारसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवधनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री

श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुर्र मुहीन, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह उप मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ११ अगस्त, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कोसी कलां में श्रीमती सुरेन्द्रकुमारी के साथ बलात्कार

*१—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुरेन्द्र कुमारी, पत्नी ईश्वरी प्रसाद का कोसी कलां में गुंडों तथा पुलिस इंचार्ज श्री नेत्रपाल सिंह ने उससे बलात्कार किया और उस नारी का अपहरण कराया गया तथा श्री ईश्वरी प्रसाद को १४ दिन अज्ञातवास किसी मकान में बन्द करके कत्ल करने का इरादा किया जिसकी इत्तला सरकार को ७ मई, १९६६ को भेजी गई? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

*२—क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इस सुरेन्द्र कुमारी को नारी निकेतन, मथुरा में पकड़ कर भेज दिया है और वह गुंडे तथा थानेदार साहब नारी निकेतन के अधिकारी से मिलकर उक्त औरत के पास जाते हैं, जिनके चित्र सं० सो०पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने लिये हैं? और इसके प्रार्थना-पत्र भी मई के महीने में सरकार तथा जिला अधिकारियों को भेजे हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो इस घटना की जांच की रपट सदन की मेज पर रक्खी जायगी?

डा० उप मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नत्थीसिंह—

कौन सी बड़ी बाधा है। जो १।। महीने में सरकार सूचना एकत्रित नहीं पर काई ? २५-६-६६ को मैंने ये प्रश्न दिये थे और सरकार को भी तभी भेज दिये गये थे।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इनमें कुछ आरोप बहुत संगीन हैं, महज सूचना मंगाने का प्रश्न नहीं है। जिलाधीश को हमने ताकीद कर दी है कि जल्दी जांच करके बतावें।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें बहुत व्यापक सूचना एकत्रित करने का दायरा नहीं मालुम होता। इतने समय के बाद यह कहा जाय कि सूचना एकत्रित की जा रही है,मैं इसको बहुत उचित नहीं समझता। जांच के लिये प्रश्न का उत्तर नहीं रोकना चाहिये। जितनी सूचना संकलित हो सके वह तो सदन के समक्ष आ ही जानी चाहिये।

शोहरतगढ़ से पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को कस्बा, शोहरतगढ़, थाना चिल्हियां, जिला बस्ती के निवासियों से स्थानीय पुलिस के विरुद्ध माह फरवरी अथवा मार्च, १९६६ में कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उसमें सरकार क्या कर रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अधिष्ठाता महोदय ! मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं, मैंने पूछा क्या है, आप जरा सवाल मेरा पढ़ लें। क्या सरकार को कस्बा शोहरतगढ़, थाना चिल्हियां, जिला बस्ती के निवासियों से स्थानीय पुलिस के विरुद्ध माह फरवरी अथवा मार्च, १९६६ में कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उसमें सरकार क्या कर रही है। क्या बतावें हर तरह से प्रजातंत्र का गला यह सरकार मोटा कर रही है, घोट नहीं रहे हैं मोटा कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने अभी एक दूसरे प्रश्न के संबंध में कहा था कि इस तरह से प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब होना कोई बात नहीं है। यह प्रश्न जब मैं खास कर देखता हूं, सूचना में पहले प्रश्न में कठिनाई हो सकती थी, लेकिन इसमें...

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

२७-२-६६ को एक प्रस्ताव पास हुआ था और वह सरकार के पास आया था, और वह कार्यवाही के लिये ओरिजनल में ही कलेक्टर के पास भेज दिया गया और उसके बाद से उनका कोई उत्तर नहीं आया। हमने तार दिया, रेडियोग्राम दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। ओरिजनल शिकायत वहां चली गई, इसलिये इसमें कार्यवाही नहीं हो पाई, इसलिये इसमें देर लग रही है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, प्रश्नों के संबंध में तीन चीजें बड़े महत्व की हैं। एक तो अमुक गुरुवार के लिये स्थगित कर दिया गया, अब अमुक गुरुवार आयेगा भी या नहीं यह पता नहीं रहता। इसी तरह से कल एक जवाब में कहा गया कि ५६३ किलोमीटर दौड़ाकर देखा जा रहा है कि चालू हालत में है या नहीं, बंशीधर पांडेय जी जवाब दे रहे थे। इससे परकर का दुनिया में बड़ा उपहास होता है।

यह सब सवाल के जवाब इसलिये ऐसे दिये जाते हैं जिससे विरोध पक्ष का गला घोंट दिया जाय, या तो उत्तर दिये ही न जायं और अगर दिये भी जायं तो ऐसे दिये जायें जिसमें जमीन आसमान मिला न हो।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी ने जो कठिनाई बतायी वह प्रत्यक्ष है। पुलिस के विरुद्ध फरवरी-मार्च १९६६ में यह शिकायत प्राप्त हुई थी और जो रिपोर्ट जिलाधीश की है वह उसके पास है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में विलम्ब अवश्य हुआ है। भविष्य में सरकार के लिये उचित होगा कि वह देखे कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर में विलम्ब न हो।

थानाध्यक्ष, मधुबन के विरुद्ध जांच में चौकीदारों की पिटाई

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० बाई० एस० पी० कम्पलेंट वाराणसी ने दिनांक २३ मार्च, १९६६ से २५ मार्च, १९६६ तक थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के थानाध्यक्ष के दिनांक विरुद्ध सिपाह इब्राहिमाबाद ग्राम में जांच के सिलसिले में उक्त ग्राम के दो चौकीदार, श्री गणपति अहीर और परमा अहीर को धूप में बैठाकर मारा एवं डाक्टरी मुआहिजा भी हुआ है तथा जिलाधीश आजमगढ़ ने दिनांक २७ जून, १९६६ को उक्त घटना की जांच के लिये परगनाधीश घोसी को आदेश दिया ? यदि हां, तो परगनाधीश की क्या रिपोर्ट है तथा और क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

डी०बाई०एस०पी० कम्पलेंट २३/२५ मार्च को तो नहीं वरन् २३-४-६६ को सिपाही इब्राहिमाबाद मधुबन जिला आजमगढ़ के थानाध्यक्ष के विरुद्ध एक शिकायत के सिलसिले में बयान लेने गये थे। कथित घटना की जांच के लिये जिलाधीश आजमगढ़ ने परगनाधीश घोसी को दिनांक २७-४-६६ को आदेश दिया। परगनाधीश घोसी ने अपनी रिपोर्ट में कोई मत प्रगट नहीं किया बल्कि यह संस्तुति दी कि कथित मामले में जांच किसी उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा की जाय। अतः इसकी जांच अब सी०आई०डी० के पुलिस अधीक्षक प्रशासन शाखा द्वारा की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो चौकीदार मारे गये क्या उन्होंने प्रार्थना-पत्र में यह लिखा है कि डी०बाई०एस०पी० कम्प्लेंट्स ने धूप में बैठाकर उन्हें मारा और सादे कागजों पर दस्तखत करा लिये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसीलिये इसकी जांच सी०आई०डी० को दी गई है। मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि उनको संकोच है उनके खिलाफ जांच करने में चूंकि वह गजेटेड अफसर हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या परगनाधीश ने उस गांव में जाकर लगभग २० मनुष्यों के बयान लिये और जिलाधीश को सूचना दी कि चौकीदार को मारे जाने की बात उनकी समझ से सही है, अच्छा होता कि कोई पुलिस का ही उच्च अधिकारी इसकी जांच करता ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैजिस्ट्रेट ने यह कहा है कि कुछ लोगों के जिन्होंने बयान लिये। उन्होंने शिकायत को सच्चा बताया । इनक्वायरी अब सी०आई०डी० कर रही है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

डी०वाई एस०पी० कंप्लेंट की जांच की क्या रिपोर्ट है ?

श्री शिवप्रसादगुप्त---

सारी जांच सी०आई०डी० के बड़े अफसर कर रहे हैं, इसलिये यह बताना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री ब्रजबिहारी (जिला आजमगढ़)---

हाकिम परगना को किस तारीख को जांच दी गई और कब उन्होंने यह कहा कि मुनासिब यह हो कि किसी उच्च अधिकारी से जांच कराई जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

२७-४-६६ को मैजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया था । उसके बाद उन्होंने लिखा है कि उनसे जांच न कराई जाय तो अच्छा है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

परगनाधीश ने किस कारण से कहा कि वह जांच नहीं कर सकते हैं ?

श्री शिवप्रसाद---

गजटेड अफसर के खिलाफ आरोह होने के कारण।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या यह सही है कि परगनाधीश ने इस प्रकार की जब रिपोर्ट दी तो डी०आई०जी०, बनारस ने फिर डी०एम०, आजमगढ़ को सूचित किया कि परगनाधीश ने जांच शुरू कर दी है और वह भी गजेटेड अफसर है, उन्हीं से जांच कराई जाय और परगना हाकिम जांच करने वाले भी थे कि बीच में डी०आई०जी० ने शिकायत एस०पी० को जांच के लिये सुपुर्द कर दी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह सूचना तो मेरे पास उस समय नहीं है । मुझको तो यह मालूम है कि मैजिस्ट्रेट ने यह कहा कि मेरा जांच करना मुनासिब नहीं है, इसलिये ३-५-६६ को सी०आई०डी० को दे दी गयी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

जिस समय यह इंक्वायरी सुपुर्द की गयी थी, यह जानते हुए सुपुर्द की गयी थी कि दोनों गजेटेड आफीसर हैं और एक गजटेड आफीसर दूसरे गजटेड आफीसर की जांच नहीं कर सकता है । लेकिन जब गवाहान के बयानात लिये गये और जब प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश हो गया तब उन्होंने केस ट्रांसफर करने के लिये लिखा । इस स्थिति को देखते हुए उस डी०एस० पी० के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है जिस से आगे जांच होने में मदद मिल सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जांच तो सी०आई०डी० का बहुत बड़ा आफीसर करेगा उस पर डी०एस०पी० का कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर रि र्ट से साबित हो गया तो उसको सजा भी जरूर देंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच लोकल इंटेलीजेंस के द्वारा की जा रही है या प्रांविशियल इंटेलीजेंस के द्वारा की जा रही है? और जो आफीसर जांच कर रहा है, उसका स्तर क्या है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

स्तर डी०एस०पी० से काफी ऊंचा होगा।

बरेली तहसील में औद्योगिक क्षेत्र की भूमि का मुआवजा

*५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली तहसील के ग्राम टियूलिया, नदौसी, मथुरापुर की अत्यन्त उपजाऊ सैकड़ों एकड़ भूमि गत ३–४ वर्षों से सरकार ने इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के लिये अधिग्रहण कर ली है, परन्तु किसानों पर लगान अभी भी पड़ रहा है और उन्हें मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, उल्लिखित ग्रामों की लगभग ३६७ एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए अधिग्रहण की गई है। सन् १३७१ फसली से इस भूमि का लगान नहीं वसूल किया गया है।

यह सच है कि कृषकों को उक्त भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है जिसका कारण यह है कि कृषकों के आपत्ति करने के कारण मुआवजे के तखमीने फिर से लगाये जा रहे हैं।

*६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त ग्रामीणों को बाजार रेट से मुआवजा कब तक मिल जावेगा?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मुआवजे के अवार्ड की घोषणा होने के बाद शीघ्र ही मुआवजे की धनराशि का भुगतान कर दिया जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जमीन अधिग्रहण होने के २ वर्ष बाद तक जो लगान काश्तकारों से वसूल किया जाता रहा, क्या सरकार उस लगान को वापस करने की कृपा करेगी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अगर लगान गलत वसूल हुआ होगा तो नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि किसानों की आपत्ति कब हुई, उस आपत्ति के पहले मुआवजे का क्या रेट था और उसके बाद उनको क्या रेट दिया जा रहा है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसके नियम बने हुए हैं, बोर्ड आफ रेवेन्यू इसको देखता है। माल विभाग के इस बारे में कायदे बने हुए हैं। लेकिन किसानों ने कहा कि हमारी जमीन बड़ी उपजाऊ है और यहां पर इंडस्ट्रियल इस्टेट बनने वाली है, इसका अधिक मुआवजा दिया जाय। इसलिये मार्केट रेट से मुआवजा दिये जाने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। यह मुआवजा पहले से तो अवश्य ज्यादा होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जहां-जहां सरकार ने जमीन एक्वायर की है उसकी शुद्धि रेवेन्यू कागजात में नहीं हुई है और उसका नतीजा यह हुआ है कि उन जमीनों पर सरकार का कब्जा हो जाने पर भी लगान उनसे लिया जा रहा है। हमारे जिले में भी अनेक ऐसे केसेज हैं। तो क्या सरकार ऐसे कोई आदेश सारे प्रदेश के अधिकारियों को जारी करेगी कि जहां-जहां जमीन सरकार ने एक्वायर की है और जब से उस पर कब्जा हुआ है उसके बाद से यदि किसानों को उस जमीन का लगान देना पड़ा है, वह वापस हो जाय या उनके आगे के लगान में उस रकम को एडजस्ट किया जाय?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि जैसा नियम होगा उसके अनुसार कार्य किया जायगा, जमीन लेने के बाद लगान नहीं लगता यह तो सब जानते हैं और अगर कहीं लिया गया है तो वह नियमानुसार वापस किया जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी नियम है कि सरकार किसी की जमीन एक्वायर कर ले और उससे उसका लगान बाद में भी वसूल किया जा सके?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसा कैसे हो सकता है, अगर किसी से गलती से वसूल हो जाय तो वह वापस किया जायगा नियमों के अनुसार। जमीन पर सरकार के कब्जे के बाद लगान वसूली का सवाल नहीं पैदा होता।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुए कि समय काफी व्यतीत हो चुका है और बहुत से ऐसे किसान हैं कि जिनकी सारी जमीन चली गई और उनके पास कोई रोजी का साधन नहीं रहा तो क्या उनको बाजार रेट पर मुआवजा दिया जा रहा है और दूसरे वह अवार्ड को घोषणा कब तक कर देंगे?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी कह चुके कि नियमों के अनुसार दिया जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैंने स्पष्ट पूछा कि बाजार रेट कब मिल सकेगा?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

बाजार रेट पर मुआवजा देने पर विचार हो रहा है और जल्दी करने के लिये ताकीद कर दी गई है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

सरकार की तरफ से इस प्रकार का बहाना लेकर कि नियम मार्केट रेट का नहीं है इसलिए उसको डाले हुये हैं लेकिन प्रदेश में कई स्थान पर गाजियाबाद आदि में सरकार ने बाजार रेट पर किसानों को मुआवजा अदा किया है और जब कि कई स्थानों पर बाजार रेट से मुआवजा दिया गया है तो फिर यहां मार्केट रेट पर देने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्षता—

उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है कि उनको बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाय ।

श्री जसवीसिंह—

मंत्री जी ने कहा कि जल्दी की जा रही है, तो यह जल्दी हफ्तों में होगी, महीनों में होगी या सालों में होगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जब तक काश्तकार एतराज करते रहेंगे और जो मुआवजा उनको मिलेगा उससे वह सन्तुष्ट न होंगे। तब तक उन के एतराजात सुनने पड़ेंगे और उसमें समय लगता रहेगा।

सन्दी ग्राम में डकैती

०७—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना उरई, जिला जालौन में ग्राम सन्दी में सर्वश्री हरनारायण तथा जगदेव के मकान पर दिनांक २० मार्च, १९६६ को डकैती पड़ी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां। घटना की जांच की गई। फलस्वरूप गिरफ्तारियां हुयीं । कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीट अदालत भेजी जा चुकी है और अदालत के विचाराधीन है। बाकी अभियुक्तों के बारे में विवेचना जारी है ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभियुक्तों की संख्या क्या है जिनके खिलाफ विवेचना जारी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसमें १३ के नाम थे। यह सूचना मेरे पास नहीं है कि किसानों के खिलाफ विवेचना चल रही है ।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १३ अभियुक्तों की पुलिस को कब जानकारी हुयी और कब से कार्यवाही हो रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसकी रिपोर्ट २०-३-१९६६ को हुयी।

बिल्हौर थाने में बाजार लूटने वाले विद्यार्थियों की गिरफ्तारी

*८—श्री होरीलाल यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९६५ से थाना बिल्हौर, जिला कानपुर में कुछ विद्यार्थी पकड़े गये थे? यदि हां, तो उनको किस धारा के अन्तर्गत पकड़ा गया था और अब उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां।

विद्यार्थियों को धारा ३९५ भा० द० वि० के अन्तर्गत पकड़ा गया था। उनका चालान किया जा चुका है और मामला न्यायलय के विचाराधीन है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन् वे कुल ४९ हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें जो विद्यार्थी हैं, क्या उनके नाम नामजद रिपोर्ट में थे अथवा वे तफतीश के बाद पकड़े गये?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें तफतीश के बाद भी पकड़े गये और कुछ के नाम रिपोर्ट में भी दर्ज थे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन विद्यार्थियों के खिलाफ जो दफा [३९५ लगायी गयी है क्या वह डाकेजनी और राहजनी में पकड़े गये हैं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इन्होंने बाजार में लूट-खसोट की थी। इसमें कुछ लोग और थे और कुछ ये विद्यार्थी थे।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

जो विद्यार्थी पकड़े गये हैं क्या माननीय मन्त्री जी उनकी उमरें बताने की कृपा करेंगे? और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये का माल लूटा गया है?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, हर एक की उमर का विवरण तो मेरे पास नहीं है। एक बाजार में लूट हुयी। इसमें पब्लिक के भी कुछ आदमी थे जो डंडे ले कर बाजार में गये और जिन्होंने दूकानें लूटनी शुरू की। एक हजार रुपये की लूट हुयी और ४०० रुपये का माल उनसे बरामद हुआ जो लूटा गया था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे यह देखते ए कि वे विद्यार्थी एक साल से परेशान हैं और ये मुकदमें में फंसाये गये हैं, और कुछ लोगों ने लिख कर माफी मांगी है, उनकी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे ताकि उनकी पढ़ाई-लिखाई में को बाधा न पड़े?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

किसी विद्यार्थी ने लिख कर दिया है अथवा नहीं, यह सूचना तो मेरे पास नहीं है और न मुझे ज्ञान है। लेकिन अगर उन्होंने कोई प्रार्थना की है तो उस पर विचित्त और उचित रूप से सरकार हमेशा विचार कर सकती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के अलावा कुछ और लोग भी थे, तो वे कौन-कौन थे, और क्या यह सही है कि वे पुराने क्रिमिनल हैं और हिस्ट्री शीटर हैं जिनको पुलिस ने इस डाके में इसलिये शामिल किया ताकि मामला संगीन हो जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें नाम तो मुझे मालूम हैं, एक तो हुक्मा अहीर है और भी दो, एक आदमी हैं और इनके अलावा २० आदमी और ऐसे हैं जो विद्यार्थी नहीं हैं। अब वे कितने शातिर हैं इसकी सूचना नहीं है।

[११ अगस्त, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री शारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३—श्री रियासत हुसैन —

[५वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४–६—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७–८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[५वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६७–६८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*९—श्री शारखण्डेराय—

[६ठें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पिपराइच, रामकोला, भटनी, चीनी मिलों पर बकाया

*१०—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल्स, पिपराइच, रामकोला, भटनी (देवरिया) पर १९६५–६६ के गन्ने का कितना रुपया बकाया है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

प्राप्त सूचनानुसार १–८–१९६६ को निर्दिष्ट चीनी मिलों पर १९६५–६६ सीजन के गन्ने के मूल्य की जो रकम १–८–१९६६ को बकाया थी वह इस प्रकार है :—

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	गन्ने के मूल्य की बकाया रकम
		(लाख रु० में)
१	पिपराइच	६.११
२	रामकोला (के०)	१.५७
३	भटनी	३.२१

*११—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक उक्त गन्ने का दाम भुगतान क्यों नहीं हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पर्याप्त मात्रा मे चीनी की निकासी (Sugar releases) न हो सकने तथा मिलों को बैंक से समुचित एडवांस न मिल सकने के कारण उक्त गन्ने का दाम का भुगतान अभी नहीं हो सका है।

*१२—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मन्त्री ने उनके रुपया वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही की ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उपर्युक्त उल्लिखित पिपराइच, भटनी व रामकोला (के०) चीनी मिलों में अथोराइज कंट्रोलर नियुक्त हैं जो स्वयं गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, रामकोला, पिपराइच और भटनी ये तीनों मिलें सरकार के नियन्त्रण में हैं तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि इन तीनों मिलों पर जो गन्ने का दाम किसानों का बकाया है तो पहले पहल उनके विरुद्ध रिकवरी सर्टिफिकेट कितने रुपये के जारी किये गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो सरकार के अथोराइज्ड कंट्रोलर हैं, रिकवरी इन मिलों में सरकार के अथोराइज्ड कंट्रोलर जो हैं देख रहे हैं और वह अपने आप इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि जल्दी से जल्दी गन्ने के दाम दिला सकें।

श्री उग्रसेन—

माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि स्वयं प्रयत्नशील हैं मगर मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने गन्ना किसानों को बावजूद उनकी तमाम मांगों के और हमने भी कई बार लिखा, गन्ने का दाम अब तक क्यों नहीं दिलाया, सरकार ने कौन-कौन से प्रयत्न किये हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने कहा कि जो अथोराइज्ड कंट्रोलर हैं वह प्रयत्नशील हैं इस विषय में।

श्री उग्रसेन—

सरकार ने कोई कार्यवाही की कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी कृपया बता दें कि क्या विशिष्ट कार्यवाही की।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सरकार ने कार्यवाही की तभी तो अथोराइज्ड कंट्रोलर हो गया। असल बात यह है कि चीनी नहीं बिकती है तो सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि इनकी चीनी जल्दी रिलीज कर दें जिस से वह चीनी बिक सके और गन्ने का दाम लोगों को मिल जाय।

श्री उग्रसेन—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जितनी देर पैसा मिलने में हो रही है उस पर कितना फीसदी सूद गन्ने किसानों को दिलायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसका तो कायदा है साढ़े ७ फीसदी सूद वह देती है।

श्री शारखण्डेराय—

करीब-करीब यह हर साल का धंधा हो गया है कि मिलों पर गन्ना देने वाले किसानों का बकाया हो जाता है और हर साल सरकार को काफी दिक्कत पड़ती है और हम लोग बराबर प्रश्न उठाया करते हैं तो क्या सरकार मिल मालिकों से विचार-विमर्श कर के इस स्थिति का समाधान करने के लिये कोई उपाय निकालने को तैयार है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी थोड़े दिन पहले नैनीताल में मिल मालिकों की मीटिंग हुई थी और प्रश्नों के साथ वहां यह भी प्रश्न था। उनकी कुछ समस्यायें हैं जैसे चीनी के बहुत ज्यादा दाम नहीं मिलते हैं क्योंकि अलग-अलग रेट हैं। बैंकों से अधिक रुपया मिलने में रैस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और चीनी भी रिलीज नहीं होती। उस पर सरकार का ध्यान गया है और उस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया से बातचीत की जा रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

केन्द्रीय सरकार चीनी रिलीज नहीं कर रही है और न उनको ज्यादा दाम दिलवा रही है जिसके कारण किसानों को वह रुपया नहीं दे पा रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि चीनी न मिलने पर भी मिल मालिकों के पास इतना रुपया है कि वह ६१ हजार रुपया गुप्ता फंड में दे सकते हैं और किसानों का भुगतान नहीं कर सकते?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

असल में आपको बड़ी गलतफहमी यह है कि हमारे यहां जो गन्ना इस साल खरीदा गया उसके लिये ७२.१६ करोड़ रुपया देना था और उसमें केवल २.७५ करोड़ मिलों पर बकाया है जबकि चीनी ४० फीसदी उठी नहीं है और मिल वाले अपनी मर्जी से उसे जो स्टाक में है बेच नहीं सकते।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं यह जानना चाहता हूं क्या किसानों के साथ कोई ऐसी शर्त की जाती है कि अगर उनकी चीनी बिकेगी तो उनके गन्ने के दाम दिये जायेंगे? यदि नहीं तो फिर क्यों उनके दाम रोके जा रहे हैं। जब कि उनके पास रुपया है और वे चन्दे तथा फंड में रुपया दे रहे हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां तक पिपराइच मिल का ताल्लुक है आपको मालुम होगा कि वहां पर अथोराइज्ड कंट्रोलर है और इस कारण वहां कोई बैंकिंग का इन्तजाम नहीं हो सका इस कारण दिक्कत है। जितनी चीनी बिकती है उससे दाम दिये जा रहे हैं। कोई दूसरा इन्तजाम हो नहीं सका। सरकार यह कर सकती है कि इस मिल को बन्द कर दे तो मजदूरों की परेशानी उठ खड़ी होती है और कहा जाता है कि मिल को चलाया जाय। आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं कि वह बाकी रुपया दे सके।

*१३-१४—श्री लखीसिंह—

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१५-१७—श्री होरीलाल यादव—

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ७१-७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बंधुरी-रसूलीपुर में पुलिस चौकी की आवश्यकता

*१८--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के थाना सराय आकिल के ग्राम बंधुरी रसूलीपुर के चारों ओर की शान्ति एवं व्यवस्था को ध्यान में रख कर वहां पुलिस चौकी की स्थापना करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी नहीं ।]

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री नाथूराम शिक्षक--

अतिष्ठाता महोदय, यह क्षेत्र ऐसा है कि जहां दिन दहाड़े चोरी, कत्ल और डकैती होती है और बड़े गम्भीर चोरी के आरोपों के संबंध में सदन में प्रश्न किये गये लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया । इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये और वहां की जनता की भी मांग है कि वहां एक पुलिस चौकी स्थापित की जाय, क्या मंत्री महोदय उस पर विचार करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, पुलिस चौकी और थाने की मांग सभी जगह से आती है और यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि वह मांग कोई गलत मांग है लेकिन साधनों से उसकी पूर्ति हो सकती है और पुलिस कमीशन ने लिखा है कि जो चौकियां स्थापित की गयी हैं वे भी कम कर दी जायं । दूसरे, यह जगह थाने से ४-५ मील दूर है और यहां अपराधों की संख्या भी कम हो रही है इसलिये यहां कोई विशेष जरूरत नहीं मालूम होती ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

इलाहाबाद के पुलिस कप्तान ने इलाहाबाद जिले में कुछ नयी चौकियां खोलने की सिफारिश की है । तो क्या उनकी सिफारिश इस स्थान के लिये भी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने आपसे निवेदन किया कि पुलिस कमीशन ने यह तय कर दिया है कि जितनी चौकियां खुली हैं उनको भी कम कर दिया जाय । नयी चौकियां खोलने का सवाल ही नहीं आता । जो रिआर्गेनाइजेशन हो रहा है उसमें नये थाना कतारी में यह जगह आ जायगी इसलिये भी कोई आवश्यकता नहीं है । कप्तान ने विशेष रूप से क्या लिखा, यह मुझे मालूम नहीं है ।

*१९-२१--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

[प्रश्नकर्त्ता की प्रार्थना पर ५वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

[५वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२३-२४--श्री मुहम्मद रफी खां--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।]

*२५--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

आई० जी० का रिटायरमेंट

*२६--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या यह सही है कि आई० जी० उत्तर प्रदेश को सर्विस में कोई एक्सटेन्शन दिया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि आई० जी० साहब कब रिटायर होने जा रहे हैं और उन्होंने कोई एक्सटेन्शन मांगा है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आई० जी० साहब १६ जुलाई, १९६७ को ५८ वर्ष के होंगे । तो एक्सटेन्शन मांगने का कोई सवाल नहीं पैदा होता ।

*२७-२८--श्री उग्रसेन--

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जिलाधीश, फतेहपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*२९--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

दिनांक ५ मई, १९६६ के प्रश्न १० के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जानकारी हासिल करने को भेजे जाने पर भी उन्होंने लिखित रिपोर्ट क्यों नहीं दी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उप-गृह मंत्री वस्तुस्थिति के संबंध में निजी राय कायम करने गये थे और उन्होंने कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी ।

*३०--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

उक्त दिनांक ५ मई, १९६६ के प्रश्न ११ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधीश, फतेहपुर का स्थानान्तरण कब से विचारधीन है और कब निर्णय हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जिलाधीश फतेहपुर के स्थानान्तरण के आदेश ५ जुलाई, १९६६ को जारी किये गये और उन्होंने अपने उक्त पद का चार्ज १९ जुलाई, १९६६ को दे दिया ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश फतेहपुर, श्री अनिरुद्ध पांडेय के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें थीं और उप-गृह मंत्री जी किसके आदेश से कब निजी जानकारी हासिल करने के लिये फतेहपुर गये थे और उनकी क्या राय सरकार के सामने प्रस्तुत हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

शिकायत के सिलसिले में तो हाउस में बहुत से प्रश्न हो गये । अगर आप कहेंगे तो निकलवा दूंगा । आप भी उनमें से एक थे । अब रहा यह कि उन्होंने राय क्या दी, तो वह तो उन्होंने मुख्य मंत्री को दी जो कान्फीडेन्शल है । उसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां भी यह जिलाधीश रहे हैं वहां भी उनके खिलाफ गंभीर आरोप आये थे और फतेहपुर में भी बहुत दिनों से आरोप इनके खिलाफ थे तो क्या इसकी जांच विजिलेंस कमीशन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी सूचना मुझे नहीं है। मुझे नोटिस चाहिये।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न बड़ा गंभीर है और जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने कहा है कि ऐसे अफसर के खिलाफ जहां भी, यह रहे शिकायतें हैं और आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों ने भी उनके खिलाफ शिायतें की हैं तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है जब कि ऐसा मामला विजिलेंस कमीशन को देना चाहिये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस समय शिकायत का सवाल उठता नहीं है क्योंकि आपने सवाल पूछा था कि उपमंत्री जी की क्या रिपोर्ट थी। लकिन जब आप प्रांत भर की बात करने लगे जब कि इसका सवाल से कोई संबंध नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या मंत्री जी फतेहपुर के विधायकों की शिकायत को आधार मानकर जांच कमीशन को देने के लिये तैयार हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

शिकायतें सामने नहीं तो मैं क्या जवाब दूं। आप यह हाइपोथेटिकल बात पूछ रहे हैं। आपने पूछा था कि उपमंत्री जी की क्या रिपोर्ट थी मैंने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी बल्कि वह जानकारी हासिल करने के लिये गये थे और जानकारी मुख्य मंत्री को बता दी।

श्री लखीसिंह—

क्या फतेहपुर से यह जिलाधीश मथुरा तो नहीं भेजे जायेंगे जहां जगह खाली है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी को पता है कि जब यह जिलाधीश थे तो इनके खिलाफ अनेक शिकायतें थीं उनके कारण इनके करेक्टर रोल में लिखा गया है कि यह जिला प्रशासन के अयोग्य हैं और इनको कभी जिलाधीश न बनाया जाय इसके बावजूद इनको फतेहपुर का जिलाधीश बनाया गया है और यहां भी इनके खिलाफ शिकायत हुई तो इनको मुज्जफफनगर भेजा गया है। ऐसी दशा में इन जिलाधीश के खिलाफ जो आरोप है उनके खिलाफ क्या जांच कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

इसमें जितना नया अंश है उसके बारे में प्रकाश डाल दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपने जो प्रश्न पूछा था उसके सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं। आपने पूछा था कि क्या गृह मंत्री ने कोई रिपोर्ट दी ? मैंने कहा नहीं दी। अब आप दूसरी जगह पूछने लगे। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप नोटिस देंगे तो मैं बता दूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

कैथवार जी ने जो प्रश्न किया मंत्री जी ने उसकी तरफ ध्यान न देकर मुख्य मंत्री के तौर पर जवाब दे रहे हैं इसलिये उनको सारी जानकारी होनी चाहिये और वह देनी चाहिये। वह शर्मा जी की हैसियत से जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मायर जी, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। जवाब पूरा मुझे भी नहीं लगा। इसके लिये स्पष्टीकरण कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जब माननीय सदस्य ने जानकारी करवा दी है कि उसके कैरेक्टर रोल में बैड इंट्रीज लगी हुई हैं क्या उसको देखते हुये माननीय मंत्री कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि कलेक्टर के पद पर उनको नहीं रखना चाहिये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उन्होंने ऐसा प्रश्न उठा दिया जिसका संबंध सवाल से है नहीं। कैरेक्टर रोल वाली फाइल इस वक्त मेरे सामने हैं नहीं। पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री झारखण्डेराय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की सूचना देंगे कि इन जिलाधीश महोदय के खिलाफ उनकी चरित्र तालिका में इस बात की भी चर्चा की है इनको जिलाधीश का पद न दिया जाय बल्कि दफ्तर में और किसी प्रकार एक काम लिया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि उसका नोटिस चाहिये क्योंकि कैरेक्टर रोल की बात इस सिलसिले में आयी नहीं।

*३१-३२—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[५वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७५-७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३३—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

फतेहपुर जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस

*३४—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या गृह मंत्री श्री रघुबीर सहाय कैथवार के विधान सभा के प्रथम सत्र १९६६ के ५वें गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर के सदर्भ में लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों की सूची थानेदार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

सूचना †संलग्न सूची में दी हुई है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री रक्षपालसिंह—

जो सूची दी गयी है उसमें प्रत्येक थाने की संख्या दर्ज है। किसी म ५०, किसी में ४०, किसी में ३०, लेकिन दो थानों में खागा और हरगांव में, एक में दस और दूसरे में पांच लाइसेंस ग्रांट हुये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस अवधि का प्रश्न पूछा गया है उसमें कितने कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उसमें से कतने लाइसेंस दिये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, जो सूचना मांगी थी वह दे दी। कितने लाइसेंस दिये गये यह बता सकता हूं। यह सूचना मेरे पास है। परगना मैजिस्ट्रेट, फतेहपुर ने ८४, परगना मैजिस्ट्रेट खागा ने ८६ और परगना मैजिस्ट्रेट बिन्दकी ने ६२।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, दो स्थानों के अन्दर ५ और १० लाइसेंस दिये गये जब कि और थानों में ४०-५० तक दिये गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दो स्थानों में इतने ही प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए या लाइसेंस नहीं दिये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास वह भी सूचना है। खागा तहसील में २१८ अस्वीकृत किये गये हैं फतेहपुर में २११ और बिन्दकी में १४१ अस्वीकृत किये गये। विचाराधीन हैं खागा में २०, बिन्दकी में ५ और फतेहपुर में २५।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि प्रार्थना-पत्र किस कारण से अस्वीकृत हुये, कैरेक्टर रोल ठीक नहीं था या हैसियत नहीं थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसकी सूचना उस अधिकारी को रहती है जो अस्वीकृत करता है।

*३५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३६-३७—श्री नाथूराम शिक्षक—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

नौबस्ता, मजरा, म्योहर में डकैती

*३८—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जिला इलाहाबाद के थाना सराय आकिल के अन्तर्गत ग्राम नौबस्ता, मजरा, म्योहर में २१-७-६५ को डकैती पड़ी है ? यदि हां, तो कितने की क्षति हुई तथा अब तक क्या कार्यवाही की और क्या तथ्य सामने आये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

२१-७-६५ की रात में नौबस्ता मजरा म्योहर थाना सराय आकिल जिला इलाहाबाद में एक डकैती पड़ी थी जिसमें डाकुओं ने लगभग ८२४५ रुपये का मूल्य का सामान लूटा। ८ डाकू इस घटना से संबंधित पाये गये। ६ व्यक्तियों का चालान किया गया, १ व्यक्ति फरार है और १ व्यक्ति को पूर्ण सबूत न होने के कारण धारा १६९ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत रिहा कर दिया गया था। चालान किये गये ६ व्यक्तियों में से २ व्यक्ति अदालत से मुक्त हो चुके हैं और ४ व्यक्तियों का मामला सत्र-न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मंत्री जी ने बताया कि एक डकैत अभी तक हाजिर नहीं हुआ है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो नहीं हाजिर हुआ है, उसको हाजिर कराने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवही की है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इसमें एक आदमी अभी हाजिर नहीं हुआ है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं यही तो पूछ रहा हूं कि उसके पकड़ने के लिये सरकार की तरफ से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जो कानून में दिया गया है, वह सब कार्यवाही कर ली गई है ।

*३९–४०—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

[६ठें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सिद्धौर ग्राम के चमारों पर मुकदमा

*४१—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि गत २८ फरवरी, १९६६ को बस्ती जिले के पैकोलिया थाने के दरोगा ने गांव सिद्धौर, थाना पैकोलिया के विपत चमार, विदेशी, स्वरथ, परशुराम और पाटन चमार को अपने हाथ सूर्य नरेश सिंह के दरवाजे पर चौकीदार के डंडे से मार कर गिरा दिया जब कि बिपत की लड़की वांसपता (१६) का गौना जा रहा था और लड़की को उसके बाप से मुलाकात भी उसने नहीं करने दिया ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

दिनांक २८-२-६६ को ग्राम सिद्धौर थाना पैकोलिया के श्री बिपत हरिजन व उनके भाई श्री पाटन हरिजन को धारा ६० आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । उक्त मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है ।

इसी मामले में उक्त अभियुक्तगण के भाई श्री विदेशी हरिजन ने थानाध्यक्ष पैकोलिया व अन्य के विरुद्ध धारा १०९/३२३/३४२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक इस्तगासा दायर कर दिया है । यह मुकदमा भी न्यायालय के विचाराधीन है ।

चूंकि कथित घटना के संबंध में मामला न्यायालय के समक्ष है, अतः तथ्यों के संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा ।

वाराणसी-जौनपुर सड़क पर राहजनी

*४२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १० जून, १९६६ को ८–९ बजे रात वाराणसी-जौनपुर पक्की रोड पर शिवपुर के आगे तरनापुल के पास एक दम्पत्ति को रिक्शे से जाते हुये रोक कर उनका ४ हजार के करीब का सामान छीन लिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी और क्या कुछ लोग गिरफ्तार भी किये गये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

एक दम्पति को जो रिक्शे में दिनांक १० जून, ६६ को मौजा भटौली जा रहे थे रास्ते में सवा नौ बजे रात कुछ व्यक्तियों ने घेर लिया और उनका २,२१४ रु० का सामान लूट लिया । इस संबंध

में जांच अभी जारी है। पांच व्यक्ति जो अब तक गिरफ्तार किये गये उनके विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेज दी गई है।

श्री ऊदल—

क्या इन लोगों के घर की तलाशी ली गई और क्या लूटे गये सामान में से कुछ बरामद भी हुआ है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

७७ रुपये के कपड़े वगैरह इनके यहां से बरामद हुये हैं।

घनघटा थाने में कथित डकैती

*४३—श्री श्यामलाल (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती, थाना घनघटा के अन्तर्गत भोतहा नामक ग्राम में क्या गत १३ मई को किसी धोबी के यहां एक भीषण डकैती पड़ गई है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और कितने डाकू पकड़े गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला बस्ती, थाना घनघटा के अन्तर्गत भोतहा नामक कोई ग्राम नहीं है और न इस क्षेत्र में दिनांक १३ मई, १९६६ को किसी धोबी के यहां कोई डकैती की सूचना ही प्राप्त हुई। दूसरे भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

*४४—श्री उग्रसेन—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४५-४६—श्री होरीलाल यादव—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

कटरा ग्राम में डकैती

*४७—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि फतेहपुर के थाना चांदपुर के ग्राम कटरा में कोई डकैती सितम्बर, १९६५ से दिसम्बर, १९६५ तक पड़ी ? यदि हां, तो उसमें कितना माल लूटा गया तथा कितने व्यक्तियों की जानें गयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम कटरा जाफरगंज, थाना चांदपुर, जिला फतेहपुर में ८ नवम्बर, १९६५ को एक डकैती पड़ी। इसमें ४,८६९ रु० का माल लूटा गया। किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

*४८—श्री काशीनाथ मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त डकैती में जिन व्यक्तियों के चालान हुये उनके नाम व पते क्या हैं तथा उनमें से कितने जेल में हैं तथा कितने जमानत पर हैं ? जमानत पर जो लोग हैं उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उक्त डकैती में चार व्यक्तियों का चालान हुआ। इनमें एक जेल में है और दो जमानत पर छोड़े गये। शेष एक अदालत से बरी कर दिया गया। चालान किये गये और जमानत पर छोड़े गये व्यक्तियों के नाम व पते संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९५ पर)

*४९—श्री काशीनाथ मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि केस किस स्थिति में है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चालान किये गये व्यक्तियों का मामला अदालत सेशन में विचाराधीन है।

*५०—श्री कमलासिंह यादव—

[६ठे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

मदाला निवासी श्री नजर हसन की हत्या

*५१—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ३ अप्रैल, १९६६ ई० को मौजा मदाला फतेहपुर, थाना असमोली, जिला मुरादाबाद में नजर हसन नामक व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया? मरने वाले ने मुलजिमान का नाम बताया परन्तु थाने के थानेदार से मुलजिमान ने सांठ-गांठ कर ली और अब तक उन मुलजिमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

३ अप्रैल, १९६६ को ग्राम मदाला फतेहपुर, थाना असमोली, जिला मुरादाबाद के निवासी श्री नजर हसन पर बंदूक द्वारा एक हमला हुआ जिसके फलस्वरूप आई चोटों के कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। श्री नजर हसन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अब्दुल रहमान नामक एक व्यक्ति को मुलजिम अंकित कराया था जो रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद भाग गया था और पकड़ा न जा सका था। अब्दुल रहमान ने १६-४-६६ को न्यायालय में आत्म समर्पण किया और वह जेल में है। उसके विरुद्ध धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत चार्जशीट भेजी जा चुकी है और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

*५२—श्री बिशनलाल यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उक्त कत्ल की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सी० आई० डी० द्वारा जांच का प्रश्न नहीं उठता।

*५३—श्री बिशनलाल यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र थाना असमोली, जिला मुरादाबाद के थाना इंचार्ज का स्थानान्तरण (ट्रांसफर) किसी दूसरी जगह कराने की कृपा करेगी, जिससे कि इंसाफ हो सके?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

नोट—तारांकित प्रश्न ५१-५३ श्री रियासत हुसैन ने पूछे।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि श्री नजर हुसन जब जख्मी हालत में थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो वह कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहते थे लेकिन थानेदार ने उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी बल्कि एक ऐसे शख्स के नाम रिपोर्ट लिखी जिससे वह किसी रंजिश की वजह से बदला लेना चाहते थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। जो रिपोर्ट लिखकर आयी है कि यह रिपोर्ट उन्होंने लिखायी थी वह मेरे पास है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को आधार मान कर इस बात की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने के लिये तैयार है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतएव कोई इसम एन्क्वायरी सी० आई० डी० द्वारा नहीं हो सकती।

श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—

जिस आदमी के नाम बताने पर लोगों के नाम रिपोर्ट में नहीं लिखे गये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जो रिपोर्ट आयी है वह मेरे पास मौजूद है। कितनों के लिखे कितनों के नहीं लिखे, उसमें हम क्या करें।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

रियासत हुसैन साहब ने बतलाया कि जिस वक्त नजर हुसन साहब थाने पर गये थे उस वक्त वह जिन्दा थे और उनका डाइंग डिक्लेरेशन होना चाहिये था ? उनका डाइंग डिक्लेरेशन न लिखें जाने का क्या कारण है और जिन थानेदार ने नहीं लिखा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जो रिपोर्ट लिखाई गयी वह तो मौजूद है। वह तो मर गये थे इसलिये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न यह है कि जब वह सज्जन थाने पर आये थे तब जिन्दा थे और वे डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहते थे। इसके बारे में जो सूचना हो वह दीजिये।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह सूचना मेरे पास नहीं है कि वह डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहते थे या नहीं।

टामसन इण्टर कालेज, गोंडा में विस्फोट की जांच

*५४—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम सत्र १९६६ के पांचवें गुरुवार को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या नत्थी (ग) के ५२ के उत्तर के संबंध में कितने छात्रों की तथा कौन-कौन-सी मृत्यु हुई और उसके संबंध में जांच पुलिस के किस अधिकारी के द्वारा कब प्रारम्भ हुयी और कब तक समाप्त हो जायगी ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया

श्री हरगोविन्दसिंह—

निम्नांकित ५ छात्रों की मृत्यु हुई—

१—श्री अवधेश कुमार मिश्र

२—श्री राजित राम पांडे

३—श्री तारिक उमर

४—श्री हरनाम सिंह

५—श्री बसन्त लाल

इस संबंध में सर्किल इंस्पेक्टर, सदर, गोंडा द्वारा दिनांक २४-११-६५ से जांच प्रारम्भ हुई और इसके शीघ्र ही समाप्त हो जाने की आशा है।

प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, प्रश्न संख्या २९-४० को आप देखें जिनको स्थगित किया गया है। ये प्रश्न मैंने जून में दिये थे। ये प्रश्न मेरे जिले एटा के सम्बन्ध में हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य उस समय यहां पर नहीं थे जब मैंने इस विषय में कुछ कहा था। इस विषय में मैं उस समय कह चुका हूं।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

मेरा प्रश्न यह है कि सदन के अन्दर जो आने वाले प्रश्न हैं उनकी सूचना पूर्व मिल जाने के पश्चात् भी जो सदन की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होते हैं उनके संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ३ तारीख को अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के संबंध में मेरा एक प्रश्न था....

श्री अधिष्ठाता—

इस समय जो कार्य की प्रगति है उसको देखते हुये इस समय आपकी व्यवस्था के प्रश्न का औचित्य नहीं है। मुझे ऐसा आभास हुआ कि सम्भवतः आप इसी विषय में अपना प्रश्न उठाना चाहते हैं। आप अगर नियम पढ़ें तो पता हो जायगा कि किन प्रश्नों को प्रथम वरीयता दी जायगी।

परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को आवर्तन द्वारा परिषद् का सदस्य नियुक्त करने की नियमावली †

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

मैं प्राविधिक शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८७८-टी/१८-च-३० (एस० बी०)-६५, दिनांक १ अप्रैल, १९६६ द्वारा प्रख्यापित परिषद् से संबद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को आवर्तन द्वारा परिषद् का सदस्य नियुक्त करने की नियमावली को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा २२ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

पंचायती राज विभाग की विज्ञप्तियां

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं पंचायती राज विभाग की :—

(क) विज्ञप्ति संख्या ३२७३–बी/३३—१५०–६५, दिनांक ७ जून, १९६६ द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यालय स्थान) नियमावली, १९६६' :

(ख) विज्ञप्ति संख्या ५२०१–ए/३३—२३–आर–६१, दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ द्वारा प्रख्यापित 'क्षेत्र समति के प्रमुख तथा उप प्रमुख में अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित करने के नोटिस से संबंधित नियमावली' के शुद्धि पत्र संख्या १३५६-बी/३३, दिनांक ७ जून, १९६६ ;

(ग) विज्ञप्ति संख्या ३१२८/३३—२५–आर–६१, दिनांक १७ जून, १९६६ द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६६ ;

(घ) विज्ञप्ति संख्या ३७३५–बी/३३—२५–आर–६१, दिनांक १७ जून, १९६६ द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) (प्रथम संशोधन, नियमावली, १९६६ ;

को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयता) सेवा नियमावली, १९६६†

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५५६७/११–ए—८९८–५७, दिनांक ९ जुलाई, १९६६ द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयता) सेवा नियमावली, १९६६" को, उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३२४४–टी–एम/३०–ख—४४–पी–६३, दिनांक २८ फरवरी, १९६६ के शुद्धिपत्र के साथ पठित विज्ञप्ति संख्या एम०–बी–आर–ए–५५–२७९३–टी–एम–बी/३०–४४—पी–६३, दिनांक १६ नवम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उप धारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६६*

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस–टी–९४९/१०—९००(३४)–६२, दिनांक १६ अप्रैल, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६६ को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं ।

---

†छापी नहीं गयीं ।

*छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर नियमावली, १९६६†

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं वित्त (नियोजन एवं संशोधन) विभाग की विज्ञप्ति संख्या पी–१८१९/१०—३०२–१९६५, दिनांक २० मई, १९६६ द्वारा दिनांक २० मई, १९६६ के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर नियमावली, १९६६ को उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ की धारा २४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं ।

वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियां

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश बिक्री–कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३–क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या :

(क) एस० टी०–१६४५/१०—१०१२(२)–६५, दिनांक १ अप्रैल, १९६६,

(ख) एस० टी०–१४३५/१०—९००(४५)–६५, दिनांक १ अप्रैल, १९६६,

(ग) एस० टी०–१६६१/१०—९०२(१०)–५९, दिनांक १ अप्रैल, १९६६,

(घ) एस० टी०–८३०१(१)/१०—१००८ (६४)–६४, दिनांक १ अप्रैल, १९६६,

(ङ) एस० टी०–८३०१/१०—१००८(६४)–६४, दिनांक १ अप्रैल, १९६६,

(च) शुद्धि पत्र संख्या एस० टी०–१९४९/१०—१००८(७८)–६३, दिनांक २० अप्रैल, १९६६ के साथ पठित एस० टी०–४९३/१०—१००८(७८)–६३, दिनांक १ अप्रैल, १९६६,

(छ) एस० टी०-४१७८२/१०—९०२–(१३)–६४, दिनांक ६ अप्रैल, १९६६, को, उक्त धारा ३–क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६६, जो विधान सभा द्वारा २ अगस्त, १९६६ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १० अगस्त, १९६६ को वापस प्राप्त हो गया है ।

नवीन सेवा पर अप्राधिकृत व्यय से सम्बद्ध लोक लेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन*

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नवीन सेवा पर अप्राधिकृत व्यय से संबंधित लोक लेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†छापी नहीं गयीं ।

*छापा नहीं गया ।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

इस संबंध में, श्रीमन्, मुझे थोड़ा सा कहना है। इस प्रतिवेदन में शासन के संबंधित विभागों, अर्थात् वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा सामुदायिक विकास विभागों द्वारा विभिन्न मदों पर किये गये अप्राधिकृत व्यय से संबंधित है। प्रथम बार इस प्रकार के अप्राधिकृत व्यय का मामला लोक लेखा समिति के समक्ष १९६२-६३ में आया था जिसमें समिति की जानकारी में यह आया कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में एक नवीन सेवा पर १०,१५३ रुपया का ऐसा अप्राधिकृत व्यय किया गया जो इस वर्ष के आय व्ययक में समाविष्ट नहीं था और विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत नहीं था। इस अप्राधिकृत व्यय को किस प्रकार नियमित किया जाय इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके समिति ने केन्द्रीय लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये सुझाव से सहमति प्रकट की और यह सिद्धान्त स्वीकार किया कि 'नवीन सेवा' पर किये गये अप्राधिकृत व्यय के मामलों को, जैसे ही वे अस्तित्व में आयें, महालेखाकार तथा लोक लेखा समिति की जानकारी में लाये जांय जिससे समिति प्रत्येक प्रकरण की जांच उसके गुणदोषानुसार करके सिफारिश कर सके।

२--समिति के इस निश्चय के अनुसार अभी तक अप्राधिकृत व्यय के ८ मामले समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जिन पर प्रत्येक के संबंध में समिति ने इस प्रतिवेदन में संस्तुति की है। इस प्रतिवेदन को देखने से सदन के माननीय सदस्यों को विदित होगा कि कुछ मामलों में सम्बन्धित मंत्रियों ने अपने पदों का लाभ उठा कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अनियमित कार्यवाही करवाई। समिति आशा व्यक्त करती है कि भविष्य में प्रशासकीय विभाग सतर्कता से नियमों का उल्लंघन किये बिना कार्य करेंगे।

३--समिति को ऐसा आभास हुआ कि नवीन सेवा पर अप्राधिकृत व्यय के कई और मामले होंगे जो अभी समिति की जानकारी में नहीं लाये गये हैं। समिति आशा करती है कि इस प्रकार के सभी मामले समिति के विचारार्थ अतिशीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

समिति को अपने कार्य में श्री देवकी नन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा द्वारा जो योग्यतापूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, उसकी समिति सराहना करती है। लोक लेखा समिति के स्टाफ के प्रति भी समिति अपना संतोष प्रकट करती है जिन्होंने कठिन परिश्रम तथा निष्काम सेवा से समिति का कार्य किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता---

मेरे पास एक विशेषाधिकार की सूचना माननीय टम्बेश्वर प्रसाद की ओर से आयी है, वह यह है---'कल शाम कांग्रेस दल की एक बैठक प्रान्त में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बांदा में पुलिस अत्याचार आदि के संबंध में थी। परन्तु वह श्रीमती इंदिरा गांधी के दबाव के कारण स्थगित कर दी गयी। यह माननीय इंदिरा गांधी का हमारे सदन की एक बैठक में अनियमित एवं अवांछित दबाव है जो सदन के सदस्यों के कांग्रेस दल के नेता के आचरण की भर्त्सना करने में हस्तक्षेप है। दल की बैठकें हमारे परिसर में हमारे सदन के कार्यक्रमों का एक अंग हैं। हमारे सदन के सदस्यों पर बेजा दबाव के कारण हमार विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। मैं माननीया इंदिरा गांधी के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना देता हूं'।

मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूं....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

पहले तो मैं कहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें । यह कहीं नियमों में लिखित नहीं है कि आपको सुनना या आपका कहना आवश्यक हो । आपने एक विशेषाधिकार की सूचना मुझे दी, तो निर्णय मुझे करना है कि उसका क्या होना चाहिये ।

मैं इसके विषय में कहता हूं कि पहले तो जो सूचनाएं इनमें हैं उनका इस सदन या सरकार से कोई वास्ता नहीं है । किसी दल की बैठक में क्या होने वाला था, वह मीटिंग स्थगित हुई. . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

तो क्या आप रूलिंग दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

जी हां ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप मेरी बात सुनिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आप नियम बता दें जिसमें आपको बात सुनना आवश्यक हो ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप ही वह नियम बता दें जिसमें आप मेरी बात न सुनेंगे । सदन की कुछ परम्परायें हैं और जब-जब माननीय अध्यक्ष वहां बैठे हैं उन्होंने हम लोगों को कहने के लिए अवसर दिया है । हम कोई अनिश्चित बात या समाचारपत्र पर आधारित बात नहीं कह रहे हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा बैठें, मैं आपकी शंकाओं का समाधान कर दूं ।

जो नियम है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें यह है कि यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो विवादग्रस्त हो जिस पर कोई विशेष प्रकाश की आवश्यकता हो । मैं अपने विवेक से उसे आवश्यक नहीं समझता । मैं एक बात कह रहा हूं कि यदि आप परम्पराओं को स्वीकार करते हैं तो आप स्वयं परम्पराओं का इस समय हनन कर रहे हैं क्योंकि जो पीठासीन व्यक्ति है जो वह कह रहा है उसके बीच में बोलना या उसको रोकना भी परम्पराओं का हनन है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी बात सुन लें ।

मैं यह कह रहा था कि इसके विषय में किसी संगठन में जो पार्टी की मीटिंग्स हैं उसमें क्या होता है यह सदन या सरकार के वास्ते की चीज नहीं है और संगठन के नेता का उसमें परामर्श देने का भी पूरा अधिकार होता है और उस परामर्श से जो हमारे विधायी कार्य हैं उसमें हस्तक्षेप मानना बिलकुल गलत है और उसमें अधिकारों का अपहरण नहीं समझता और न ही वह विशेषाधिकार का विषय बनता है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय, मेरा निवेदन यह है कि. . . .

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि. . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अगर कांग्रेस दल की बैठक हो, माननीय, तो उसमें हमारी नीतियां क्यों तय होती हैं ? यह कोई पहिला प्रश्न नहीं है जो मैंने इस सदन के सामने रक्खा । हमारे सदन के परिसर में इनकी सूचनायें क्यों आती हैं । अगर इसकी कोई बात थी तो माननीय गुप्त जी और माननीय कमलापति

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

त्रिपाठी जी का नाम लेकर गुट की बैठक करने की आवश्यकता नहीं थी । इसलिये मैं समझता हूं कि आप इस नोटिस को देखें कि क्या यह अनधिकृत नोटिस है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी, आप स्थान ग्रहण करें । जो व्यक्ति या सदस्य विधान का आदर करता है, नियमों का आदर करता है उन्हें स्वयं भी ऐसा आचरण करना चाहिये । अब प्रश्न जो आप उठा रहे हैं वह किसी तरह से नहीं उठता है । मैंने व्यवस्था दी कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती । अगर आपको यह संतोष हो तो प्रक्रिया नियमावली में जो निहित विधान हैं उसके अनुसार आप उसे लायें लेकिन इस सयम मेरी उस व्यवस्था पर कोई टिप्पणी करें वह बिल्कुल अनुचित है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने टिप्पणी नहीं की केवल पूछा कि आप भी कांग्रेस दल की बैठकों में बैठते हैं । आप कृपया इस पर रूलिंग रिजर्व कर दें । हमें चेम्बर में सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता—

रूलिंग रिजर्व करने का प्रश्न कैसे पैदा होता है वह तो मैं दे चुका । अगर आपको फिर भी असन्तोष हो तो नियमों के अनुसार आप उसे कर सकते हैं ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । जो प्रिविलेज मोशन आपके सामने आया और जब आपने उसको इतना महत्वहीन समझा कि टम्बेश्वरप्रसाद जी को सुनें भी न तो आपने उसे आउटराइट रिजेक्ट ही क्यों नहीं कर दिया, उसे पढ़ने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री अधिष्ठाता—

यह भी नियम में लिखा हुआ है कि वह पढ़कर सुनाया जा सकता है । माननीय टम्बेश्वर-प्रसाद जी का जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न था उससे आप अवगत हो गये । उनको जानकारी हो गई । इसीलिये मैंने पढ़कर सुनाया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कल रूलिंग देते हुए..

श्री अधिष्ठाता—

टम्बेश्वरप्रसाद जी, यह जो कार्यक्रम में अंकित है पहिले इसे कर लें, इसे आप इसके अन्त में उठा सकेंगे ।

बांदा गोली काण्ड की जांच के लिए गठित आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले गवाहों को जिला अधिकारियों द्वारा आतंवित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

मेरे पास एक कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है बांदा गोलीकांड की जांच के सम्बन्ध में । इस पर इस सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है । पहले भी इस सम्बन्ध में यहां एक प्रस्ताव आया था जिसको माननीय अध्यक्ष ५ अगस्त को अस्वीकार कर चुके हैं, इसलिये मैं इसको अस्वीकृत करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, बांदा गोली कांड के सम्बन्ध में जो बहस हाउस में हुई थी और जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था उसमें और इसमें बहुत फर्क है । आपको याद होगा कि इस आदरणीय सदन में माननीय शिवप्रसाद गुप्त, डिप्टी मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि अगर कोई माननीय सदस्य या कोई व्यक्ति एस० पी० के खिलाफ इस बात का सबूत दे देगा कि वह गवाही देने में रुकावट डालता है तो मैं उस पर विचार करूंगा और उसे हटा दूंगा ।

दूसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं कि विरोधी दल के कई सदस्यों ने जाकर वहां से जानकारी हासिल की और सरकार के पास रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उनके पास इसका साफ सबूत है कि वहां का एस० पी० गवाहों को तोड़ रहा है । आयोग के सामने साक्ष्य होने वाला है और एस० पी० की इस कार्यवाही से बड़ा नुकसान हो रहा है. . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप पूरा भाषण क्यों दे रहे हैं । इतना संकेत काफी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, अब एक नयी परिस्थिति पैदा हो गयी है । वह नयी परिस्थिति यह है कि जो आयोग नियुक्त किया गया है उसके सामने गवाही और साक्ष्य होने वाला है और उसमें रुकावट पड़ रही है । तो जो नयी परिस्थिति पैदा हो गयी है, इस नयी परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह एक घटित घटना है जिसके बारे में प्रश्नों के द्वारा और सामान्य चर्चा के जरिये इस सदन में चर्चा हो चुकी है । आपने जो यह बात कही कि कोई नयी परिस्थिति पैदा हो गयी है, मैं नहीं जानता कि कोई नयी परिस्थिति पैदा हुई है या नहीं लेकिन जो मेरे सामने कार्य-स्थगन प्रस्ताव है उसकी भाषा को मैंने पढ़ा और आपके भाषण के बाद मैंने पुनः उसे पढ़ा, तो उससे कहीं यह नहीं मालूम हुआ कि कोई नयी स्थिति पैदा हो गयी है या कोई नयी बात है । इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं । अन्य जो तरीका है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपने कैसे कह दिया कि इसमें कोई नयी बात नहीं है और इसलिये आपने उसको अस्वीकार कर दिया ?

श्री अधिष्ठाता—

मेरे सामने जैसी भाषा है वह उसकी सीमा के अन्तर्गत है ।

श्री झारखण्डेराय—

श्रीमन्, उसमें लिखा हुआ है कि वहां के वकील संघ ने १२ जुलाई से अदालतों का बहिष्कार कर रखा है और अब ४ अगस्त को उन्होंने प्रस्ताव पास किया है कि बांदा गोली कांड के विरोध में अनिश्चित काल तक अदालतों का बहिष्कार जारी रखेंगे । इसके फलस्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश के वकील संघ ने निर्णय किया है और करने जा रहे हैं. . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय झारखंडे राय जी, आपकी बातों में ज्यादा औचित्य हो सकता है लेकिन इस सीमा तक कार्य-स्थगन का एक निश्चित वक्त आज की तारीख है, इसलिये मैं इसको अस्वीकार कर चुका हूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, बांदा के सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

बांदा का प्रश्न अब समाप्त हो गया। इसमें मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि अब आगे काम चलने दें।

मथुरा जिले में गर्की के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता—

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत ५–६ सदस्यों की सूचनायें आयी हैं। इन सबका अध्ययन करने के बाद एक को लोक महत्व क समझ कर जो श्री राधेश्याम शर्मा जी की है, मैंने स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है—

"मथुरा जिले के लगभग सैकड़ों गांव इस समय गरकी से ग्रसित हो चुके हैं। खासतौर से मांट तहसील की हालत तो विगत सप्ताह भारी वर्षा के कारण बहुत दयनीय हो चुकी है। मांट तहसील के लगभग पचासों कौलाहार, पचहरा, जटपुरा, शल्ल, नावली, तुलागढ़ी, जरारा, नींवगांव, कुड़वारा आदि की तो एक एकड़ भी जमीन बची नहीं है जो जलमग्न न हुई हो। मांट क्षेत्र के गरकी ग्रस्त गांवों में मनुष्य तथा मवेशी काफी परेशान हो चुके हैं। भारी बैंकी विपत्ति से लोग मुखभरी का शिकार हो रहे हैं। मकान सब ध्वस्त हो चुके हैं। हजारों लोग काल के गाल में हैं।

अस्तु, इस बैंकी विपत्ति से सारे क्षेत्र में हाहाकार मचा है। अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के निचिश्त विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।

इसी सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री १२ तारीख को वक्तव्य देने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसी वक्तव्य के साथ इसको भी सम्मिलित कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री को आप कह दें कि वहां से पूरी जानकारी मंगा लें, इस पर पूरा वक्तव्य होना चाहिये क्योंकि अब तो सदन स्थगित भी होने जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राजस्व मंत्री स्वयं अपना दायित्व समझते हैं। वे आपको पूरी जानकारी देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

मेरे पास एक सूचना आयी है श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्री बनवारीलाल, श्री बिक्रम बिहारी तिवारी आदि की। उन्होंने जखीरेबाजी और चोर बाजारी नियंत्रण आदेश को जिस तरह से लागू किया जा रहा है, उसकी कार्यविधि के बारे में सूचना दी है। इसको मैं माननीय खाद्य मंत्री के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

एक सूचना श्री बसंतसिंह और श्रीराम की मुरादाबाद की परिस्थिति के बारे में है कि वहां पर हजारों लोगों को आतंकित किया जा रहा है। इसको भी मैं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं।

माननीय गयाप्रसाद जी की एक सूचना है । इसमें कोई अविलम्बनीय बात नहीं है फिर भी इसको मैं संबंधित मंत्री के पास भेज रहा हूं क्योंकि सदन उठने वाला है, इसलिये जो कार्यवाही हो सकती हो वह हो जाय ।

एक श्री लखपतराम शर्मा जी की सूचना भी है । इसको भी मैं विशेष ध्यान और तुरन्त कार्यवाही के लिये गृह मंत्रीजी को भेज रहा हूं । यह ललितपुर में कुछ तनातनी का वातावरण है और झगड़ा होने की आशंका है, इसके बारे में है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, ४ बम एक जगह पाये गये हैं, और अभी तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है । इनका प्रयोग माताटीला डैम पर भी हो सकता था । कृपया उसको पढ़ कर बता दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा लेकिन आपने उसको साफ कर दिया । मैंने उसके महत्व को देखते हुए ही गृहमंत्री के पास विशेष ध्यान और तुरन्त कार्यवाही के लिये भेज दिया है ।

मंत्रियों की आचरण संहिता पर चर्चा के सम्बन्ध में निर्णय की मांग

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

कल मैंने और श्री माधवप्रसाद जी ने मंत्रियों के कोड आफ कन्डक्ट के बारे में एक सम्मिलित प्रस्ताव भेजा था कि मंत्रियों द्वारा उसका अतिक्रमण हुआ है । अध्यक्ष महोदय से इस संबंध में बातचीत भी हुई थी और आज उन्होंने इस विषय में निर्णय देने का वचन दिया था । जो वचन उन्होंने दिया था वह कुर्सी का वचन था । आपसे प्रार्थना है कि आप चूंकि उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं अतः आप उस वचन को पूर्ण करें और अपना निर्णय उस विषय में दें ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मंत्रियों के आचरण कोड के विषय में बात यह है कि....

श्री अधिष्ठाता—

आप तो मैरिट पर जा रहे थे । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न इस समय उठाया है, उससे पहले उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं थी । उन्होंने वह बताया है कि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष ने ऐसे विचार प्रकट किये थे कि वे इस विषय में आज सदन में अपना मत प्रकट करेंगे । और अगर वह इसको उचित समझते तो सदन में उस पर विचार हो सकता है, तब आपको विवाद करने का अवसर मिलता लेकिन आज यकायक अध्यक्ष महोदय को लखनऊ से बाहर, व्यक्तिगत कार्यवश जाना पड़ा है और मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है । अतः कल जब माननीय अध्यक्ष आ जायेंगे तो इसको ले लेंगे । मैं पुनः इस बात की याद उनको दिला दूंगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे आज माननीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर बहुत दुख है । अब यह सदन प्रायः उठने वाला है, उन्होंने इस प्रजातंत्र के कफन में एक कील ठोंक दी है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा सुन लें, आप स्वयं प्रजातंत्र में वह स्थिति पैदा न करें...

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

वह स्थिति तो वह पैदा कर रहे हैं जो इस तरह से चीजों को जान बूझ कर टाल रहे हैं, वह इस की धज्जियां उड़ा रहे हैं....

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन आप तो स्वयं नियमों का पालन करें. . . .

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आप जरा मुझे कहने दें, आप अध्यक्ष से ज्यादा छेड़ते हैं इसलिये कि थोड़े से समय के लिये ही आपको यहां रहना होता है । यह इतना गम्भीर प्रश्न था और इस को अध्यक्ष महोदय ने दो दिन तक यहां लटकाया, परसों टाला और कल भी टाला, लेकिन कल उन्होंने करीब-करीब यह मान लिया था कि यह विचार करने लायक विषय है और कल इस पर चर्चा हो सकेगी । हम समझते थे कि आज वे इस तरह का निर्णय देकर बहस करायेंगे लेकिन आज उनके यहां उपस्थित न होने से हमारी निश्चित धारणा है कि मुख्य मंत्री और उनकी साजिश से ही यह हुआ है कि आज वे अनुपस्थित हो गये और दूसरे दिन भी वे अनुपस्थित रहेंगे और अधिष्ठाता तो यह कहेंगे ही जो आप कह रहे हैं कि हम तो नहीं जानते कि क्या मामला था और क्या कहें हमारे सामने की तो बात नहीं है । यह किस कदर लज्जा की बात है कि इस प्रकार का व्यवहार अध्यक्ष महोदय करें और यह सरकार करे । मैं जानना चाहता हूं कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री के पास पत्र भेजा था. .

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे नियमों के अनुसार माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध सेन्सर मोशन के अलावा कोई और डिसकशन यहां नहीं हो सकता । तो उनके विषय में यहां यह कहना कि यह लज्जा का विषय है उन्होंने ऐसा ऐसा. . . . .. किया । क्या यह नियमानुकूल है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बी० बी० शरण जी ने जो प्रश्न उठाया है मैं समझता हूं कि बिना मेरे कहे हुये या बिना व्यवस्था का प्रश्न उठाये हुये ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न सभी माननीय सदस्य अपने सामने रखें तो जनतन्त्र जिसकी लोग दुहाई देते हैं, उसकी रक्षा होगी । आपकी शिकायत आ गई है. . . .

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं भाषण नहीं दूंगा लेकिन जिस चीज ने हमें परेशान किया है उसके बारे में २ मिनट हमें जरूर कहने दें और मैं उसकी पुनरावृत्ति करता हूं । मैं कह रहा था कि जब सतर्कता आयोग के विषय में बहस की बात आई तब टाला गया, मंत्रियों के आचरण और कोड आफ कान्डक्ट की बात आई तो टाला जा रहा है, जब सचिवालय के पुनस्संगठन की बात आई तो चार दिन तक लटकाया गया । कल हमसे कहा गया, परसों टाला गया, आज इस पर निर्णय देने की बात थी, अध्यक्ष महोदय कोई बीमार नहीं है, बाहर वह दो दिन बाद जा सकते थे । यहां बताया जा चुका है कि १२ तारीख को सदन उठ जायगा और इस तरह से यह मामला ही खत्म हो जायगा । जो आश्वासन अध्यक्ष महोदय कल यहां देकर गये हैं उसका क्या होगा ? इस तरह से यहां रचना रची जा रही है कि एक मदारी का खेल हो गया है । इस तरह से हमारे हितों की रक्षा नहीं हो सकती । विरोधी दल के पास इन हालात में आप बतायें कि कौन से अधिकार हैं । मैं समझता हूं कि विधानसभा के इतिहास में आज का यह एक काला दिन है जबकि अध्यक्ष हमारे उठाये हुये प्रश्नों पर न हमें मौका दे सकते हैं और न अपना निर्णय ही दे सकते हैं और इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं । आज हम उस कोड आफ कान्डक्ट पर विचार नहीं कर सकते हैं और कल सदन ही उठ जायगा तो फिर हम कब विचार करेंगे ? इससे ज्यादा काला दिन और क्या होगा ? अध्यक्ष और सरकार के इस रवैये के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं । इस सदन को और इस सरकार को हजार बार लानत है जो इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन करे ।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कमलासिंह यादव—

आप ने कहा कि अध्यक्ष महोदय के सामने क्या बात हुई और उन्होंने क्या कहा था । तो उस विषय को यहां पेश करने की आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं या अध्यक्ष महोदय आ जायें तब मैं पेश करूं उसी कोड आफ कान्डक्ट के बारे में.....

श्री अधिष्ठाता—

मैं यह कह रहा था कि अध्यक्ष महोदय ने जो आश्वासन दिया कि वह विचार करके अपना मत व्यक्त करेंगे । वह यदि अनुज्ञा देते तो वाद विवाद होता । अभी तो वह विचार कर रहे होंगे, मैं ऐसा समझता हूं कि कल वह यहां होंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

कोड आफ कान्डक्ट पर हम विचार कर सकते हैं या नहीं ? यह सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रश्न तो उनके विचाराधीन है, इस पर आप कैसे विचार व्यक्त कर सकते हैं ? कल माननीय अध्यक्ष होंगे और आप तब कह सकते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है वह कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है । वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मंत्रियों की आचार संहिता के प्रश्न पर, जिस पर विवाद होना चाहिए था, माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष को दाब दिया कि जब तक कोई ठोस प्रस्ताव कोई माननीय सदस्य न उठाये, इस पर विवाद न हो । जो प्रस्ताव हम उठायेंगे हमारा यह प्रस्ताव होगा कि माननीय अध्यक्ष को कुर्सी से हटना चाहिए । अध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव अगर आता है तो ये धंस जाते हैं । माननीय मुख्य मंत्री नहीं मानती कि यह प्रश्न कब हो तो ऐसी परिस्थिति में दोनों काम नहीं हो सकते हैं। या तो वे कुर्सी छोड़ दें और या माननीया सुचेता-कृपालानी अपनी कुर्सी छोड़ दें । हम चाहते हैं कि इस मंत्री मंडल की कुनबापरस्ती,भ्रष्टाचार के ऊपर विवाद होना चाहिए और इसके लिए अध्यक्ष महोदय को हमें बताना चाहिए कि वे कब वाद विवाद करायेंगे । इसलिए हम भी प्रतिवाद करते हैं ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने बताया कि माननीय अध्यक्ष कुछ विचार कर रहे होंगे । मैं आपका निर्णय चाहता हूं कि हमें उस विषय पर विवाद करने का अधिकार है या नहीं । यदि आप निर्णय नहीं करते हैं तो क्या आप माननीय अध्यक्ष से पूछकर हमें सूचना दे सकेंगे १ या १/२ घंटे में कि उस पर उन्होंने क्या विचार किया है और वे क्या कार्य कर रहे हैं और क्या वे हमको इस पर विवाद करने का मौका देगें ?

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप आसन ग्रहण करें । माननीय अध्यक्ष आज इस समय लखनऊ में नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन—

मैं जानना चाहता हूं कि आज अध्यक्ष महोदय, जिनके बिरा र पर अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा, क्यों चले गये । कम से कम गैलरी में बैठकर हमारी बात तो सुनते । कृपया आप इस सम्बन्ध में मेरा क्षोभ नोट कर लीजिए क्योंकि जब कभी संसदीय परम्परा का इतिहास लिखा जायगा, ये बातें उसमें आयेंगी ।

श्री अधिष्ठाता—

जैसे सब को होते हैं ऐसे ही माननीय अध्यक्ष को भी आवश्यक कार्य हो सकते हैं ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, संसदीय परम्परा में इस से बढ़कर महत्वपूर्ण और कोई कार्य नहीं हो सकता है। अगर आज यहां पर डी० एन० मित्थल भी होते तो हम यह समझते कि उन पर भी बौछारें होतीं। इसीलिये वे चले गये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अधिष्ठाता महोदय, आज अध्यक्ष महोदय सदन में नहीं हैं और आपको जानकारी नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय मदन मोहन वर्मा न हों कोई हर्ज नहीं है, चेयर तो है। चेयर उपस्थित है और उसमें चेयर ने ही वायदा किया था कि वे आज निर्णय देंगे तो जो भी व्यक्ति उस चेयर पर बैठे हों, उन्हें निर्णय देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष आज १० बज कर १५ मिनट तक लखनऊ में ही मौजूद थे। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा, दुःख के साथ कहना पड़ रहा है और जिसका आभास भी हो रहा है कि वे आज इसी कारण सदन में नहीं आये हैं। आज इस पर डिबेट न हो। इस प्रकार से ब्लैकेन आउट किया जायगा तो आप ही, श्रीमन्, व्यवस्था दें कि हम लोगों के लिए क्या मार्ग रह जायगा। अतः मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पर विचार कर लें कि स्वयं निर्णय लें। अध्यक्ष के स्थान पर आज आप बैठे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता—

जो भी व्यक्ति पीठासीन होगा, जो प्रश्न सामने आयेंगे, अगर वे उत्तर दे सकते हैं तो दिये जायेंगे और यदि उनमें समय की आवश्यकता होती है तो समय भी लिया जा सकता है। तो हमारे सामने कोई प्रश्न नहीं उठा था और न मैं उस पर ध्यान दे सका हूं। अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार कर रहे होंगे। वे आज अपने विचार आपके समक्ष रखने वाले थे तो अब वे कल दे देंगे। मेरे सामने तो वह प्रश्न नहीं उठा था।

श्री उग्रसेन—

क्या वे हमारे यहां प्राइवेट चिट्ठी भेजेंगे? हम कल चले जायेंगे और विधान सभा का सत्र कल समाप्त हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

अभी तो सदन कल तक है।

श्री उग्रसेन—

सन् १९६७ के बाद जो लोग आयेंगे उन्हें बतायेंगे?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मैं एक जानकारी चाहता हूं आप के माध्यम से। आप सचिवालय से कृपया पूछ लें माननीय अध्यक्ष आज के लिये गये हैं या कल भी लखनऊ से बाहर रहेंगे?

श्री अधिष्ठाता—

सचिवालय से पूछने का प्रश्न नहीं है। मेरी जानकारी यह है कि स्वयं माननीय अध्यक्ष ने मुझे टेलीफोन से सूचना दी कि एक विशेष कार्यवश उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। सो उनकी सूचना के आधार पर मैं आया। वह रात तक आ जायंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जो प्रश्न अभी दुबे जी ने उठाया है उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह कल भी प्रश्न उठा था और अध्यक्ष महोदय मौजूद थे....

श्री अधिष्ठाता—

मैं चर्चा नहीं चाहता उस सम्बन्ध में।

श्री कृष्णानन्द राय—

मुझे कहने का अधिकार है, आपने मुझे समय दिया है। तो वह प्रश्न कल उठाया गया और उस दिन भी यह प्रश्न आ या था कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली को कोई अधिकार नहीं है कि कोड आफ कंडक्ट पर बहस करें.....

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि मेरिट्स पर उठाया जाना चाहिये या नहीं उठाया जाना चाहिये, इस पर कोई वाद विवाद की आज्ञा इस विषय में नहीं दे सकता। यह मामला माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है, वह उस पर अपनी राय देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप क्या यह बतायेंगे कि कल माननीय अध्यक्ष सदन में रहेंगे और जो यह सवाल उठाया गया है, जो कई दिनों से उनके विचाराधीन है, उसका फैसला कर सकेंगे?

श्री अधिष्ठाता—

मैं तो यह भी बताने में समर्थ नहीं हूं कि कल रहूंगा या नहीं। अध्यक्ष के बारे में मैं कैसे कह सकता हूं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इधर के बैठने वालों को यह संदेह है कि यह प्रश्न टाला जा रहा है। इस संदेह को आप दूर कर सकते हैं। सम्भव है कि वर्मा जी कल भी न आ सके और कल भी आप उस कुर्सी पर बैठें। आप आश्वासन दे दें कि मैं इस समस्या को समझूंगा और विचार करूंगा और यदि वर्मा जी नहीं आये तो कल मैं इस पर अपनी रूलिंग दूंगा। रहा यह कि आप को प्रश्न मालूम नहीं है तो इसके लिये आप को एक सचिव दिया जाता है, वह पूर्णरूप से अवगत होता है कि क्या समस्या है। आप उनसे परामर्श कर के और कल तैयार हो कर के, यदि वर्मा जी न आयें, तो उनके स्थान पर यदि आप आश्वस्त कर दें तो मैं समझता हूं कि सारा असंतोष दूर हो जाय। लेकिन यदि वर्मा जी न आये तो और आप भी आश्वासन न दें तो मैं समझता हूं कि यह जानबूझ कर इस प्रश्न को टालने का प्रयत्न हो रहा है। इस सन्देह को आप दूर कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस को, जब आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो आप को सभी अधिकार प्राप्त हैं, आप स्वयं नहीं कह सकते कि मैं इस काम को करूंगा या इस काम को नहीं करूंगा। आप को सम्पूर्ण अधिकार हैं, अगर सम्पूर्ण कार्य करने हैं जो अध्यक्ष के पास हैं। इसलिये आप समय ले सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस प्रश्न को नहीं लूंगा। अगर आप को समय की आवश्यकता है तो कल पर टाल दें। प्रश्न नहीं जानते हैं तो आप सचिव से समझ सकते हैं और मैं समझता हूं कि आप का आश्वासन आने पर इधर संतोष हो जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अगर आप जिस दिन नियम ३०१ उठाया गया था उस दिन की प्रोसीडिंग देख लेंगे तो उस प्रोसीडिंग में ही आप को सब बातें मिल जायेंगी कि इस पर समय देने का विचार कर रहे हैं। आप मंगवा कर देख लें तथा हम को बता दें।

श्री लखपतराम शर्मा—

आप ने यह बताया कि आप की जानकारी में यह विषय नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप स्वयं सदन के सदस्य हैं और आप की जानकारी में मामला पेश रहा है इसलिये आप को जानकारी है।

दूसरी बात यह है कि जब अध्यक्ष बाहर गये हैं और आप को यहां कुर्सी पर बैठा गये हैं उस सूरत में यह बिलकुल तय है कि आप को वही अधिकार हैं जो अध्यक्ष को हैं और यह भी आप को जानकारी है कि कल विधान सभा बन्द होने जा रही है। तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं। अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो कर आपको निर्णय देने का अधिकार है या नहीं। अगर अध्यक्ष ने आप को रोक दिया है कि आप निर्णय न दें तो बात दूसरी है लेकिन अगर नहीं रोका है तो आप व्यवस्था दें क्योंकि कल विधान सभा की कार्यवाही खत्म होने जा रही है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

हमने लोकतंत्र को घटित किया है संसदीय मान्यताओं के आधार पर। उस दिन यह कहा गया था सदन में कि यह विषय केन्द्रीय सरकार के हाथ में है, सदन में विचार नहीं हो सकता। लेकिन इसकी गम्भीरता को देखते हुए यह तय हुआ कि इस पर विचार हो। अब आप उसके लिये जिम्मेदार हैं कि निष्पक्ष रूप से उस पर निर्णय दें वर्ना सदन में और सदन के बाहर जनता में यह प्रचार किया जायगा कि अध्यक्ष और अधिष्ठाता मंत्रियों से संबंधित हैं और इसी-लिये उन्होंने मंत्रियों के आचार संहिता को विचार करने से सदन को रोका है और उसे टाल दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अधिष्ठाता पद पर आसीन हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, इस पर आप अपनी रूलिंग दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों ने इस विषय पर काफी विचार व्यक्त किये। मैं तो यह विश्वास दिला सकता हूं कि जो आपने अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं माननीय अध्यक्ष से सम्पर्क होते ही उन्हें बतला दूं। माननीय भान प्रताप सिंह ने जो एक बात कही कि अध्यक्ष महोदय यहां नहीं हुए तो क्या होगा? मैं सारी बात भविष्य की नहीं बतला सकता लेकिन जो कागज उनके विचाराधीन हैं, वे प्राप्त हो जायं तब समस्या को देखा जायगा, उस वक्त तो वह अपनी राय दे सकता है। मेरे सामने यह प्रश्न आया कि कल ऐसी चर्चा हुई थी। मैंने कार्यक्रम को देखा और उसमें लिखा है कि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने मंत्रियों के लिये आचार संहिता पर विचार करने हेतु प्रार्थना की और श्री अध्यक्ष ने विषय को कल के लिये स्थगित कर दिया और प्रोसीडिंग्स में डिटेल में यह लिखा है, 'अध्यक्ष मनन कर के इस पर कल अपना निर्णय देंगे वह विचार कर रहे होंगे। आपका शंकित होना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन हमारी सारी बातें सन्देह पर आधारित न हों और ऐसा हो सकता है कि अवश्य विचार हो। माननीय अध्यक्ष को कोई कार्य हो सकता है। जो भी स्थिति हो इस पर अब जरूरत से ज्यादा बातचीत हो चुकी है और कल इस विषय पर सारी स्थिति माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दूंगा कि आप की प्रबल इच्छा है कि कल जरूर इस पर विचार हो जाय और जो आश्वासन वह दे चुके हैं वह आज नहीं, तो कल पूरा होगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की पुनर्संगठन समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का ध्यान एजेंडे के आइटम नं० १५ की ओर दिलाना चाहता था। माननीय नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी दल के नेताओं ने एक मत से ८ तारीख को माननीय अध्यक्ष के पास पत्र लिखा था कि विधान सभा का कार्य सरकार चलाना नहीं

चाहती है। विधान सभा में विधान सभा का कुछ कार्य बड़े महत्व का पड़ा हुआ है जिस पर विचार करने के लिये सदन को चालू रखना चाहिये। आप को याद दिलाऊं कि विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति की रिपोर्ट आप के सामने विचाराधीन है और आप जानते हैं कि कितने महत्व की वह रिपोर्ट है जिसमें सरकार के मंत्रिगण तक शामिल थे, उसे भी सरकार सदन की कार्यवाही में विचार करने हेतु नहीं लाना चाहती है। इस पर सदन विचार कर के कोई विधि बनाये और निष्पक्ष भाव से इस विधान सभा का संचालन करे। दूसरे, जो नियम बने हुये हैं वह सन् १९५८ के हैं। तब से आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी ने परसों हाउस में कहा भी था कि उन्होंने मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा है और उसका उत्तर मिल जायगा। मुख्य मन्त्री ने आश्वासन भी दिया था कि वह उत्तर दे देंगी।

श्री अधिष्ठाता—

आपने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाया। मुझे जानकारी यह है कि जो पत्र आपने अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित किया था वह उन्होंने अपने पत्र के साथ माननीय मुख्य मंत्री को भेज दिया। अब माननीय मुख्य मन्त्री से नेता सदन के रूप में और अध्यक्ष महोदय से बात होने के बाद ही उस पर कुछ निर्णय हो सकेगा। विषय महत्वपूर्ण है, मैं आप की यह भी इच्छा उन तक पहुंचा दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अगर सरकार की ओर से कोई उत्तर न मिले तो फिर अध्यक्ष जी क्या करेंगे? आप ही कोई व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता—

कल ही तो पत्र भेजा गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कल नहीं, परसों।

श्री अधिष्ठाता—

कल या परसों भेजा गया है।

जिला आगरा में आटा मिलों द्वारा खराब गेहूं की डेलिवरी लेने से इनकार किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

आगरे में चार रोलर आटा मिले हैं जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी गेहूं पीसने के लिये दिया जाता है। १७ जुलाई से ३० जुलाई, १९६६ तक आगरे की तीन मिलों को लगभग १५,००० बोरे विदेशी गेहूं न्यु काडंला बन्दरगाह से रेल के खुले वैगनों में भेजे गये और वर्षा के कारण गेहूं के बोरे जो वैगनों के नीचे के भाग में थे अधिक भीग गये, फलस्वरूप यह भीगा हुआ गेहूं रेलवे स्टेशन पर खराब अवस्था में पहुंचा। मिल मालिकों ने इस गेहूं की दशा देख कर लेने से इनकार कर दिया और उसका क्लेम रेलवे से कर दिया तथा केन्द्रीय सरकार को भी इसकी सूचना दे दी। इसके पश्चात् भीगे हुये गेहूं के बोरों में से जो अच्छे गेहूं के बोरे समझे गये, मिलों द्वारा उठा लिये गये और शेष गेहूं रेलवे अधिकारियों द्वारा क्षति का अनुमान लगाने के लिये पड़ा है। मिल के मालिकान तथा उनके प्रबन्धक, इस विषय पर केन्द्रीय सरकार से बात करने के लिये दिल्ली गये हुए हैं।

खराब गेहूं मिलों द्वारा पीसा नहीं जा रहा है। जन स्वास्थ्य अधिकारियों तथा मिलों पर नियुक्त मार्केटिंग स्टाफ को सचेत कर दिया गया है कि वह मिलों द्वारा खराब गेहूं को न पिसने दें। गेहूं की कमी के कारण किसी मिल के बन्द होने की सम्भावना नहीं है।

अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, कि कदाचित् मैंने प्रोसीडिंग आपके सामने रखी थी, कल जिस समय माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि जो चार्ज्ड आइटम्स हैं उन को सदन के समक्ष रखने की भी आवश्यकता नहीं है तो मैंने उनसे निवेदन किया कि नहीं, उनको रखना आवश्यक है और उन पर विवाद होगा लेकिन उन पर मतदान नहीं होगा। मगर उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है और अगर आवश्यक समझा जायगा तो बाद को उनको रखवाऊंगा। सब प्रोसीडिंग आप को दिखा दी हैं। अब विनियोग विधेयक प्रस्तुत हुआ तो मैंने कहा कि कदाचित् ये अनुदान सदन के सामने रखे नहीं गये हैं इसलिये इनको पेश करना चाहिये और उस समय एक हो हल्ला के बीच में बिना विचार किये हुए उपाध्यक्ष महोदय ने ज्यादती से घोषणा कर दी कि पास हुये और आज यह मान लिया गया है कि जैसे कल ये पास हुए। मुझे बड़ा अचम्भा हुआ कि किस प्रकार पास हुये। जो सदन के सामने प्रस्तुत नहीं हुये उनको माननीय उपाध्यक्ष ने अपनी मर्जी से पास कर दिया और इस घोषणा के बाद उन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं है और पेश भी नहीं होंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आप का व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उपाध्यक्ष महोदय का यह कहना कि उनके सदन में रखने की आवश्यकता नहीं है, बिलकुल गलत है। उनको रखना चाहिये था। उसके अन्तर्गत मंत्रियों ने नहीं रखा जो अवैधानिक है। इसलिये विनियोग विधेयक के पारित होने की जो कार्यवाही हुई वह अवैधानिक करार दी जाय और सदन के सामने आये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके विषय में मैं आप को बताना चाहता हूं कि पीठासीन व्यक्ति या किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिये यह आशा करना कि वह रूलिंग इस स्थान पर हो, दूसरा व्यक्ति उसको निरीक्षण करे यह न तो उचित है, न मर्यादित है और न सम्भव है। अब प्रश्न यह है कि अगर आप किसी निश्चय को गलत समझते हैं तो उसके लिये आप अपना मत व्यक्त करें और जो तरीका है उसे करें और जो कांसीक्वेंसेज होंगे वह होंगे। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना चाहता। अन्यथा सूचना है कि ८ तारीख को वह प्रस्तुत हुआ। उपाध्यक्ष जी ने कुछ भी कहा हो कि प्रस्तुत करने की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन प्रस्तुत हुआ। अब इसमें आप असंतुष्ट हैं, इस व्यवस्था से कि जो रूलिंग दी वह गलत थी या सही थी तो जो विधिवत् तरीका हो उसे कीजिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, जो उसका उपचार है वह सदन के सामने है। लेकिन जो प्रोसीडिंग्स में लिखा है उसे देख कर निश्चय करें। उन्हें निश्चित रूप से कहा है कि अनुदान पेश करने की जरूरत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

जो प्रोसीडिंग्स में है वह सही है। अगर आप को आपत्ति है तो लिख कर भेजियेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टन्त्रेश्वरप्रसाद—

आप हमारे अध्यक्ष हैं, इसलिये मैंने आप के सामने रखा है कि उस समय तक के लिये आप कह दें कि जब तक फैसला नहीं हो जाता यह मदें पास नहीं समझी जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने यह भी सूचित कर दिया कि जहां तक मदों के प्रस्तुत करने का संबंध है यह तथ्य है कि वे प्रस्तुत हुयीं। अब यह वाद कि आवश्यकता नहीं है अगर उपाध्यक्ष जी ने कही तो पुनर्निरीक्षण मैं नहीं कर सकता हूं। उसके लिये आप विधि अनुसार जैसा चाहे कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—

अब क्रम-संख्या १७ श्री उग्रसेन जी प्रस्तुत करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव रखता हूं कि....

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष पर जो विवाद हो रहा है यह ५ वर्ष में पहली दफा हुआ है। १९६२ में एक दफा आया था लेकिन चीन की लड़ाई की वजह से वापस हो गया। २,३ घंटे में इस पर चर्चा नहीं कर पायेंगे। मैं चाहता हूं कि दो दिन के लिये आप आज्ञा देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

कल भी यह प्रश्न आ चुका है। इसके बाद एक दिन का तय हुआ। ५ साल का हो या ५०० साल का कार्य-कलाप या कार्य कुशलता हो वह तो ५ मिनट में हो सकता है।

श्री उग्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रस्ताव है कि यह सदन निश्चय करता है कि...

श्री अधिष्ठाता—

मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि इस पर बोलने के लिये सदन का मत ले लूं। मैं समझता हूं कि आप १५ मिनट बोलना चाहेंगे।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, १५ मिनट में तो भूमिका भी नहीं बनेगी।

श्री अधिष्ठाता—

आप इतनी लम्बी भूमिका न बनाइये। २० मिनट आप बोल लें। इसके बाद माननीय सदस्य १०/१० मिनट बोलें। एक दो मिनट की बात अलग है।

श्री उग्रसेन—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि माननीय होती लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, विधान सभा को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है जिसके खिलाफ प्रस्ताव यहां रखा गया है, उसको भी मौजूद रहने का मौका देंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

नियम सामने हैं। जैसा वह चाहें उसका इस्तेमाल करें।

श्री उग्रसेन—

यह सही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में यह पहली घटना है कि इस विधान सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव आये। माननीय खेर जब उस कुर्सी पर विराजमान थे तो उनके भी विरुद्ध प्रस्ताव आया लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर कभी चर्चा हुई हो ऐसी बात नहीं है। यह पहली घटना है। मैं दूसरी विधान सभाओं की बात नहीं कहता। दूसरी विधान सभाओं में, हिन्दुस्तान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने की परम्परा अभी बन नहीं पायी है। गत १८ सालों में १९५० के बाद पंजाब में केवल घटना हुई है। पंजाब में १९५० के बाद जब यह मामला पेश हुआ तो विधान सभा के अध्यक्ष को हटना पड़ा। यह क्यों हुआ? हमको सरकार में अविश्वास है। उसके विरुद्ध अभी हम अविश्वास का प्रस्ताव लाये और उसकी नीतियों पर प्रहार किया और सारी जनता को मालूम हो गया कि सरकार कितने गहरे पानी में है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज सवेरे मैं बाइबिल पढ़ रहा था, ईसा मसीह का उपदेश पढ़ रहा था। दो उपदेशों को सदन के सामने रखना चाहता हूं।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

एक तो उनकी यह शिक्षा है कि:

"दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लग जाय, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जायगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जायगा।"

उसी के नीचे शिक्षा है कि:

"पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वह उन्हें पावों तले रौंदें और पलट कर तुम को फाड़ डालें।"

यह ईसा मसीह की शिक्षा है। पहले मुझे डर लगा क्योंकि मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो कहूं कि दांत के बदले दांत निकालो, हम वह मानते हैं जो महात्मा गांधी ने कहा कि जुल्म का विरोध करो लेकिन जुल्म सहने का माद्दा भी रखो। यह प्रश्न क्यों आया? इसके बहुत से उदाहरण दूसरे व्यक्ति देंगे। यह कुर्सी क्या है? अध्यक्ष की, स्पीकर की, स्पीकर कौन हो सकता है? अंग्रेजी संसदीय परम्परा में स्पीकर वह हो सकता है, जो सबसे कम बोले। लेकिन हमारे माननीय श्री उपाध्यक्ष एक मिनट में १७-१७ बार 'बिराजिये बिराजिये" बोलते हैं। राजा साहब सिगरामऊ यहां पर उपस्थित हैं, पता नहीं उन्होंने इस पर कितने बार ही एतराज किया है। तो वह भी क्षमता उनमें नहीं कि कम बोलें।

स्पीकर की दूसरी विशेषता है—जब स्पीकर सदन में गर्म होता है, तो वह स्पीकर रह ही नहीं जाता है। माननीय होती लाल अग्रवाल रोज तन्दूरी तवे की तरह जरा जरा सी बात पर गर्म होते हैं चाहे रोटी पके या न पके। उनकी गर्मी का नतीजा रोज ही प्रायः इस सदन के सदस्यों को भुगतना पड़ता है। कोई सुन रहा है या नहीं, मत लिया गया है या नहीं, बिल पेश हुआ है या नहीं, सदन ठीक से चल रहा है या नहीं—कुछ देखने-करने से उन्हें मतलब नहीं। आदेश फर्माते रहते हैं और सदन हो-हंगामा में समाप्त हो जाता है, कल भी सदन हो हंगामा के बीच समाप्त हो गया ऐसी ही बातों पर। यह भी गुण उनमें नहीं है।

तीसरा गुण क्या होता है अध्यक्ष में। अध्यक्ष वह हो सकता है, माननीय अली जहीर जी, उसमें यह क्षमता हो कि जब कभी बादशाह उन्हें बुलाये कि आओ और आकर सरकार

अपनी बनाओ तो तुरन्त सरकार बनाने के लिये तैयार हो। इस क्षमता का हो। तो यह क्षमता भी नहीं है, आप देखिये। उनको तुरन्त अभी दे दिया जाय कि माननीय सुचेता कृपालानी की जगह पर राज्यपाल ने आपको बुलाया है कि आप मंत्रि मंडल बनायें, तो वह कुछ ऐसे मंत्री बनाएंगे जो सूबे को चूहे खिल येंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

जिस चीज की आप चर्चा कर रहे हैं, वह तो राज्यपाल को अधिकार है इनको नहीं। तो यह ऐसी बात कहकर सदन में भ्रांति क्यों फैलाते हैं ?

श्री अधि ठाता--

आप तो उपाध्यक्ष के बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में कहें।

श्री उग्रसेन--

वह अध्यक्ष के ही तमाम कार्यकलापों का समापन करता है। मेरी आदत नहीं कि मैं किसी की निजी बातों में जाऊं। पालीवाल जी मेरी बात समझते नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय होतीलाल अग्रवाल जी में क्षमता है कि यदि गवर्नर बुलाये तो वह सरकार बनायेंगे, और ऐसे मन्त्रियों का मंत्रिमंडल बनायेंगे, जिसमें ऐसे मंत्री हों जो जनता को चहे खिलाएं, देश का चावल चीन को भेज दें, और भ्रष्टाचार करते करते छितौनी बांध खा जाएं। तो मैं पूछता हूं कि फिर वह इस कुर्सी पर बैठ क्यों गये। यह माना कि डिप्टी स्पीकर जो होता है वह दल का आदमी होता है, सत्तारूढ़ दल का सरकारी पक्ष का आदमी होता है, उसका चुनाव होता है और दलीय आधार पर होता है। लेकिन इसका आभास हम लोगों को हो जाना चाहिये कि उस कुर्सी पर बैठकर वह आदमी निष्पक्ष रूप से काम करता है और स्वविवेक से सदन की कार्यवाही चलाता है। लेकिन इसका भान हमें नहीं है। यह भान न इधर बैठने वालें सदस्यों को है और न उधर के बैठने वाले सदस्यों को ही है। इधर और उधर दोनों तरफ के लोग उनके विरोध में वाक-आउट करके गये हैं। क्योंकि वह अपनी बुद्धि और विवेक से, संविधान के अनुरूप काम न करके श्री बनारसीदास के चिट पर सदस्यों को बुलवा हैं। उपाध्यक्ष को उस सदस्य को बोलने का अवसर देना चाहिये, जो सर्वप्रथम उसकी निगाह को पकड़े, लेकिन श्री होतीलाल की निगाह और कहीं न पड़कर मजनूं की तरह सीधे बनारसीदास पर पड़ती है यह देखने के लिये कि उनकी निगाह किधर है किसको वह बुलवाना चाहते हैं किसको वह मना करना चाहते हैं यानी किसको वह रंक बना रहे हैं और

(व्यवधान)

किसको राजा। विश्वनाथ जी 'प्रणव' कवि हृदय हैं, बड़ी-बड़ी, कवितायें करते हैं, आपने उस प्रस्ताव पर पहले दस्तखत किये थे। आपने दस्तखत किया था, आप सोच समझ लेते लेकिन आप बीच में चले गये, विकल तो विकल ठहरे वे नहीं हटे। तो यह प्रस्ताव केवल विरोधी दलों की ओर से आया तो यह बात नहीं है, यह प्रस्ताव सरकार और विरोधी पक्ष दोनों की तरफ से आया है। (कुछ सदस्य--विकल कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं) अगर आप उनका सोशलिस्ट पार्टी का मानते हैं तो वे आयें हम उनका स्वागत करते हैं।

मैं एक बात कहूंगा। उसके गवाह श्रीमन् आप भी हैं कि एक बार सदन में बड़ा हंगामा हुआ था। १७-१८ आदमी हमारी पार्टी के निकाले गये थे। उस समय माननीय बनारसीदास बैठे हुये थे। वह एक-एक चिट भेजते जाते थे और उन सब लोगों को निकाला जाता था। क्या माननीय मंत्रीगण के इशारे पर, चिट भेजने पर, विरोधी दल के सदस्यों को सदन से निकलवाना उस कुर्सी के लिये शोभा देता है। जब मैं निकल गया तो बाबू भगवान सहाय जी, निर्दलीय दल के नेता थे, मिले। वे बड़े ही शान्त और सहनशील स्वभाव के व्यक्ति हैं और मुझसे कहा करते हैं कि तुम, उग्रसेन, बहुत गड़बड़ किया करते हो। वे इतना कहकर आये। दिल्ली की नफासत के आदमी, वे सदन में आये और पूछा कि "हुजूरवाला, उग्रसेन

[श्री उपसेन]

जी किस अपराध में निकले गये हैं ? बस उपाध्यक्ष का हुक्म हो गया कि भगवानसहाय को निकाल दिया जाय । तब उन्होंने भी कहा कि जब उग्रसेन जी टांगकर निकाले गये हैं तो मुझे भी टांगकर ही निकाला जाय । और वह टांगकर निकाल दिये गये । मैं एक दूसरी घटना आपके सामने रखता हूं । उसी समय माननीय नत्था राम रावत और मेंड़ीलाल बैठे हुये थे । माननीय उपाध्यक्ष ने किसी से पूछा नहीं, सचिवालय ने नाम उनका बताया नहीं, माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि माननीय नत्थाराम रावत और माननीय मेंड़ीनाल को निकाल दिया जाय । वे कहते रहे कि हम बैठे हुये थे, हम तो खड़े भी नहीं हुये लेकिन जो खड़े थे उनको न निकालकर जो बैठे हुये थे उनको निकाल दिया गया । क्या क्या कहूं ? "अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी और टका सेर खाजा ।" माननीय पालीवाल, यह वह किताब मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस है जिसके लिये आप कहते हैं कि जहां भारतीय संविधान लागू नहीं होगा तब हाउस आफ कामंस की बातें लागू हो जायेंगी । इसके २३५ पृष्ठ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है । मैं क्या कहूं ?

अधिष्ठाता—

आपको पूर्ण अधिकार है आप अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं ।

श्री उग्रसेन—

खैर, मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर दूंगा । इसके १५ वें एडीशन, पृष्ठ २३५ पर लिखा हुआ है :—

"The chief characteristics attaching to the office of the Speaker in the House of Commons are authority and impartiality."

स्पीकर के पद के साथ दो बड़े महत्वपूर्ण सिद्धान्त जुड़े हुये हैं, वह हैं संसदीय सम्मान का अधिकार और निष्पक्षता । क्या होतीलाल अग्रवाल में यह दोनों हैं ? माननीय पालीवाल जवाब दें । इतना ही नहीं आगे देखिये :—

"Confidence in the impartiality of the Speaker is an indispensible condition of the successful working of procedure and many conventions exist which have as their object not only to ensure the impartility of the Speaker but also to ensure that his impartiality is generally recognised."

मतलब यह है कि इतना ही जरूरी नहीं है कि वह न्यायप्रिय हो और निष्पक्ष हो बल्कि उसके लिये यह भी जरूरी है कि प्रदेश की जनता यह महसूस करे कि वह बड़ा न्यायप्रिय है और बड़ा इमानदार है । बेईमान नहीं है । मैं अपने उधर के भाइयों से और नेता विरोधी दल से भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह इस कसौटी पर उतरते हैं कि वह न्यायप्रिय हैं और निष्पक्ष हैं ? इसी कुर्सी पर माननीय टंडन जी विराजमान रह चुके हैं । उन दिनों मुसलिम लीग के एक सदस्य ने अखबारों में यह बयान दे दिया कि टंडन जी बड़ा पक्षपात करते हैं । टंडन जी ने इस बात को अखबारों में पढ़ा । वे कुर्सी पर आकर नहीं बैठे । उन दिनों लारी साहब विरोध दल के नेता थे । उनसे टंडन जी ने कहा कि मैं इस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझमें माननीय सदस्यों का विश्वास नहीं है और वह मुझे चाहते नहीं हैं । लारी साहब ने कहा कि क्या बात है ? टंडन जी ने कहा कि आपके एक सदस्य ने अखबार में इस तरह का बयान दे दिया । श्रीमन्, उस समय सारे सदस्यों ने खड़े होकर उनसे माफी मांगी और जब तक उन्होंने माफी नहीं दी तब तक वह उस कुर्सी पर बैठे नहीं । इसलिये मैं होतीलाल जी अग्रवाल से प्रार्थना करूंगा कि वह टंडन जी वाली परम्परा को निभायें । हमने उनसे कहा था कि अब तो बहस के लिये अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो गया है, आप इस कुर्सी पर न बैठिये, कुछ पुरानी परम्परा को निभाइये । उन्होंने कहा कि टंडन जी तो बड़े आदमी थे, मैं तो छोटा आदमी हूं ।

मैंने कहा इसमें बड़े छोटे का सवाल नहीं है। इसमें तो उस कुर्सी का सवाल है। क्या टंडन जी के लिये सोने की कुर्सी थी? क्या आत्माराम गोविन्द खेर के लिये चांदी की कुर्सी थी और होतीलाल जी अग्रवाल के लिये लकड़ी की कुर्सी है? यह तो उस जुल्म का सवाल है जो वह कांग्रेस पार्टी और बनारसीदास जी के इशारे पर नाचते हैं। जिस तरह से जंगल में बीन सपेरा बजाता है और सांप नाचने लगता है उसी तरह से बनारसीदास के इशारे पर होतीलाल जी अग्रवाल नाचने लगते हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि अगर दुनियां में संसदीय परम्परा को बचाना है तो इस तरह से जनतन्त्र बच नहीं सकता। आज चारों तरफ एशिया में जनतन्त्र को खतरा पैदा हो गया है। चीन में, बर्मा में, पाकिस्तान में तानाशाही शासन चल रहा है। चारों तरफ जनतन्त्र के लिये खतरा पैदा हो गया है और हमारे देश में भी जनतन्त्र के लिये खतरा है, तो इनको आप हटाइये। जब यहां पर एक सवाल के सिलसिले में पूछा गया कि बतलाइये इटावा जिले में इस महीने तक तीन महीनों के अन्दर कितने बैगन कोयला किन-किन लोगों को मिला? तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि तीन महीने के अन्दर इटावा जिले में होतीलाल जी अग्रवाल को, जिनके २, २ भट्टे चलते हैं, उनको ८६ बैगन कोयला दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ८६ बैगन तो कोयला ले लिया और उपाध्यक्ष होकर यहां से हजार रुपया लेते हैं तो यह सब किसलिये हैं? .....

श्री अधिष्ठाता—

उग्रसेन जी, यह आप जो मोशन लाये हैं डिप्टी स्पीकर पद के लिये लाये हैं। उनके पर्सनल कार्य के प्रति आप कुछ नहीं कह सकते।

श्री उग्रसेन—

मैं यह व्यक्तिगत बात उनकी नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जब उनका आचरण इस तरह का है तो उनमें यदि जरा भी शर्म बाकी है और हया बाकी है तो इस्तीफा देकर चले जाना चाहिये। अगर वह ऐसा करते तो हम कहते कि "हो चुकी नमाज, मुसल्ला उठाइये।" यही, नहीं, इस मौके पर मुझे एक गालिब का शेर याद आ गया, मुलाहिजा फरमाइये :

" बात यह नहीं है कि बात करनी नहीं आती
वरना कुछ बात है, कि मैं चुप हूं।"

मैं इतना ही कह सकता हूं कि उस कुर्सी को होतीलाल जी निन्दनीय बना रहे हैं और उस कुर्सी को घृणित कर रहे हैं क्योंकि वे पार्टी से चिपके हुये हैं और अपने को बनारसीदास जी का दिमागी गुलाम समझते हैं। यह कोई राज्य को उलटने का सवाल नहीं है। जनता तो खुद ही राज्य को उलट रही है। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जनतन्त्र की मान्यताओं की हत्या उस कुर्सी पर आप करने लगें तो फिर हम क्या करेंगे। हम तो अपने दिल की भावना के अनुकूल बात करते हैं और विरोधी दल के नेता से यह निवेदन करते हैं कि पता नहीं आगे हम आयेंगे या नहीं। अविश्वास का प्रस्ताव मदन मोहन वर्मा जी के खिलाफ भी वे ले आयें ताकि हम अपने मन की भावना के अनुसार सदन में कुछ कह सकें। उन्होंने कहा था कि कोई ठोस प्रस्ताव लाइये और हमने भी सोचा कि जब तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आयेगा तो हमारी जबान बन्द रहेगी। अगर संसदीय परम्परा को बचाना है तो जिस कुर्सी पर टंडन जी बैठे हों, जिस कुर्सी पर आत्माराम गोविन्द खेर जी बैठे हों, उस कुर्सी को निन्दनीय न बनाइये। जहां नफीसुल हसन बैठे हों, उस कुर्सी पर होतीलाल अग्रवाल को बैठा कर इसका जनाजा मत निकालिये। सरकार का जनाजा निकल रहा हो तो बैल बदल दो लेकिन बैलगाड़ी मत फूंको। जब होतीलाल इस कुर्सी पर बैठेंगे तो जनतंत्र की बैलगाड़ी जल जायगी, उस में आग लग जायगी। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हम ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष विनम्रता के साथ रखा है उसका आप समर्थन करेंगे और इसको पास करके जनतंत्र और संसदीय परंपराओं को उबारेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं उपाध्यक्ष के लिये अविश्वास के प्रस्ताव पर अपने विचार रखूं। श्रीमन्, वैसे मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि मैं अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के खिलाफ सदन में अपने विचार रखूं। इस से हमारे सदन की गरिमा और जो इस का महत्व है, उसको धक्का लगता है। मैं ऐसा मानता हूं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस कुर्सी पर विराज कर सदन के कार्य संचालन के समय इतने महत्व का काम करते हैं कि जिसकी ओर हमारे प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की भावपूर्ण दृष्टि रहती है और जनता समझती है कि वे जनतंत्र के संचालन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। मान्यवर, मैं इधर पांच साल से लगातार देखता चला आ रहा हूं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये अविश्वास के प्रस्ताव कई बार आ चुके हैं। और हम लोग, चाहे इधर के हों अथवा उधर के, सभी सदस्य इस ताक में रहते हैं कि हम इस पर विवाद करें, लेकिन हमारी अंतरात्मा यह समझती है कि जिस मंदिर में हम बैठे हुए हैं उसमें ऐसे लोग बैठ चुके हैं जिनकी आत्मा सदैव इस मंदिर को पवित्र बनाये रखती है। आज वह पवित्रता कहीं समाप्त न हो जाय इसका हमें भय है। लेकिन इस विधान सभा के आखिरी सत्र में जब हम उठना चाहते हैं और शायद इसके बाद का सत्र बहुत छोटा हो, हम उपाध्यक्ष महोदय के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं। मैं इसके पक्ष में हूं अथवा नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन सदन की गरिमा कायम रहे यह प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कर्त्तव्य है। जिस कुर्सी पर पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे अध्यक्ष रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उस कुर्सी पर बैठने वाले लोग इसकी गरिमा और महत्व को कायम रखें ताकि हमारा जनतंत्र फले फूले और आगे बढ़े। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य इधर के बैठने वाले भी ऐसे हैं जिनको इस बात की शिकायत रहती है। यह कोई जनतांत्रिक तरीका नहीं है कि कुछ सदस्य जो सदन का कार्य संचालन करते हैं, जब उनके नाम आप के पास जाते हैं तो आपको स्वेच्छापूर्वक यह समझना पड़ेगा कि हम क्या करें या क्या न करें। वहां आपको स्वविवेक से काम करना पड़ेगा। ऐसी हालत में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें उपाध्यक्ष को मजबूर हो कर अथवा किसी परिस्थिति के वशीभूत हो कर ऐसा व्यवहार करना पड़ा जो सदन की मान्यताओं और मर्यादाओं को कायम रखने में सफल नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि हमारा यह फर्ज है कि उनसे उस कर्त्तव्य को कराने के पहले हम उनको इस कर्त्तव्य के करने के लिये बाध्य न करें। हाउस आफ कामंस के स्पीकर हैं वहां की यह परम्परा है और सारी दुनियां जहां-जहां जनतंत्र काम कर रहा है वहां स्पीकर और डिप्टीस्पीकर वही बनते हैं जिनकी हैसियत कम से कम नेता के समकक्ष हो और उनके अन्दर सामर्थ्य हो कि वह एक गवर्नमेन्ट फार्म कर सकें। जिस हाउस आफ कामंस से हम इंस्पीरेशन लेते हैं और जहां दुनियां की इतनी बड़ी डिमोक्रेसी चल रही है उससे हम कुछ सीखें।

आज सारे एशिया में (साउथ ईस्ट एशिया की हालत देखें) सारी जगह पर डिमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, वह धराशायी होती जा रही है। हिन्दुस्तान में डिमोक्रेसी की हालत यह हो गयी है कि जहां देखिये विधान सभाओं के अन्दर और बाहर ऐसी परिस्थिति कायम हो रही है कि हमारे सामने यह चैलेंज हो रहा है कि इस डेमोक्रेसी की रक्षा अन्दर और बाहर हम किस प्रकार करें। और जब ऐसी परिस्थितियां आपके सामने हों तो आपका कर्तव्य होता है कि उन मान्यताओं को कायम रखने के लिये आप माननीय सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार और विचार करेंगे और ऐसे अपने कर्तव्य को करें जिससे किसी के दिल में किसी प्रकार कोई ठेस न लग सके और वह ऐसा महसूस न कर सकें कि हमारे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय जी जो मान्यताएं हैं या मार्यादाएं हैं, वह उनके दिल व दिमाग से समाप्त ही रही है। हमारे प्रदेश में ऐसी परिस्थितियों में हमारे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष श्रीमन्, हमारे सदन की भावनाओं के साथ नहीं चल सके, मुझे इसका घोर तकलीफ और दुख है। मैं चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य, इधर या उधर के उन मान्यताओं को कायम करें और ऐसा मौका हम किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को स्वयं न दें कि वह ऐसा रुख अख्तियार करे जिससे हमारी डिमोक्रेसी की हत्या हो।

आज कांग्रेस के लोग इधर बैठते हैं कल परसों उधर वाले भी बैठ सकते हैं इन कुर्सियों पर हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो गयी तो आपका भी उन इंस्ट्रूमेन्ट्स से काम करना पड़ेगा जो आज एक सरकार चला रही है। इसलिये आपको कर्तव्य हो जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों को अच्छी तरह से संचालित कराने में आप हमें सहयोग दें। आज ऐसा सहयोग नहीं है। मैं विरोधी दल के नेताओं से कहूंगा कि वह समझने हैं कि उन्होंने एक बड़ा गलत काम किया, अपनी ५ साल की जिन्दगी में सदन की मान मर्यादाओं और प्रतिष्ठाओं को अपने पूर्वगामी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के समकक्ष नहीं चला सके, लेकिन एक जनतांत्रिक व्यक्ति के नाते, जनतांत्रिक परम्पराओं को कायम करने के नाते और इस पवित्र मंदिर की रक्षा के नाते और इसके सारे सिद्धान्त और मर्यादाएं रक्षित रह सकें, इसके लिए मैं श्रीमन्, विरोधी पार्टी के अपने सदस्यों से निवेदन यह जरूर करना चाहता हूं कि वह इस पर डिस्कशन कर लें, विचार को रखें, आपको हक है, लेकिन विचार रखने के बाद ऐसी स्थिति मत कायम करें जिसके अन्तर्गत यह मतदान की स्थिति पैदा हो सके। यहां पर कुछ मान्यताएं रही हैं। बहर भी रही हैं। पंजाब में यदि एक स्पीकर के खिलाफ एक कांग्रेस का सदस्य खड़ा हो गया तो उसने इस्तीफा दे दिया, प्रमोद कुमार जी ने। यहां पर मुस्लिम लीग के एक सदस्य ने माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन के प्रति जरा भी अविश्वास की भावना का प्रदर्शन किया तो उसी समय इस्तीफा देकर उन्होंने कहा कि एक भी विरोधी पार्टी यदि हमारे खिलाफ हो तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, और इस सदस्य को उनके कमरे में जाकर अध्यक्ष महोदय से कहना पड़ा कि मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं और तब जाकर वह कुर्सी पर विराजमान हुये। इसलिए मैं कहता हूं कि चूंकि यह बड़ा ही डेमोक्रेटिक प्रदेश है, देश की सबसे बड़ी स्टेट है इस स्टेट के अन्दर अपनी डिमाक्रेसी को हमें संचालित करना है। इसलिये हमें उन मान्यताओं का आदर करना चाहिये। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि वे अपने विचारों को अवश्य सदन के समक्ष रखें, मगर इस प्रस्ताव पर मतदान के लिये आग्रह न करें। इन शब्दों के साथ, मान्यवर, जिन परिस्थितियों में यह प्रस्ताव आया है, उनमें मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, जो आज का विषय है, इस पर बोलने के लिये कोई बढ़ा उत्साह पैदा नहीं होता। किन्तु कभी कभी जब कर्त्तव्य और भावनाओं में परस्पर टक्कर हो जाती है तो उस वक्त कर्त्तव्य को प्राथमिकता देनी ही पड़ती है और यह प्रत्येक का कर्त्तव्य भी होना चाहिये और उसी लक्ष्य के अनुसार मैं अपने कुछ विचार इस अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। मान्यवर, आप भलीभांति परिचित हैं कि परिमाण का परिवर्तन गुणों में होता है। परिवर्तन होते होते एक स्थिति होती है कि गुणात्मक परिवर्तन होता है और उसमें स्थिति बदल जाती है। मगर एक अवस्था ऐसी आती है कि जब चीज बरदाश्त के बाहर हो जाती है और हमको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है और कभी कभी विद्रोह तक हो जाता है। आप इससे भली-भांति परिचित हैं।

माननीय होतीलाल अग्रवाल के खिलाफ प्रस्ताव के संबंध में अब मैं कुछ निवेदन करूंगा। उनके खिलाफ प्रस्ताव पर दस्तखत किये। वह इसलिये किये कि मुझे इस बात का सन्देह ही नहीं, पूर्ण विश्वास हो गया थ कि माननीय होतीलाल जी सरकार के किन्हीं वरिष्ट मंत्रियों और विशेष कर बनारसीदास जी के इशारे पर चलते हैं। जब हम यह देखते हैं तो मान्यवर, यह संदेह होने लगता है कि यहां प्रजातंत्र कैसे जीवित रख पायेगा। आज हम यह देख रहे हैं कि अगल बगल के देशों में प्रजातंत्र की व्यवस्थायें समाप्त होती जा रही हैं। आज की स्थिति में, यदि हमें, प्रजातंत्र को बचाना है और उसको मजबूत करना है, उसको पुष्पित पल्लवित करना है, तो उसकी रक्षा हम सब को मिल कर करनी होगी और उस स्थिति उस स्थान का गरिमा जिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भारद्वाज राय]

स्थान पर आप बैठे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस स्थान की है। माननीय होती लाल उस स्थान पर बैठ कर उन माननीय सदस्यों की आवाज को दबाते हैं जो कांग्रेस की गलत हुईतियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। हम लोगों में जो अविश्वास की भावना आज पैदा हो है वह इसी कारण है कि वे यहां उन लोगों को बोलने नहीं देना चाहते जो कांग्रेस की गलत नीतियों का स्पष्ट विरोध करना चाहते हैं।

मान्यवर, प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अन्दर यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि विरोधी दल और कांग्रेस पार्टी के बीच जो एक खाई सी है उसको कैसे पाटा जाय। ऐसे अवसर जब आते हैं चाहे वह बनारस यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे वह बांदा फायरिंग का मामला हो या खिरनी बांध का मामला हो या सवाई लगान का मामला हो, उन मौकों पर भी हमने भलीभांति देखा कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो प्रगतिशील विचारों के हैं और जो विरोध करते हैं उनको न ये खड़े होने का मौका देते हैं और न ही बोलने देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिसके लिये मैंने विरोध किया है और मैंने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत किये हैं।

मान्यवर, अध्यक्ष कौन हो, जाहिर है कि अध्यक्ष वही हो सकता है जो सबकी श्रद्धा का पात्र हो, जिसके प्रति सबका आदर हो और जो लोकप्रिय हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी इस समय अध्यक्ष पदासीन हैं, क्या कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोग जिनके हाथ में शासन की बागडोर है और संगठन की बागडोर भी है, क्या उन्होंने गरीबों को पेन्शन देना तय कर लिया है। पेन्शन देने का क्या और तरीका नहीं है क्या उसके लिये नियम नहीं बन सकते? क्या कांग्रेस पार्टी के अन्दर कुछ नौजवान लोग या अधेड़ अवस्था के लोग ऐसे योग्य नहीं हैं जिनको कि ऊंचे पद दिये जायं, जरूर हैं। क्या यही जरूरी है कि जिनके सिर हिलते हों, जिनकी कार्यक्षमता में ह्रास का स्तर काफी आ गया हो, उन्हें ही यहां बिठाया जाय? मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता तथा जो कांग्रेसी लोग हैं उनको यह बात गहराई से सोचनी पड़ेगी कि यह पेन्शन दरबार नहीं है कि उन्हें पेन्शन दो और हां हां सुनते रहो। मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय होतीलाल जी पिछले पांच वर्षों में सदन की कार्यवाही चलाने में सफल नहीं हुये हैं। वे योग्य हैं पर इतने योग्य नहीं हैं कि आज की स्थिति को सम्हाल सकें। एक कारण विरोधी विचार हो सकते हैं और भी कारण होंगे। एक मिसाल देता हूं कि कभी कभी शोरोगुल व हल्ला हो जाता है तब आप देखें। लेकिन आप भी तो हैं कि बखूबी सम्हाल ले जाते हैं। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं वस्तु-स्थिति को समझता हूं और महसूस करता हूं। अभी माननीय जगदीश शरण जी बैठे हुये थे वे किस खूबी से सम्हाल ले जाते हैं। माननीय विष्ट जी हैं वे किस खूबी से सम्हाल ले जाते हैं। हम कभी कभी किसी गुस्से या झुंझलाहट में होते हैं तो उनको मैं देखता हूं कि वे भी लगातार बोलते चले जाते हैं। कुछ विराम या अर्द्ध विराम तो होना चाहिये, पर नहीं, विराम या अर्द्ध विराम की तो उनके व्याख्यान में आवश्यकता ही नहीं होती। हम बोल रहे हैं तो वे भी बोल रहे हैं। दोनों साइमल्टेनियसली बोलते चले जाते हैं। हमारे पक्ष के भाई जो बहुत तेज बोल लेते हैं उनसे भी वे ज्यादा तेज बोलते हैं। मुझे यह भी अहसास होता है कि जब वे चमकी दे देते हैं तो हमें उनके प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ती है। परन्तु अगर उनकी भृकुटी टेढ़ी हो गई तो फिर क्या है, पैर हिलने लगते हैं, साथ ही सिर हिलने लगता है, स्वयं व्यवस्था का अभाव उनके कार्यकलाप में मुझे दिखाई पड़ता है। दूसरा मेरा आरोप यह है कि अक्सर वे सरकार के इशारे पर अपनी बातें बदलते हैं अपनी व्यवस्थायें बदलते हैं या उनको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी अनभिज्ञता या व्यवस्था में परिवर्तन इस पद पर बैठे हुये व्यक्ति के लिये शोभा नहीं देता है। बार-बार कहा जा चुका है कि हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत के बाद जो भी आजादी स्थानीय स्वशासन का जो भी शासन हमारे अधिकार में आया उसमें टन्डन जी पहिली बार बैठे थे और उनके द्वारा जो परम्परायें डाली गईं वे भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस बात की शिकायत उन्होंने बार-बार की कभी अकेले भी और कहीं व्यवस्था के प्रश्नों के जरिये भी यह बात कही। श्रीमन्, एक बात मैं कहूं कि श्री आत्म-

राम गोविन्द खेर, जब इस सदन के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक परम्परा डाली कि जैसे यहां किसी विषय पर दो घंटे बहस हुई और विरोधी पार्टी में पांच पार्टियां हैं तो वे पहले पांचों पार्टीज से एक एक सदस्य को बोलने के लिये बुलाते थे ताकि उस विषय पर हर पार्टी के विचार आ जायं। हर पार्टी को सुनने के बाद वे इधर के तीन चार सदस्यों को बुला लेते थे। यह नहीं कि अगर जनसंघ के सदस्य अधिक संख्या में हैं तो उनके तो तीन सदस्य को बुला लें और किसी दल के अगर १०-१२ सदस्य हैं तो उसके एक भी सदस्य को बोलने के लिये न बुलावे और उस विषय पर उस दल का कोई प्रतिनिधित्व ही न हो। अतः खेर साहब ने यह परम्परा डाली कि थोड़े समय के लिये भी अगर बहस होती है तो हर पार्टी के एक एक और दो दो सदस्य को बोलने का अवसर मिलना चाहिये। वह परम्परा इन्होंने समाप्त कर दी जिससे एक विक्षोभ पैदा हो गया। जब यह स्थिति है कि हम सब का उनमें अविश्वास है, जब यह स्थिति है कि कांग्रेस दल के कुछ लोगों का उनमें अविश्वास है और श्री नरसिंह नारायण पांडेय जी को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि हम उसका विरोध करते हैं, दबी जबान से समर्थन ही किया, तो ऐसी स्थिति में जब कि कांग्रेस के तीन चार सदस्यों ने अविश्वास के प्रस्ताव पर दस्तखत किया था, उनमें से दो ने किन्हीं कारणों से दबाव में आकर अपना नाम वापस ले लिया लेकिन एक कांग्रेसी सदस्य आखिर तक अड़े रहे और जब उपाध्यक्ष के प्रति इस तरह की श्रद्धा और अनादर का भाव पैदा हो गया हो तो श्री होती लाल जी को स्वयं ही इस पद से इस्तीफा देकर हट जाना चाहिये। आखिर इसमें रखा हुआ ही क्या है? कोई दाल रोटी की कमी तो पड़ेगी नहीं। इसीलिये मैं सममता हूं कि स्वयं अपने पद से इस्तीफा देकर वे हट जायं ताकि यह तमाम मामले समाप्त हों।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, आज का प्रस्ताव वास्तव में, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा इस प्रकार का है कि यदि इस समय न आता तो अच्छा होता। क्योंकि सदन के इस टर्म के ४ वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब एक वर्ष भी नहीं बल्कि कुछ महीने ही बाकी रहे हैं। पता नहीं इस बीच में सदन कितने दिन के लिये बैठेगा और कितने दिन के लिये नहीं बैठेगा और कदाचित् हो सकता है कि न भी बैठे और अगर बैठा भी तो कभी ५-७ दिन के लिये बैठ सकता है, इस तरह से इस प्रस्ताव का आना अच्छा नहीं हुआ। वास्तव में यदि उपाध्यक्ष के विरुद्ध कोई बात होती, वास्तव में यदि उपाध्यक्ष के रवैये के संबंध में या कोई पक्षपात का चार्ज उनके वि द्ध इस सदन का होता तो उन बातों पर आज से एक या दो वर्ष पहले या ६ महीने पहले ही विचार होता। परन्तु कोई ऐसी बात हुई नहीं है। हां, सदन में कभी-कभी यह चर्चा तो हुई कि उपाध्यक्ष महोदय बड़े सीधे हैं। अध्यक्ष जो कभी नाराज भी हो जाते हैं लेकिन वे कभी नाराज नहीं हुये और न कभी इस तरह का कोई प्रश्न सदन के सामने आया। श्रीमन्, अभी माननीय उग्रसेन जी ने कुछ कोटेशन दिया जिनका संबंध माननीय उपाध्यक्ष के व्यक्तिगत जीवन से है। लेकिन अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में उनके व्यक्तिगत जीवन की कोई बात नहीं आनी चाहिये क्योंकि उपाध्यक्ष के पद का उनके व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध तो है नहीं। भद्दे आदि की जो बातें कही गयीं, वे न कही जातीं तो अच्छा होता। उपाध्यक्ष के नाते जो काम उनको करना होता है उसी बारे में बातें कहनी चाहिये।

श्रीमन्, विरोधी दल के सदस्यों के दो भाषण हुये लेकिन एक भी भाषण में यह बात नहीं आयी कि उन्होंने अमुक-अमुक निर्णय दिये जो ठीक नहीं थे, वे उचित नहीं थे या पक्षपातपूर्ण थे। ऐसे निर्णय के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष का काम है, कर्तव्य है कि अध्यक्ष महोदय जब न बैठे हों तो वह पीठासीन हों। दूसरी बात यह है कि कुछ कमेटीज के वे चेयरमैन होते हैं उपाध्यक्ष होने के नाते। किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि फलां समिति के वह चेयरमैन थे और उसका कार्य वह अच्छी तरह से सम्पादित नहीं करा सके। शिकायत केवल है कि पक्षपात, पक्षपात। मैंने भी मेज को देखा है और मैं उग्रसेन जी की बात से सहमत हूं कि उपाध्यक्ष जिस समय यहां पीठासीन हों उनके अन्दर दो ही बातें अवश्य होनी चाहियें। एक अथारिटी और दूसरी इम्पार्शलिटी। उनकी इम्पार्शलिटी तो इस प्रस्ताव से ही सिद्ध होती है। प्रस्ताव पर

[श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)]

माननीय सदस्यों के जो कांग्रेस के हैं उनके भी हस्ताक्षर थे, भले ही वे अनुशासन से वापिस ले लिये गये हों। इससे यह सिद्ध होता है कि माननीय होतीलाल जी ने कांग्रेस के और विरोधी दलों के नाते पक्षपात नहीं किया, बल्कि एक सा बर्ताव किया। इस प्रस्ताव पर जनसंघ के और प्रजा समाजवादी दल के नेताओं के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस देश में कुछ दल ऐसे हैं जो कहें कुछ भी लेकिन यह निश्चय है कि संसदीय प्रजातंत्र मे उनका विश्वास नहीं है। संसदीय प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाला कानून में आस्था रखेगा और अपनी बात को मनवाने का प्रयत्न समझा कर करेगा, जबरदस्ती नहीं। अगर वह हिन्सा पर आ जाता है तो इस के मानी हैं कि वह संसदीय परम्परा में विश्वास नहीं करता है। हमारे देश में दो दल ऐसे हैं, संयुक्त समाजवादी दल और साम्यवादी दल, जिनके कुछ दिनों के आचरण से सिद्ध हो गया है कि उनका विश्वास संसदीय परम्परा में नहीं रहा। हिन्सा की तरफ वे जाते हैं। हिन्सा का मतलब मारने से ही नहीं है, हिन्सा मन से भी होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अधिष्ठाता जी, माननीय जगदीश प्रसाद जी तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। वह इधर उधर की बातें न कहकर जो प्रस्ताव है उसी पर बोलें तो अच्छा रहे। उपाध्यक्ष ने नियमावली पालन किया है, संसदीय परम्पराओं का पालन किया है, ऐसी बातें कहें।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

यह एक प्रश्न है। मैं इसको पढ़कर सदन का ज्यादा समय नहीं लूगा। इसमें लिखा है कि देश में जितने आन्दोलन हुए उनमें सबसे ज्यादा हिन्सा उन आन्दोलनों में हुई जो एस० एस० पी० ने चलाये थे और दूसरे नम्बर पर उनमें हुई जो कम्यूनिस्ट पार्टी ने चलाये थे। यह ६४ से ६५ तक का है। २१ अन्दोलन एस० एस० पी० ने और १७ कम्यूनिस्ट पार्टी ने चलाये और दल इनसे पीछे रह गये। इस प्रस्ताव के स्पोंसर करने वाले भी विशेषतया वह दो दल हैं। मैं आ रहा हूं विषय पर। समय कम है।

श्री केसरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

इससे जाहिर है कि आप पहले विषय से बाहर बोल रहे थे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

सदन में हिन्सा यह होती है कि जो संविधान के अन्तर्गत हमारी प्रक्रिया नियमावली बनी हुई है हम उसका पालन न करें। उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि आप बैठ जाइये, बैठ जाइये, परन्तु आप बोले चले जाते हैं और बैठते नहीं हैं। क्या ऐसा नहीं होता है? झारखंडेराय जी ने कहा कि उपाध्यक्ष महोदय बोले चले जाते हैं जबकि हम बोलते हैं, माननीय सदस्य भी बोलते हैं। नियम यह है कि जब उपाध्यक्ष बोलें तो किसी माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिये। उपाध्यक्ष कहते हैं कि बैठ जाइये, लेकिन माननीय सदस्य खड़े रहते हैं और बोले चले जाते हैं तो कहना यह चाहिये कि जब उपाध्यक्ष बोलते हैं तो सदस्य बोले चले जाते हैं। जब हम नियमों को नहीं मानते हैं तो हिन्सा करते हैं और हमारी मनोवृत्ति बदल जाती है। हम न्याय उसको समझते हैं जो हम चाहते हैं और जब वह नहीं होता तो कहते हैं कि अन्याय है। झगड़ा सिर्फ इस बात पर है कि मुझे नहीं बोलने दिया, मुझे नहीं बोलने दिया। आज तक किसी ने कभी यह नहीं कहा कि माननीय उपाध्यक्ष ने भाषा खराब बोली या किसी को सख्त शब्द कहे। बल्कि अभी जैसा उग्रसेन जी ने कहा, वह बैठिये भी नहीं कहते हैं, विराजिये कहते हैं। तो इतना मीठा शब्द वह इस्तेमाल करते हैं माननीय सदस्यों के लिये। उनकी भाषा का विरोध नहीं, किसी निर्णय का विरोध नहीं। पक्षपात का बिरोध नहीं। विरोध केवल यह है कि मुझे नहीं बोलने दिया।

(इस समय १ बजकर ५२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

मेज पार्यिलामेन्टरी प्रेक्टिस में लिखा है कि "आल स्पीचेज आर एड्रेस टू हिम, यानी चेयरमैन, ऐन्ड ही काल्स अगेन मेम्बर्स टू स्पीक ए च्वायस विच इज नैवर डिसप्यूटेड"। तो माननीय उपाध्यक्ष के इस राइट को क्वेश्चयन करना भी मुनासिब नहीं है। किसी माननीय सदस्य को यह नहीं समझना चाहिये जो वह कहता है केवल वही सही है और जो दूसरा कोई कहता है वह सब गलत है। हो सकता है कि उनका कहना भी कभी गलत हो। मैं बिलकुल सन्तुष्ट हूं कि माननीय उपाध्यक्ष का रवैया बिलकुल निष्पक्ष रहा और उनका कोई निर्णय गलत नहीं हुआ। अनुच्छेद २०३ में साफ लिखा है कि चार्ज्ड व्यय पर वोटिंग नहीं होगी, बहस हो सकती है। एप्रोप्रियेशन बिल में व्यय रखा जायगा चूंकि वह कंसालिडेटेड फंड से रुपया निकालने की बात होती है। इसलिये चार्जड व्यय पर राय न लेने की बात नियमानुसार मालूम होती है।

जो माननीय सदस्य यह शिकायत करते हैं कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया, आप सदन की कार्यवाही उठाकर देख लीजिये, उन्हीं को सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिला है। उनको इस बात की आदत पड़ गई है कि वे शोर मचाकर उन्हें मजबूर करना चाहते हैं।

अन्त में मैं माननीय प्रस्तावक सदस्यों से एक अपील करूंगा। मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना एक संसदीय अधिकार हैं जिस पर बहस हो जाती है। परन्तु हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी उसी जगह नहीं रख देना चाहिये। जैसा उग्रसेन जी ने कहा, इनके विरुद्ध तो प्रस्ताव ला ही रहे हो, माननीय मदन मोहन वर्मा के विरुद्ध भी ले आओ। इस तरह से संसदीय परम्पराओं का पालन नहीं हो सकेगा।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे दल की यह निश्चित राय बनी हुई है कि उपाध्यक्ष महोदय ने प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे दल को प्रतिनिधित्व करने से रोका है। उनके फैसलों, निर्णयों और रूलिंग्स से हमने यह देखा है कि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। अभी माननीय जगदीश प्रसाद जी बोल रहे थे उससे स्पष्ट पता चलता था कि वे सच्चाई के छिपाने के लिये नाटकीय ढंग से अपनी बातों को रख रहे थे। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि हाउस आफ कामन्स पर आधारित यह सदन और इस सदन की डेमोक्रेसी की मान्यतायें किस तरह से जीवित रह सकती हैं और मैं सरकार के वरिष्ट लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग संसदीय और लोकतंत्रीय परम्पराओं की बहुत बातें कहते हैं। इस सदन में एक परम्परा थी कि अगर स्पीकर बहुमत दल का होता था तो डिप्टी स्पीकर विरोधीदल का होता था। लेकिन माननीय सी० बी० गुप्ता ने एक नयी परम्परा को जन्म दिया और उन्होंने इस पद पर भी अपने ही दल के सदस्य को आसीन किया। ६२, से जब से गुप्ता जी यहां रहे, मैंने देखा कि किस तरह से उनकी आंखे माननीय उपाध्यक्ष को देखती थीं, मैं घबरा जाता था। वे इस तरह से देखते थे मानों कोई खूंखार भेड़िया किसी मेमने की ओर देख रहा हो और इस प्रकार से अपनी आत्मशक्ति नहीं बल्कि अपनी पदशक्ति के बल पर उस कुर्सी पर बैठे हुये एक महामानव के रूप में बैठे हुये इन्सान से पक्षपात कराता था। इस प्रकार से उपाध्यक्ष द्वारा सदन के सदस्यों के अधिकारों का शोषण होता रहा है।

एक मसले में नहीं, अनेकों मसलों पर हमारी पार्टी को बोलने का मौका नहीं दिया। बांदा जैसे महत्वपूर्ण मसले पर हमारी पार्टी को नहीं बोलने दिया। कल ही हरिजनों की एक ग्रान्ट पर विचार हुआ था। हरिजनों का मसला कोई मामूली मसला तो है नहीं और उस समय और भी इसका महत्व बढ़ जाता है जब कि देश पर बाहर से आक्रमण होने का खतरा बना हुआ है, देश के अन्दर हजारों की तादाद में लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, कमजोर और लैंडलेस पड़े हुये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

उन करोड़ों इन्सानों के लिये कटमोशन रखा गया । उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उसको भी एबाइड करने की चेष्टा की गयी । यह भी जनतंत्र के लिये हानिकारक हुआ ।

इस प्रकार से कहने को तो हजारों इस प्रकार के फैसले और मिसालें उपस्थित की जा सकतीं हैं लेकिन मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि एक ओर तो हाउस आफ कामन्स की परम्पराओं की दुहाई दी जाती है तब क्या कभी किसी ने माननीय उपाध्यक्ष से इस बात के लिये भी कहा कि कम तादाद वाले लोगों के प्रति जो उपेक्षापूर्ण व्यवहार हुआ, उनको उन्हें नहीं करना चाहिये था । मैंने कई बार माननीय विरोधी दलों के नेताओं को भी इंगित करके यह मांग की कि रिपब्लिकन दल के सदस्यों की संख्या कम है, बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर उनको बोलने नहीं दिया जाता है । लेकिन वहां तो डिवाइड एन्ड रूल की नीति अपनायी जा रही थी । कल जब अविश्वास का प्रस्ताव अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत हुआ और जब अनुज्ञा मिल जाने के बाद वे यहां पर आये, इस प्रकार उन्होंने नयी परम्परा को जन्म दिया । उनकी उम्र भी काफी ज्यादा है । वे पुराने लड़ाकू और अच्छे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में से रहें हैं, उनकी नियत पर, उनके आचरण पर शक करना मैं उचित नहीं समझता । मैंने पहले ही कहा था कि वह किसी पोलिटिकल प्रेशर के अन्तर्गत आज तक सदन में एक भी उचित फैसले न दे सके और शासन के कुछ लोगों ने उन्हें कभी उचित फैसला नहीं करने दिया । वह दल आज उनकी हिमायत करता है और आज उधर के लोग इसको स्वीकार करने में भी हठधर्मी करते हैं । वह इस बात को स्वीकार करें कि इस तरह से जनता की प्रजातन्त्र में आस्था कम होती है । प्रदेश के एक मसले पर नहीं बल्कि जब जब भी ऐसी समस्यायें यहां आई हैं सदन में डिबेट के लिये या किसी अन्य प्रश्न के लिये तब तब उन्होंने हमेशा ही सरकारी पक्ष का साथ दिया है ।

जहां तक अध्यक्ष महोदय की बात है, उन्होंने यह बात अवश्य की कि उनके प्रारम्भिक काल में कुछ ऐसा आचरण रहा हो लेकिन बाद में उनके बहुत से निर्णय ऐसे हुये हैं कि जो सरकार की नीतियों और नियत के विरुद्ध हुये हैं । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष की एक भी रूलिंग आज तक ऐसी नहीं हुई कि जो सरकार के विरोध में हो । उन्होंने मुतवातिर यहां पर इस सदन की गरिमा, मर्यादाओं और मान्य परम्पराओं का एक तरह से हनन किया है । उनकी उपस्थिति में इसी सदन में बहुत से मंत्रियों ने खड़े होकर सदन का अपमान किया है, कई मंत्रियों ने खड़े होकर इस सदन में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो किसी भी तरह से संसदीय नहीं थे और जिन शब्दों के लिये उधर वालों ने कई बार माफी मांगी है लेकिन मंत्रियों के ऊपर उन्होंने कभी कोई अंकुश नहीं लगाया और उनको ऐसे शब्दों को वापस लेने के लिये मजबूर नहीं किया । ऐसा करके उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया । प्रजातन्त्र में इस तरह के उदाहरण मिलेंगे जब कि अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने नई नई परम्पराओं को जन्म दिया है और सदन की गरिमा को ऊंचा उठाया है । माननीय टंडन जी के काल में किसी मुस्लिम लीग के सदस्य ने उनकी नीयत पर हमला किया । उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को बरदाश्त नहीं कर सकता, कल ही मुझे पता चला कि उन्होंने फौरन कहा कि एक भी सदस्य अगर मेरे खिलाफ होगा तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा । यह आदर्श था यहां का । लेकिन यह कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं टंडन जी तो बहुत बड़े आदमी थे। प्रश्न यह है कि जनतंत्र में सदन में जो जनप्रतिनिधि यहां आते हैं यदि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां रखना चाहते हैं, अपने दलों के राजनैतिक विचारों को यहां व्यक्त करना चाहते हैं तो उनको पूरा अवसर और स्वन्त्रता होनी चाहिये और यदि उसमें उस आसन से कोई व्यक्ति रुकावट डालता है तो प्रजातन्त्र चल नहीं सकता । मैंने पिछले दिनों एक बार उनसे मुलाकात भी की और उनसे कहा कि लोक सभा में हमारे दल की कुल संख्या ३ है और वहां पर हमारे रिपलिब्कन दल को एक राजनैतिक दल के स्तर पर रिकगनाइज किया जाता है और हमारे सदस्यों को वहां उतना ही अवसर मिलता है जितना दूसरे दलों के सदस्यों को मिलता है । वहां हमारे दल अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और विचारधारा को स्वतन्त्रता से व्यक्त कर सकता है । हमारी रिपब्लिकन पार्टी का सदन में प्रतिनिधित्व है, वह एक रिकगनाइजड पार्टी है, उसका एक संविधान है, उसके पीछे मास सपोर्ट है लेकिन यदि हमें यहां अपने विचार व्यक्त करने का अवसर उनके समय में नहीं मिलता तो हम किस को दोष दें ? यह जरूर है कि हमारे

सदस्यों के पास मोटरे और कोठियों नहीं हैं लेकिन हम यह मानते के लिये तैयार नहीं हैं कि हमारे दल के लोगों में मानवता नहीं है, आचरण नहीं है। उनके अन्दर वह सारे गुण हैं जो जनतन्त्र के मानने वाले लोगों में होने चाहिये। हमे कोई हर्ष नहीं है लेकिन हम विवश हैं इस तरह के प्रस्ताव को सपोर्ट करने के लिये क्योंकि हमारे साथ बराबर गलत व्यवहार पक्षपातपूर्ण व्यवहार उनका हुआ है। मुझे शर्म आती है यह कहते हुये कि जिस तरह के इन्सानों की प्रजातन्त्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिये जरूरत है वह अभी पैदा ही नहीं हुये हैं। अगर मंत्रियों के आचरण के बारे में यहां विवाद की बात हो तो उसमें क्या कठिनाई है? अगर उनके आचरण खराब नहीं हैं तो फिर वादविवाद में क्या रुकावट है? वह हों और जो भी चेयर पर हो उससे उसकी इजाजत मिलनी चाहिये। इससे प्रजातन्त्र की रक्षा होती है। लोकतंत्र, हाउस आफ कामन्स और संसदीय परम्पराओं का नारा लगाया जाता है। एक तरफ तो कहा जाता है कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी के लोग ऐसा करते हैं, गड़बड़ी करते हैं और दूसरी ओर हमारे कांग्रेस के भाई कहीं पर गोली चलवाते हैं, कहीं पर लाठी चार्ज करवाते हैं। इस प्रकार से जनता के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है और जुल्म ढाये जा रहे हैं। आज जनता का इस सदन पर अविश्वास है, इस सरकार पर अविश्वास है और इस पूरे देश का अगर अविश्वास बना रहेगा तो कैसे काम चलेगा?

इन शब्दों के साथ मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, इस डिबेट को देख कर और सुन कर मुझे शेक्सपियर का "ऐज यू लाइक इट" नाम का ड्रामा याद आ गया जिसमें आरलैंडो एक कैरेक्टर है। यह जंगल में जाता है। वहां पर एक बेनिश्ड ड्यूक है। उससे वह तलवार के फोर्स पर खाना छीनता है, तब वह शिकायत करता है कि यह असभ्य व्यवस्था है। यदि आप मांगते तो हम वैसे भी दे सकते थे। इस पर उन्होंने कहा कि जंगल में जंगल का राज चलता है। आज जैसी परिस्थितियां हैं, और जैसी मान्यतायें हैं, स्पीकर को मजबूर हो कर वैसा ही होना पड़ता है यदि उसे काम चलाना हो।

माननीय सदस्य कहते हैं कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कुछ मेम्बर भी कहें तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सही है और अच्छी परम्परा है लेकिन जहां और भी स्वस्थ परम्पराएं है वहां ऐसा किया जा सकता है अन्यथा नहीं। आज जनता का विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों में भी विश्वास नहीं है, और न सरकार में, यदि कुछ रह गया है तो केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति रहा है। यह प्रजातंत्र की आखिरी लौ थी। क्या माननीय सदस्य इस लौ को भी बुझा देना चाहते हैं। आज की परम्परायें क्या हैं कुर्सियां तोड़ो शोर मचाओ, स्पीकर के आदेशों की कन्सिस्टेन्ट अवहेलना करो। सारे के सारे अपोजिशन के लीडर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध बोलने लगे तो इस मास डिफाएन्स की परम्परायें किसी और देश में भी हैं क्या? क्या किसी मुल्क में यह परम्परा है कि अध्यक्ष के लिए यह कहा जाय कि आप बेईमानी करते हैं? स्पीकर को मजबूर हो कर ऐसे काम करने होते हैं ताकि वे हाउस की डिगनिटी को मेनटेन कर सकें। ऐसा काम विरोधी दल के सदस्यों को बुरा लगता है। यदि ऐसा न किया जाय तो सदन का कार्य कैसे हो सकता है? इसके बावजूद भी अगर हमारे सदस्य यह चाहते हैं कि यहां पर डैमोक्रेसी की प्रणाली न रहे तो क्या वे डिक्टेटरशिप को लायेंगे? मेरी समझ में नहीं आता कि हम अपने देश को कहां ले जा रहे हैं। किसी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव दो बातों पर ला सकते हैं। नम्बर १ कि उसने उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ कर सदन में कोई गलती की, या अन्याय किया,

२—उसने कमेटियों में बैठ कर मेम्बरों के साथ कोई अन्याय किया,

[श्री नौरंगलाल]

३—यह कि ऐज ऐन इंडिविजुअल उस शख्स में यह सभ्यता है कि नहीं कि ठीक बात करे और ढंग से बात करे। ये तीन तरीके हैं जिन से आप अन्दाज कर सकते हैं। क्या माननीय उपाध्यक्ष ने इस सदन में किसी मेम्बर के साथ अन्याय किया ? आवाज उठायी जाती है कि उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। मान्यवर, यह शिकायत तो कांग्रेस के सदस्यों को करनी चाहिये। लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीकर के कुछ लिमिटेशन्स हैं, हम लोगों ने एक परम्परा बना रखी है कि जब स्पीकर किसी लिस्ट से नाम पुकारे तो विभिन्न पार्टियों के नेताओं से पूछ ले कि कौन कौन सदस्य बोलना चाहते हैं, तो जब हर पार्टी के लीडर से नामों के बारे में पूछा जाता है कि अपनी-अपनी लिस्ट दो कि कौन अच्छा बोलने वाला है, कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं, जब उनसे लिस्ट मांगी जाती है और उसके मुताबिक उपाध्यक्ष को चलना पड़ता है तो या तो उस परम्परा को तोड़ दो और अगर उस आदमी को बुलाये जिस पर उसकी निगाह पड़े तो कल को यह होगा पार्टी वाले बिगड़ जायंगे। अब आप बतायें कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बेचारा क्या करे। माननीय विरोधी दल के सदस्यों को गुस्सा करना चाहिये अपनी पार्टी के लीडर्स पर जो उन का नाम नहीं भेजते, लेकिन उन पर गुस्सा न कर के गुस्सा आया माननीय होती लाल पर। उन्होंने इतनी सज्जनता बरती कि जिनके नाम लिस्ट में नहीं होते उनको भी बुलाते हैं जो सरकार का डट कर विरोध करते हैं, उनको भी कई दफा बुलाया। तो जब वह एक बैलैन्स्ड कोर्स बीच में रखना चाहते हैं कि लिस्ट में से भी नाम आ जायें और इंडिविजुअल भी लोगों को बोलने का मौका मिल जाय तब फिर क्या शिकायत का मौका रह जाता है ? फिर कांग्रेस के मेम्बर्स अपोजीशन वालों से ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि हमारी दुगनी स्ट्रेन्थ है और कायदे से अगर कांग्रेस के दो बोलें तब विरोधी दल का १ सदस्य बोलना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को बराबर का मौका मिलता है। लेकिन हमें इसकी शिकायत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें उन की कोई गलती नहीं है, और आप को जितनी इज्जत मिलनी चाहिये वह हम देंगे। कमेटियों के भी वह अध्यक्ष हैं, कहीं पर भी किसी कमेटी में कोई बात ऐसी नहीं हुई जिससे आप को शिकायत हो। तब फिर क्या आप को पर्सनल शिकायत है ? मैं समझता हूं कि जो हल्ला यहां होता है उस के लिये तो ऐसा उपाध्यक्ष होना चाहिये जो आप सब से ज्यादा शोर और हल्ला मचाये। लेकिन माननीय होती लाल जी ऐसे नहीं हैं, ऐसे सदन के लिये ही इज टू जेंटिल, टू गुड। ऐसे हाउस के लिये जहां पर सिवाय चिल्लाने के और कुछ नहीं किया जाता है, वहां ऐसा अध्यक्ष होना चाहिये जो कि सब से ज्यादा शोर मचाने वाला हो। मेरी राय में ही इज टू गूड, टू जेंटिल ऐंड टू नोबिल। और यदि आप ने आज उनको निकाल दिया, जिसकी कि कोई सम्भावना नहीं है, तो मैं कहूंगा कि—

"एक शमा थी धीमे धीमे जल रही, बादे सरसर ने बुझा उसको दिया,
एक झोंका था नसीमे सुबह का, बादे सरसर ने जला उसको दिया।"

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

श्री अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विषय पर कोई पक्ष में बोला और कोई विपक्ष में बोला किन्तु मैं दोनों का समन्वय एक कहानी और एक कविता द्वारा करके अपने उद्गारों को व्यक्त करूंगा। श्रीमन् ! जब कामदेव ने साधु, सन्त, ऋषि, मुनि, राजा, महाराजा, पशु और पक्षियों आदि तक पर विजय पा ली, तो उसे बहुत बड़ा अभिमान हो गया और समझा कि उसने मानो दिग्विजय कर ली है। तब तक नारद जी आ गये, और उन्होंने कहा, "अभी शंकर जी रह गये हैं, उन पर भी विजय पा लो तब तुम समझो कि पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है।" तब कामराज ने कहा

कि "शंकर जी कहां रहते हैं और कैसे हैं?" तब नारद जी ने कहा कि, "वह कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है, गले में सांप है, माथे पर चन्द्रमा है और विजया (भंग) में मस्त रहते हैं।" झट कामराज पहाड़ों पहाड़ों पर शंकर जी को ढूंढ़ने लगा, परन्तु वह कैलाश पर्वत की जगह मलयागिरि पर जा पहुंचा। वहां उसे शिवजी तो नहीं मिले किन्तु एक विरहिणी ब्रजाङ्गना मिल गई। वह उसके माथे की वेणी को चन्द्रमा समझा, मखतूल मय केशों को सांप समझा, वक्ष के दोनों शूलों को त्रिशूल समझा, और उस की विरहाकुलता को भंग का नशा समझा, अतः उसे शंकर मान कर उस पर वार करने की इच्छा की। किन्तु कवि वहीं खड़ा हुआ था—उसने कामदेव को रोकते हुये कहा कि "अरे तू किस पर वार कर रहा है? यह शंकर जी नहीं हैं।

"शिवशैल नहीं, मलियागिरि है, यह चन्द्र नहीं शिर-वेणी विशाल है।
यह शेष नहीं मखतूल मय केश हैं, मौलि नहीं मुक्तानु की माल है॥
त्रिशूल नहीं, हैं वक्ष के शूल द्वय, विजया है नहीं, विरहा को विहाल है।
अयरे मनोज! संभारि के मारिये, ईश नहीं यह कोमल बाल है॥"

माननीय रामसुन्दर पाण्डेय जी, यह गुप्ता जी नहीं हैं, यह त्रिपाठी जी नहीं हैं, यह मदनमोहन वर्मा जी नहीं हैं। यह तो छोटी शक्ल मोटी अक्ल वाले श्री होतीलाल अग्रवाल हैं। आप किस पर वार कर रहे हैं?

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आज इस विषय पर १५ साल की अवधि में मुझ को खड़ा हो कर बोलना पड़ रहा है जिससे मैं समझता हूं कि इस सदन की मर्यादा और गरिमा कम हुई है। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि विधान के अन्दर इस बात का अधिकार दिया गया है यदि सदस्यों को महसूस हो कि स्पीकर अथवा डिप्टी स्पीकर पक्षपात करते हैं किसी एक दल अथवा किसी व्यक्ति विशेष के साथ तो उसके प्रति हटाने का अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। विधान के तमाम अधिकारों का इस्तेमाल करना हमेशा मुनासिब नहीं होता है। आज प्रश्न इस बात का नहीं है कि आप को अधिकार है अथवा नहीं, प्रश्न इस बात का है कि इसका औचित्य है या नहीं है। जिस दिन हमने संसदीय जनतंत्र माना उस दिन हमने बहुत से प्रतिबन्ध भी अपने ऊपर लगाये थे व्यक्ति के नाते और दलों के नाते। हर आदमी जानता है कि जनतंत्र में रूलिंग पार्टी होती है और विरोधी दल होते हैं—एक हो अथवा जैसा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है बहुत से हों। दोनों को इस बात का मौका मिलता है कि वे सदन के सामने सूचना एकत्रित कर के पेश करें और जानकारी बढ़ायें और जो बर्निंग प्राबलम्स हों देश और प्रदेश के सामने उन पर शान्तिमय ढंग से विचार विनिमय किया जा सके। आप को याद होगा कि स्पीकर आफ दी हाउस, इंग्लैंड के लिये कहा जाता है कि वह फर्स्ट सिटीजन हैं। हाउस की मर्यादा और गरिमा के वह संरक्षक होते हैं, सिम्बल होते हैं। यही नहीं इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं तथा भावनाओं के प्रतिबिम्ब हैं। हमारे और आप के भाषणों तथा विचारों विनिमय का संरक्षक होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। आज आप प्रस्ताव लाये हैं एक ऐसे व्यक्ति को हटाने के बारे में। मुझको ताज्जुब नहीं होता अगर कोई स्पेसिफिक चार्ज उनके खिलाफ उस प्रस्ताव में होता। आप को याद होगा हाउस आफ कामन्स और हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट में भी इस बात का अख्तियार है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आये तो वह प्रोसीडिंग्स के अन्दर हिस्सा ले सकते हैं और इसके माने यह हैं कि उनको पता होना चाहिये कि उनके खिलाफ क्या स्पेसिफिक चार्ज है। मुझे पंडित जी के वह शब्द याद हैं जो उन्होंने हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के स्पीकर के खिलाफ उन्हें हटाने का प्रस्ताव जब आया था तब कहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं कानूनी बहस में नहीं जाना चाहता जब आप ने पार्लियामेंट की मर्यादा को मिला ही दिया है। तो मेरा कहना यह है कि यह प्रस्ताव बिलकुल वेग है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर]

जब उग्रसेन जी बोल रहे थे तब मैं हाउस में नहीं था लेकिन उन्होंने यह कहा था कि बाबू होती लाल जी को बिठा कर बाबू बनारसी दास जी, द्वारा डैमोक्रेसी का जनाजा न निकालिये। मैं उन की बात का क्या जवाब दूं क्योंकि सही या गलत, मेरे दिमाग में यह भावना बैठ गयी है कि उग्रसेन जी उस दल के मेम्बर हैं जिसका यह संकल्प है कि देश में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का जनाजा उठा कर छोड़ेंगे। आज केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। आज यह बुनियादी सवाल है कि हिन्दुस्तान में पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी पनपेगी या नहीं। आज पार्लियामेंट मे देखिये, डाक्टर लोहिया साहब को हटाया जाता है, बागड़ी साहब को हटाया जाता है, मौर्य साहब को हटाया जाता है और यही नहीं, स्वतंत्र पार्टी, जो अपने आप को बहुत सीधा सादा समझती है, उस के मेम्बर्स को हटाया जाता है। क्या यह वह सिम्टम्स हैं कि हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी पनपने वाली है? जब सदन काम करता है तो आप को किसी एक व्यक्ति के अन्दर फाइनल अथारिटी देनी पड़ेगी चाहे वह "अ" हो या "ब" और उसके सामने आपको सिर झुकाना पड़ेगा। यहां टंडन जी, मावलंकर साहब और पटेल साहब के उदाहरण दिये गये। मुझे याद है, जब राजर्षि टंडन जी कुर्सी पर विराजमान थे तो पंडित पंत, जो हमारे उस समय के मुख्य मन्त्री थे, वह कोई बात कहना चाहते मगर उनके पैर में दर्द था। जब उन्होंने खड़े हो कर स्पीच शुरू की तो टंडन जी ने कहा कि आप के पैर में दर्द है, आप बैठ कर बात कीजिये। पंत जी, ने, जिनका नम्बर हिन्दुस्तान में पंडित नेहरू के बाद दूसरा था, कहा कि मैं आप की अनुमति चाहता था मगर हिम्मत नहीं पड़ी। इसी तरह से रफी अहमद किदवई, जिनका एक नाम है हिन्दुस्तान की हिस्ट्री के अन्दर, किसी से बात कर रहे थे। टंडन जी ने जब उन को सावधान किया तो उन को हंसी आ गयी और उस पर किस तरह से उन्होंने डांटा था वह भी इस सदन का इतिहास है।

आज चेयर कोई बात कहती है। चेयर का भी बड़ा कठोर कार्य है। इसको व्यवस्था देनी पड़ती है। मैं बोलना चाहता हूं लेकिन चांस मिल जाता है मेरे भाई शर्मा जी को। वह व्यवस्था देता है। कौन सा ऐसा स्पीकर है जिसकी व्यवस्था ऐसी हो कि सब को पसन्द आये? सब को खुश करना आसान काम नहीं है। मैं आप की आज्ञा से दो, एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं जो पंडित नेहरू ने, जिस समय स्पीकर के खिलाफ पार्लियामेंट में मोशन आया था, कही थी। वह अंग्रेजी में है, मैं उसका हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा:

"It is one thing not to like a ruling or to disagree with it or even to feel, if I may say so, slightly irritated about something that has happened. These things happen. But, it is completely a different thing to challenge the bonafides of the very person in whose keeping is the honour of this House. When we challenge his bona fides we betray before our countrymen and indeed before the world that we are little men and that is the seriousness of the situation. It is for you to decide because we are displaying to the world and to our country that we are little, quarrelsome men who indulge in frivolity, who indulge in accusation without thinking what that means and without thinking what the consequences of it might be."

मान्यवर, मैंने उदाहरण इसलिये दिया और मेरे कहने का मतलब यह था कि इस तरह की बात हो सकती है कि हम को नाराजगी हो मगर इसका इजहार इस तरह से किया जायगा तो सदन का कार्य चलना असम्भव हो जायगा।

माननीय झारखण्डे राय जी ने एक बात कही और उसका लुब्बेलुबाब यह था कि राजनीतिक दबाव में वह काम करते हैं। लेकिन उन्होंने एक भी एक्जाम्पिल नहीं दी। उनका कहना था कि उन की भावनाओं को जो कटु होती हैं उन को दबाते हैं। उनके कहने का

बतलब यह था कि हम प्रतिक्रियावादी बात कहते हैं। आप स्पीच पढ़ें और देखें तो जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि आधा समय इस हाउस का विरोधी पक्ष कायदे से लेता है और एक घंटा उसके हिस्से में एकस्ट्रा चला जाता है। हमारी प्रतिक्रियावादी नीति के बारे में कहने का उनको काफी मौका मिला है। बांदा की बात कही गई। जब मैंने स्पीचेज को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि बोलने वालों में, अपोजीशन का एक मेम्बर ज्यादा था। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि शिकायत का मौका क्या है। यह हाउस ११ बजे से ५ बजे तक यानी ६ घंटे बैठता है। अगर आधा समय दिया जाय तो तीन घंटे होता है।

एक बात कही गई। यह परम्परा डाली गई है पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में जिससे उसका स्मूथ फंकशनिंग हो। पार्लियामेंट में चीफ व्हिप्स होते हैं जिनका काम होता है कि वे अपनी पार्टी के लोगों को किसी विषय पर बोलने के लिये तैयार करें और उनके नाम पीठासीन व्यक्ति के पास भेज देते हैं। यह जरूर है कि वह लिस्ट मैनडेटरी नहीं है बल्कि वह एक गाइडिंग लिस्ट होती है ताकि आप उस के अनुसार माननीय सदस्यों को बोलने के लिये बुला सकें और सदन को तैयार किये हुये मेम्बरों की सही राय मिल सके। लोगों को शिकायत का मौका न आये इसके लिये चीफ व्हिप्स को चाहिये कि उस लिस्ट को अपने दल के कमरे में टांगे ताकि वही लोग बोलने के लिये खड़े हों जिनके उस लिस्ट में नाम हों। मेरे दोस्त फीरोजाबाद वालों ने कहा कि गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे तो वे बड़ी कठोर दृष्टि से डिप्टी स्पीकर को देखा करते थे। मैं किसी की दृष्टि का क्या जवाब दूं कि उनकी दृष्टि कहां थी लेकिन इस तरह का लांछन नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

शायद उसी दृष्टि ने तो कांग्रेस ज्वाइन करा दी।

श्री नवलकशोर—

मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। बुनियादी सवाल उठाये जाते तो जवाब देने की बात होती। मैं समझता था कि बुनियादी सवाल उठाये जायंगे कि स्पीकर पार्टीमैन हो, नान पार्टीमैन हो। टंडन जी उस जमाने में स्पीकर थे जब मुस्लिम लीग अपोजीशन मे थी और हिन्दी के प्रश्न पर उन्होंने कहा था कि यदि ३ आदमियों का भी अविश्वास होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर आज का विरोधी पक्ष होता तो हर घंटे इस्तीफा उन्हें देना होता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

स्पीकर की तुलना किसी मेम्बर से न करें, वह बड़ा आदमी होता है।

श्री नवलकिशोर—

अधिष्ठाता महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर हम सब को कुर्सी की इज्जत करनी चाहिये। इस सदन की डिगनिटी और डिकोरम की जिम्मेदारी जितनी चेयर पर है उससे ज्यादा हम पर है। अगर हम चेयर की अवहेलना करेंगे तो हम कार्य नहीं कर सकते। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

(श्री लखपतराम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय लखपतराम शर्मा निर्दलीय हैं। यदि इस सत्र की कार्यवाही को देखें तो उन्होंने ज्यादा समय लिया है। जब मैं खड़ा हुआ तो उनका कर्त्तव्य था कि वह बैठ जाते। लेकिन वह बैठे नहीं। आप इस पर व्यवस्था दें कि जब उन्होंने मेरे अधिकार का हनन किया तो उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिये या नहीं ?

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं सहाई दे दूं। अविश्वास के प्रस्ताव में मेरे दस्तखत हैं।

श्री अध्यक्षा—

माननीय शर्मा जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव दिया है। इसलिये मैंने उनको बोलने के लिये बुलाया है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्षा महोदय, आज का विषय बहुत ही गम्भीर और विचारणीय प्रश्न है। जहां तक माननीय टंडन जी की नजीरें पेश की गयीं उसके सिलसिले में इतना ही कहूंगा कि उसके उत्तर में उपाध्यक्ष जी ने स्वयं कह दिया कि मुझे टंडन जी न समझा जाय, मैं टंडन जी नहीं हूं। माननीय सदन को गम्भीरता से विचार करना है कि यह परिस्थिति सदन में आयी क्यों? और इसकी प्रौचित्य क्या है? जहां तक ब्रिटिश पार्लियामेंट की नजीरें दी गयीं वहां का स्पीकर, चेयर पर पहुंचने के बाद किसी पार्टी से संबंधित नहीं रहता। वह नान पार्टी मैन हो जाता है जब कि हिन्दुस्तान और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां पर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का विशेष संबंध राजनीतिक दल से रहता है, कांग्रेस पार्टी से रहता है। जब किसी व्यक्ति का संबंध किसी पार्टी से रहता है तो अनुशासन समझिये, संबंध समझिए, उसका भय और असर उस आदमी पर काम करता है। उसे मिटाया नहीं जा सकता। जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा कि कुछ लोगों को ऐतराज है कि कुछ लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता इस पक्ष नाराजी है, जो नियम हैं आप जिसको चाहें मौका दें या न दें लेकिन किसी माननीय सदस्य को बुलाये जाने पर किसी माननीय सदस्य को यह आशंका हो कि जानबूझ कर पक्षपात करते हैं किसी के कहने से करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह चीज शोभा नहीं देती। कुछ माननीय, सदस्यों ने कहा कि इसके अन्दर बहुत से माननीय सदस्यों ने दस्तखत नहीं किये इसलिये उनका अविश्वास के प्रस्ताव से सम्बन्ध नहीं है। उन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल जब अनुज्ञा मांगी गयी तो ९६ माननीय सदस्य खड़े हुए और इस प्रकार उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव से सम्बद्ध किया। जितने राजनीतिक दल विरोधी दल के रूप में हैं सब ने एकदम खड़े हो कर अनुज्ञा में वोट दिया। कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने भी वोट दिया। इससे साफ जाहिर है कि उनका अविश्वास माननीय उपाध्यक्ष पर है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस मामले को ज्यादा कड़ा न किया जाय। यह दूसरी चीज है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करें, यह समझने का प्रश्न है कि उस पर वोट कराया जाय या न कराया जाय। लेकिन अध्यक्षा जी, यदि उपाध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष पर कई माननीय सदस्य बहुमत की तादाद में अविश्वास कर दें और एकमत से वोट दें तो आपको मानना पड़ेगा कि लोगों की राय उनके विपक्ष में है और उनकी कार्य-प्रणाली, नीति और निष्ठा पर लोगों को विश्वास नहीं है उस पर उनको संदेह है। उनको अपने पद पर रहने का अधिकार तभी तक है जब तक उन पर लोगों का विश्वास है। मैं उनकी बात को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही अपने मुंह से कल कह दिया है कि मैं टंडन जी नहीं हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह कुर्सी उसी समय की है और यह कुर्सी वही पवित्र कुर्सी है जिस पर कभी टंडन जी बैठे हैं और इसी कुर्सी पर से उन्होंने यह शब्द कहे हैं। मैंने माना कि वह टंडन जी नहीं हैं लेकिन यह कुर्सी वही पवित्र कुर्सी है और उसकी पवित्रता की रक्षा करना एवं आपका दायित्व और कर्त्तव्य है और उस पर बैठने वाले प्रत्येक सदस्य का पवित्र कर्तव्य है कि वह उन आदर्शों का जो पवित्र है निर्वहन करे। यह मैंने स्पष्ट रूप से प्रारम्भ किया है कि उन पर कोई शक्ति हावी है, कोई इशारा होता है, कोई संकेत होता है और उस पर वह नाचते हैं और इन इशारों और संकेतों के वशीभूत होकर वह प्रायः अपना फैसला बदल दिया करते हैं। सरकार पक्षपात कर सकती है, लेकिन उपाध्यक्ष जी की चेयर इतनी पवित्र है कि उस कुर्सी पर बैठने के बाद यदि उपाध्यक्ष यह महसूस करें कि उनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है तो उनको तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये। इस कुर्सी पर बैठने के बाद उनका

संबंध किसी दल से, उसके नियम-अनुशासन से नहीं रह जाता यह उनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये। लेकिन मैंने महसूस किया है कि वह बुरी तरह से राजनीतिक पाश में बंधे हुए हैं और इतनी बुरी तरह फंसे हुये हैं कि उनकी तरफ झुक जाते हैं और पक्षपात करने लगते हैं।

यहां पर इस बारे में उम्र का भी सवाल उठाना आवश्यक होगा। आप जानते हैं कि ५८–६० वर्ष की आयु का आदमी अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर सकता, इस अवस्था में उसमें कुछ न कुछ अमी आती है। आपने ऐसा कानून बनाया है और बाहरी हुकूमतों ने भी बनाया है, आपके उसी कानून का प्रभाव आपके प्रदेश की ९८ प्रतिशत जनता पर पड़ता है, लेकिन इस को प्रभाव मंत्रियों और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पर क्यों नहीं पड़ता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद इतने दायित्व का है, उस पर इतना काम का बोझ रहता है, फिर भी उनके लिये उम्र की सीमा क्यों नहीं निर्धारित की गयी है। मैं देखता हूं कि उपाध्यक्ष जी अधिक आयु के कारण इतने कमजोर हो गये हैं कि वह कहना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकलता कुछ है। मैंने कल देखा कि उपाध्यक्ष कुछ रूलिंग देना चाहते थे, लेकिन उनकी घिग्घी बंध गयी।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे तो अभी बहुत कम समय मिला है, ५ मिनट और दें।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री लखपतराम शर्मा—

जब कोई माननीय सदस्य यहां पर चुनकर आता है तो वह राष्ट्रीयता की कसम खाता है कि वह देश के प्रति और संविधान के प्रति वफादार रहेगा। यदि सरकार को यतीमखाना चलाना है तो माननीय गुप्ता जी को देश के बड़े बड़े मिल ओनर्स ने लाखों रुपया दे रखा है उससे पया देकर उपाध्यक्ष का भरण-पोषण कर दिया जाये, लेकिन जनता का पैसा उनके लिये खर्च करना जो ठीक से देख नहीं सकता, ठीक से सुन नहीं सकता, उस पर खर्च करना किसी भी तरह ठीक नहीं है, यह देश के साथ अन्याय है। उपाध्यक्ष के कमरे में मैंने एक व्यक्ति को कहते सुना वह कह रहे थे कि वह किसी को बोलवाना चाहते थे, लेकिन नेत्र की कमजोरी के कारण पहचान नहीं सके और दूसरे सदस्य को अवसर मिल गया। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को पहचान नहीं सकता, उसको पहचानने में असमर्थ है, उसको तरह तरह की सुविधायें और वेतन जनता के पैसे से देना शोभा नहीं देता। मैं आपसे आखिर में निवेदन करूंगा कि यदि आपको ऐसे लोगों को सुख सुविधाओं पर कायम रखना है तो शौक से आप रखें, लेकिन इसका कोई दूसरा तरीका आप निकाल सकते हैं। उनको माननीय गुप्ता जी के यतीमखाने में, अनाथालय में भेज दीजिये। मैं एक बात अन्त में और कहूंगा। व्यक्तिगत बात मैं नहीं कहना चाहता लेकिन माननीय उग्रसेन जी ने उसका जिक्र किया कि ८६ वैगन कोयला उनको दिया गया भट्ठे के लिये, मैं उसको दुहराना नहीं चाहता लेकिन आज ८० फीसदी कांग्रेस नेता लोग इस चंगुल में से फंसे हुये हैं कोटा, परमिट वगैरह में और उनको यह सब कुछ मिल सकता है। यह सही चीज है लेकिन जब बात आयी तो मुझे कहना पड़ता है कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह गलत तरीके से नहीं दिया गया है लेकिन मैं विश्वास दिलाऊंगा और साफ कहूं कि अगर वह उपाध्यक्ष न होते तो ८६ वैगन क्या, ६ वैगन के लिये भी उनको ठोकरें खानी पड़तीं और हजारों रुपये खर्च करने पड़ते। मेरा उपाध्यक्ष जी से नम्र निवेदन है कि जब यह लोगों की मनोभावना है, इस आदरणीय सदन के ९६ सदस्यों का अविश्वास हो गया है तो कम से कम ६ महीने रह गये हैं इतने ही समय के लिये सही, सदन की प्रतिष्ठा रखने के लिये, कुर्सी की मर्यादा रखने के लिये, देश, प्रदेश और जनतंत्र के नाम पर अपना त्याग-पत्र दे दें ताकि यह देश और जनतंत्र आगे बढ़ सके।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री रामचन्द्र विकल—

आदरणीय अध्यिष्ठाता महोदय, आज जिस गम्भीर विषय पर चर्चा है इसमें कोई शक नहीं है कि वह बहुत ही गम्भीर है। मैं कुछ देर से कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुनता रहा। कल भी सुनता रहा और आज इस प्रस्ताव के विरोध में कोई ऐसी बात उपाध्यक्ष महोदय के हक में अच्छी भी कोई कहेगा ताकि मेरे मन पर प्रभाव पड़े और मेरा हृदय परिवर्तन हो और मैं भी इस प्रस्ताव के विरोध में हो जाऊं। किन्तु मुझे उन माननीय सदस्यों के भाषणों से बड़ी निराशा हुई और मैं आज अपने विचार प्रकट करने को विवश हुआ। इसकी भी मुझे प्रतीक्षा थी कि इस कुर्सी की महानता और सम्मान के लिये माननीय उपाध्यक्ष जी के इस्तीफे की घोषणा शायद इस सदन में हो जाय और हम लोगों को बोलना न पड़े।

अध्यिष्ठाता महोदय, माननीय जगदीशप्रसाद जी ने कई तर्क रखे। एक तर्क तो उन्होंने यह रखा कि अब से पहले अविश्वास का प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय के खिलाफ नहीं आया, इससे सिद्ध होता है कि उनके वि द्ध अविश्वास नहीं है। तो मैं उनकी याददिहानी के लिये बताऊं कि २३ अक्तूबर, ६२ को उन्हीं उपाध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था। उपाध्यक्ष ही नहीं, अध्यक्ष के लिये भी अविवशस का प्रस्ताव आ चुका है। उन दिनों चीन का हमला हुआ और उसकी वजह से उस प्रस्ताव को वापस लिया गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उस को देखकर अपने कार्यों में सजग और सावधान होना चाहिये था, अधिक सयम और धैर्य से काम करना चाहिये था, मगर अक्टूबर ६२ से आजतक अनेकों कार्य इनके ऐसे हुए हैं जिससे इस सदन में खाली विरोधी दलों के लोगों में ही नहीं कांग्रेस पक्ष में भी असंतोष रहा है। इससे बड़ी असंतोष की कोई उपमा नहीं दी जा सकती कि हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को भी इस सदन से वाक आउट करना पड़ा। वे एक बड़ी हस्ती हैं, उनके लिये किसी प्रकार की बात कहना कठिन है। माननीय गोविन्द सहाय जी ने कई दफा उठ उठकर आपकी सेवा में कहा। मैं अपने मित्र जगदीश प्रसाद जी से कहता हूं। उन्होंने कुछ हिंसा और अहिंसा की बात कह डाली। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उन्हें एक प्रकार से हिंसा की बात थी। और उन्होंने दो राजनीतिक दलों, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी की बात कही कि उनके कारण हिंसा हुई। मैं कहता हूं कि जगदीश प्रसाद जी न्याय की दृष्टि से देखते तो ऐसा न कहते। मेरा कतई अहिंसा में विश्वास नहीं है लेकिन उन्होंने जब यह चर्चा की तो यह मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास के प्रस्तावों में अहिंसा मानते हैं तो वे सरकार से भी निवेदन कर देते कि आप इतनी गोलियां निरीह जनता पर क्यों चला रहे हैं, क्या वह हिंसा नहीं है, अहिंसा है ? अंग्रेजी राज्य में भी इतनी गोलियां नहीं चलीं, कभी नहीं चलीं जितनी इस कांग्रेस के राज्य में इस कांग्रेस की सरकार ने चलाई। उस वक्त आप अहिंसा की चर्चा भूल गये और आज उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव में आपको हिंसा दिखलाई देती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें राजन तिक पार्टी आती हैं तो पहले सरकार आ जाती है। मैं यह कह रहा था कि आप टंडन जी की बात छोड़िये। उनका बड़ा आदर्श था। मैं नवल किशोर जी का भाषण आखिर में सुन सका और एक ही उनका उदाहरण सुन सका कि टंडन जी का बड़ा ऊंचा आदर्श था और आज विरोधी दल उस ऊंचे आदर्श को नहीं मानता है। मैं नवल किशोर जी की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि टंडन जी के खिलाफ एक मुसलिम लीग के मेम्बर ने जबानी कहा था और उन लोगों में से कहा था जो देश का बटवारा करने वाले थे और उनकी लिखित माफी पर इस कुर्सी पर वापस आये थे। मगर आज वस्तुस्थिति क्या है। आज कांग्रेस के सदस्य विरोधी दल से मिलकर अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं। इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। मैं इन लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं जो यह कहते हैं कि ६ महीने के लिये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये थी मगर मैं बहुत जोरदार शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ६ महीने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सदन और इस कांग्रेस के सम्मान को बचाने के लिये इस्तीफा आ जाना चाहिये । अगर वह नहीं होता है तो यह सचमुच रोजी और रोटी का साधन इस कुर्सी को बनाये हुए हैं वरना ६ महीने के लिये इस्तीफा देकर उनका जीवन उज्वल हो जाता और टंडन जी का आदर्श भी दोहरा दिया जाता । मगर खेद है कि वह इस्तीफा नहीं आ सका और न हमारे योग्य लोगों ने उनको इस तरह की सलाह दी । यह बुनियादी सवाल के लिये अविश्वास आया है और यह जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है वास्तव में कांग्रेस की तरफ से आया है । विरोधी दल का इसमें सहयोग मिला लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सब से पहले इस अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्तक्षप करने वाले कांग्रेस के आदमी विश्वनाथ जी प्रणव थे । उनके ऊपर दो दिन तक जोर दिया जाता रहा और उस कहानी को मैं यहां कहना उचित नहीं समझता हूं ।

टंडन जी के आदर्श की बात कहीं गई । टंडन जी के आदर्श को छोड़ दीजिये । उनका आदर्श बहुत ऊंचा था । मगर मैं अभी थोड़े दिनों की बात आपके सामने रखता हूं । अभी पंजाब में प्रबोधचन्द्र जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया । कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है । वह कांग्रेस के लोग लाये थे और अपोजीशन के लोग भी उसमें शामिल थे । यह सब बातें मेरे पास कार्यवाही में मौजूद हैं । मगर यह संतोष की बात है कि उस अध्यक्ष ने मौका नहीं दिया कि उस अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो । इसी प्रकार से मैं सोचता था कि यहां पर भी बहस इस पर नहीं होगी और नई मान्यता नहीं डाली जायगी । अच्छा यही था कि वह यहां पर बहस का मौका न देते । पंजाब में अध्यक्ष ने अपने ऊपर बहस कराने का मौका नहीं दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

आप जल्दी समाप्त करें । प्रस्तावक महोदय को केवल विशेष समय दिया जाता है और वह उनको दिया जा चुका है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि प्रबोधचन्द्र जी ने इस कुर्सी की खातिर और इस कांग्रेस के सम्मान की खातिर बिना बहस कराये इस्तीफा दे दिया । मैं अपने अनेक दोस्तों से कहना चाहता हूं कि टंडन जी का आदर्श छोड़ दें । प्रबोध चन्द्र जी का हाल ही का आदर्श देखें । मगर यहां क्या हो रहा है ।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग आज इस विचार के हैं और कई दफा इस पर विचार हो चुका है कि सदन के नेता सब दलों के चुने हुये हों । इसी प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दलों के ऊपर रहना चाहिये और आज भी होने चाहिये । कांग्रेस पार्टी के संविधान को देखें, उसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कहीं पर भी चर्चा नहीं है । यह पार्टी से ऊपर होना चाहिये, दलों से ऊपर होना चाहिये । मगर दुर्भाग्य है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों ही खाली दल के आदमी ही नहीं, बल्कि एक गुट विशेष के आदमी होते हैं । आप कहते हैं निष्पक्षता की बात । मैं गुट की बात कहता हूं और पूरे गुट के भी नहीं, कुछ चन्द विशेष व्यक्तियों के आदमी हो कर रहते हैं, इसके लिये आप क्या करेंगे । यह कुर्सी तो दलों के ऊपर है । लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आचरण यह रहा है कि वह गुट विशेष के आदमी रहते हैं । मैं अपने विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अक्तूबर में जब किसानों के लगान पर बहस यहां हो रही थी और विरोधी दलों ने नेताओं ने कहा था कि हम सुनना चाहते हैं विकल को, तो उपाध्यक्ष महोदय कुर्सी पर थे । कोई कांग्रेस का मेम्बर यहां नहीं था । ५, ६ मिनट तक मैं खड़ा रहा, लेकिन उन्होंने मुरलीधर कुरील जी को लाबी से बुलवा लिया । मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया । मैं कहता हूं कि मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन ६ मिनट तक खड़े रहने के बाद भी मुझे बोलने का अवसर नहीं मिल सका । आप कार्यवाही देख लें । तो मैं कहना चाहता हूं कि तीन, चार बातें होनी चाहिये ताकि इस

[श्री राम चन्द्र विकल---]

अजतंत्र की रक्षा हो सके। यह कुर्सी पार्टी से ऊपर होनी चाहिये। इसके अलावा चीफ विहप का सवाल आता है। उसके लिये मैं दो मिनट में कहना चाहता हूं कि...

श्री अधिष्ठाता---

मैंने आप को जो समय दिया था वह समाप्त हो गया है।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

यह क्या नियम है। यह आपका नमूना है और आप टंडन जी की बुहाई देते हैं। इस प्रकार आतंकित करना क्या उचित है?

श्री रामचन्द्र विकल---

आज्ञा हो तो मैं बोलूं। मैं तो बिना आज्ञा के बोलता नहीं।

श्री अधिष्ठाता---

आपने दो मिनट के लिये कहा था, मैंने आप को तीन मिनट दिये हैं। वह भी समाप्त हो गये। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

अधिष्ठाता महोदय, आज बड़े दुख का दिन है कि हमारे अजीज और माने जाने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपोजीशन के और कुछ कांग्रेस के मेम्बरों ने आवाज उठायी है। यह पांच साल की जिन्दगी में अपने उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने हमारे ऊपर काफी दयादृष्टि रखी है, हमें बोलने के लिये भी काफी समय देते रहे, उनके खिलाफ ही बोलने के लिये हम खड़े हुये हैं, यह अचम्भे की बात है। अधिष्ठाता महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, द्वारा जब अपोजीशन के लोग बोलने के लिये खड़े होते हैं, दबा दिये जाते हैं, तो आखिर हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें। अगर वह हम लोगों की बात सुन लेते तो यह नौबत ही न आती। हम लोगों को टांग-टांग कर फेंक दिया जाता है और इस से इतना जबरदस्त गुस्सा आता है कि क्या कहूं। मैं अगर होता उनकी जगह तो कभी गुस्सा न करता। और यह कहते हमको दोनों पक्ष वाले कि आप ही डिप्टी स्पीकर बने रहिये तो बेहतर हो। इसके अलावा मैं यह भी चाहूंगा कि अगर स्पीकर उधर के हों तो डिप्टी स्पीकर इधर के हों

जफा के पुतले बज्मे बातिल वफा अशआरों पै हंस रहे हैं,
तो खुद मुरक्का हैं जुलमतों के वह चांद तारों पै हंस रहे हैं।
निगाहे हक पर न पूछ कितना गरां यह मंजर गुजर रहा है।
चमन में कांटों के सर से हर सूं गुलों का सबका उतर रहा है।

मान्यवर, यह बहुत अफसोस का मौका है कि मेरे जैसा इनसान भी अपनी जबान से उपाध्यक्ष के खिलाफ ऐसे कलाम निकाले जो आज मेरे लिये लज्जाजनक है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष अगर यह नीति बना लेते और हम लोगों को सुन लिया करते, गरीबों की आवाज तो हम कहते कि आप से बेहतर इनसान इस संसार में नहीं है। क्यों? "एवरीवन नीड्स इंडिपेंडेंस आफ थाट"। अगर एक अपोजीशन का मेम्बर चाहे कि हम अपने खयालात का इजहार करें तो उसको ऐसा दबाया जाता है कि वह बयान से बाहर है। वह ऐसे दबाते हैं जैसे शेर एक भैंसे को लेकर गिरता है। आज अपोजीशन अपनी जुबान से कुछ कह नहीं सकता, यह जबरदस्ती है, और मैं क्या कहूं?

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---

कुछ मैटर आप के पास नहीं है।

श्री प्रेमसिंह—

"मैटर तो केवल आपके पास है ।
आप तो कांटों की बात करते हो,
मैंने फूलों से चोट खाई है ।
तुम तो तूफां की बात करते हो,
लोग साहिल पै डूब जाते हैं ।

मान्यवर, हमारे नवल किशोर जी ने कहा कि कोई स्पेसिफिक चार्जेज दोनों तरफ से कुछ होने चाहिये । अब जबकि विकल जी ने स्पेसिफिक चार्जेज लगाये हैं तो सरकार के पास उनका जवाब है या नहीं, वह सरकार बतलाये । पहले तो चेयर का क्या कर्तव्य होगा यानी हर सदस्य, चाहे इधर का हो या उधर का वह खुश रहना चाहिये, कम से कम उसको बोलने का समय मिलना चाहिये । इन चन्द शब्दों के साथ मैं खामोश होता हूं ।

(श्री बृजभूषणशरण का नाम पुकारे जाने पर)

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

आज चूंकि कार्य सूची के अन्दर उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर भी विचार करना है, इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय उस समय तक बढ़ा दिया जाय जब तक कि यह बिल पारित न हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सदन का समय तबतक बढ़ा दिया जाय जबतक कि यह बिल पास्ति न हो जाय ।

(व्यवधान)

कई सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है । पहले हमको भी सुन लीजिये तब इसे रखिये ।

श्री उग्रसेन (जिला बेवरिया)—

हम लोग इसका बहुत सख्ती से विरोध करते हैं । यह बीच में कैसे आ गया । माननीय अध्यक्ष महोदय ने तो एक दिन का पूरा समय इसी पर जो कि चल रहा है विवाद के लिये दिया था । १२ बजे से ५ बजे तक का समय केवल उसी के लिये है । बीच में श्री बनारसीदास को कोई हक नहीं है कि बहस बन्दी का कोई प्रस्ताव लाकर सदन की इच्छाओं के विरुद्ध, माननीय सदस्यों की इच्छाओं की अवहेलना करें । इसलिये उनको आदेश दें कि यह इसे वापस लें ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं इस प्रस्ताव में यह संशोधन पेश करता हूंकि आज यह सदन ५ बजे के २ घंटा बाद तक चले और आज केवल उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर ही बहस हो ।

(सदन में अत्यन्त शोर)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि आज सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित न हो जाय । (शोर)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

आप भी श्री होती लाल की तरह काम कर रहे हैं। आपने शरण जी को बुला लिया था, बीच में बनारसीदास जी अपना प्रस्ताव कैसे ले आये ? (व्यवधान)

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था.....

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

सारा खान्दान ही ऐसा है .....

श्री उपसेन—

प्रस्ताव पर हमने मत विभाजन की मांग की आपने उसको भी ठुकरा दिया, हमने कहा कि नहीं की संख्या अधिक है।

श्री अधिष्ठाता—

घंटी बजा दी गयी है। आप लोग कृपया शान्त रहें।

(सदन में अत्यन्त शोर)

अनेक सदस्य—

आपने किस नियम से यह प्रस्ताव लिया ?

श्री अधिष्ठाता—

नियम ११३ पढ़ लीजिये। उसमें यह है—"बिना सूचना के प्रस्ताव (९) किसी बैठक की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव।" इसके अन्तर्गत यह प्रस्ताव आया है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय मतदान के लिये घंटी बज रही है, कोई प्रश्न व्यवस्था का नहीं आ सकता।

(विरोधी पक्ष के सभी सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े थे।)

(व्यवधान)

(अत्यन्त अस्पष्ट ध्वनियों के मध्य)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि आज सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ :—)

पक्ष में—७१।

विपक्ष में—किसी ने हाथ नहीं उठाया।)

(व्यवधान)

(इस समय सदन में अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। अतः श्री अधिष्ठाता ने ३ बज कर ७ मिनट पर सदन की कार्यवाही २५ मिनट के लिये स्थगित कर दी। ३ बज कर २२ मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मैंने प्रस्ताव रखा था कि उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड तथा ग्राम उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार करने के लिये सदन उस समय तक चले जब तक वह पारित न हो जाय, मुझे खेद है कि बीच में कुछ थोड़ी सी भ्रान्ति हो गयी, पहले शायद एक स्पीकर का नाम ले लिया गया था, मैंने देखा नहीं। अब माननीय सदस्यों की राय है कि उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड तथा ग्राम उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६६ को कल ले लिया जाय। इसके लिये वे सहमत हो गये हैं कि कल तीन बजे के बाद वह चले। चूंकि आज आधा घंटा समय बीत गया, इसलिये मेरी तजवीज यह है कि यह सदन साढ़े ५ बजे तक इस अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये चले।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता जी, इसमें केवल इतना संशोधन है कि उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड और ग्राम उद्योग (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार करने के लिये कार्यमंत्रणा समिति ने तीन रोज तय किया था। अभी एक रोज ही इस पर बहस चली है.....

कई सदस्य--

दो रोज चली है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

मेरा कहना यह है कि अभी बहुत से अमेंडमेन्ट्स वगैरह भी हैं, इसलिये जब तक वे खत्म न हो जायं तब तक सदन चलता रहे।

श्री अधिष्ठाता--

कल तीन बजे के बाद आप समय देंगे तो इस पर विचार कर लिया जायगा।

तो क्या मैं समझूं कि सदन इस समय से सहमत है जो अभी माननीय संसदीय मंत्री ने सदन के सामने रखी ?

(किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)--

अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय सदन में माननीय उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद जारी है। मान्यवर, मेरे से पहले बहुत से वक्ता इसके पक्ष और विपक्ष में बोल चुके हैं और मैंने सभी के भाषण बड़े गौर से सुने। मैं माननीय नवलकिशोर जी से बिलकुल सहमत हूं कि कोई ऐसा उदाहरण जिससे माननीय उपाध्यक्ष को जानबूझ कर निष्पक्षता में सन्देह किया जाता, माननीय नेताओं की तरफ से या विरोधी दल के माननीय सदस्यों की तरफ से बोलने वालों ने कोई भी उदाहरण नहीं दिया। अलबत्ता एक उदाहरण माननीय रामचन्द्र विकल जी ने अवश्य दिया और उन्होंने यह कहा था कि वे ५ मिनट तक इस सदन में खड़े रहे और बाहर से किसी माननीय सदस्य को बुला कर उनके स्थान पर बुलवाया गया। मुझे खेद है कि मेरी स्मरणशक्ति में ऐसा एक अवसर भी कोई मुझे याद नहीं आता। सम्भवतः मैं उस समय इस आदरणीय सदन में उपस्थित न रहा हूंगा। परन्तु ऐसा कोई कारण अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय रामचन्द्र विकल अगर किसानों पर लगान के सम्बन्ध में कोई भाषण दे ही देते तो माननीय उपाध्यक्ष का क्या नुकसान हो जाता, क्या बड़ी हानि होती और क्या ऐसा डर था कि माननीय विकल के भाषण से हमारा आदरणीय सदन उनके पक्ष में हो जाता। इसके कुछ और कारण रहे होंगे जो हमें मालूम नहीं हैं।

बहुत दुहाई हर भाषण में दी गयी कि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद ऊपर होना चाहिये, दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिये और इस पर सबसे ज्यादा और बहुत लम्बा चौड़ा

[श्री ब्रजभूषण शरण]

भाषण हमारे माननीय लखपतराम शर्मा ने दिया और कहा है कि जहां जहां पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है वहां-वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद ऊंचा होता है। माननीय लखपतराम शर्मा खुद इस बात को मानेंगे कि वे खुद इस सदन की परम्पराओं को तोड़ रहे हैं और उन्होंने तोड़ा है जिन परम्पराओं को वे बनाये रखने की बात कहते हैं कि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दलगत राजनीति के ऊपर होना चाहिये। जहां जहां यह परम्पराएं हैं वहां वहां यह भी परम्परायें हैं कि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ चुनाव में खड़ा कोई नहीं होता। लेकिन माननीय लखपतराम जी वे सदय हैं जो भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध चुनाव में खड़े हुए और जीत कर आये। आप तो इन परम्पराओं को तोड़ते हैं और माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से ऐसी अपेक्षा करते हैं। माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नताओं को उन्हीं परम्पराओं का पालन करना चाहिये जिन परम्पराओं की वे माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से आशा करते हैं।

एक बात माननीय यादवेन्दुजी की ओर से कही गयी। उन्होंने कहा कि उनका दल बहुत छोटा है और उन्होंने इस के लिये दूसरे दल के नेताओं से भी आग्रह किया कि उनके दल के सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं नहीं समझा कि यह उनका आर्गूमेंट उपाध्यक्ष जी के विरुद्ध था या विरोधीदल के नेताओं के विरुद्ध।

मैंने एक सूची देखी है जिसमें माननीय उपाध्यक्ष के पीठासीन होते हुए माननीय खेमचंद जी और माननीय यादवेन्दु जी बोले है। खेमचन्द जी बोले हैं २७-१-६७,२३-२-६६० ४-३-६६ और १८-३-६६ को और भगवानदास जी बोले हैं--२२-२-६६, १५-३-६६, १२-४-६६, १२-४-६६, १८-७-६६ का। ये वे तारीखें हैं जब कि माननीय उपाध्यक्ष के पीठासीन होते हुये माननीय खेमचन्द और यादवेन्दु जी बोले हैं, इसके अतिरिक्त और अवसरों पर भी बोले हैं। ऐसे उदाहरणों के बाद यह कहना कि उनका मुंह बन्द कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, यह आक्षेप कतई सही नहीं है।

माननीय, और लोगों की सूची भी मेरे पास मौजूद है। मैं यह भी बता सकता हूं कि माननीय रामचन्द्र दिवेल जब कि माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन थे, उन्होंने भाषण दिये हैं--१७-३-६६, १२-४-६६ को।

अभी अभी जो, प्रजातंत्र की दोहाई देने वाले हैं, उन्होंने प्रजातंत्र की नींव पर किस तरह से प्रहार किया, और किस प्रकार का आचरण अभी उन्होंने किया, यह आपने देखा ही है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। जो बात शांति से समाप्त हो चुकी है क्या उसको उखाड़ना लाभप्रद होगा ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शरण जी उस पर स्वयं विचार कर लेंगे।

श्री ब्रजभूषणशरण--

जो बातें बीत जायं, उन पर विचार न हो और खत्म हो जायं तो यह चार घंटे से जो विवाद हो रहा है, वह क्यों होता ?

श्री अधिष्ठाता--

जो घटना अभी अभी समाप्त हो गयी, उसके बारे में कुछ कहना उचित न होगा।

श्री ब्रजभूषणशरण--

मैं इसको महसूस करता हूं और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। मैं उसके मुताल्लिक एक शब्द भी नहीं कहूंगा क्योंकि मालूम पड़ता है उससे उन्हें खुद शर्म मालूम हो रही है।

इसी प्रकार से यह कहा गया कि डिप्टी स्पीकर अपोजीशन की तरफ का व्यक्ति होना चाहिये। पिछली असेम्बली में माननीय रामनारायण त्रिपाठी अपोजीशन की तरफ से उपाध्यक्ष थे, अगर आप उस समय की प्रोसीडिंग्स को उठाकर देखने का कष्ट करें तो मालूम होगा कि उनको भी माननीय उग्रसेन जी और माननीय राजनारायण जी को कई मर्तबा ताड़ना देनी पड़ी। वे उन्हीं की पार्टी के सदस्य थे। मेरी कहने की मंशा केवल यही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का काम बहुत ही कठिन कार्य है। वे एक साथ ४३१ सदस्यों को खुश नहीं कर सकते। मेज पार्लियामेंट प्रेक्टिस जिस की दुहाई दी जाती है उसमें साफ लिखा हुआ है कि स्पीकर का अपना स्वयं का विवेक होगा कि वह किसी भी माननीय सदस्य को सदन में बोलने की आज्ञा दे या न दे और यदि वह एक बार आज्ञा दे देगा तो एक सदस्य के बोलते हुये बीच में कोई माननीय सदस्य बाधा नहीं डालेगा। परन्तु यह सब जानते हुये भी क्या यहां रोज माननीय सदस्य बीच में बाधा नहीं डालते और क्या इसी सदन में इस तरह के कार्य रोज नहीं होते? आज की बात छोड़ भी दी जाय तो क्या इस से पहले कभी ऐसा यहां नहीं हुआ है कि यहां माननीय सदस्य कुर्सियों पर खड़े हो गये हैं और बाद में एक-एक कर के उनको सदन से बाहर निकलवाने की आवश्यकता हुई है? अगर अनुशासन के साथ नहीं चलना है तो प्रजातंन्त्र की रक्षा हो नहीं सकती। प्रजातंत्र के माने किसी तरह से भी अपोजीशन की गवर्नमेंट बनने के तो नहीं हैं। आजकल की परिस्थितियों में ऐसा मालूम होता है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य यह समझते हैं कि जो बात उनके पक्ष में की जाय वही इंसाफ है और वही जनतंत्र के मुताबिक है और जो कुछ बहुमत के पक्ष में कहा जाय या किया जाय वह पक्षपातपूर्ण है। मैं आप से नम्रता और अदब के साथ निवेदन करूंगा कि प्रजातंत्र का मूल सिद्धान्त है कि जिस का बहुमत होगा उसी की बात मानी जायगी और अल्पमत को अपनी बात रखने का अधिकार होगा। जैसा कि माननीय जगदीशप्रसद जी व नौरंगलाल जी ने कहा कि इस सदन में हमारी संख्या दो तिहाई है और विरोधी दल की एक तिहाई है लेकिन फिर भी हमेशा उन के दल को मेजारिटी दल के बराबर ही समझ लिया जाता है इससे ज्यादा और निष्पक्षता का प्रमाण हम और क्या दे सकते हैं। इस के आगे अगर प्रमाण चाहिये तो उनको ऐसा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चाहिये जो उनके 'नहीं' कहने पर कह दे कि नहीं कि संख्या ज्यादा है और उन के 'हां' कहने पर कह दे कि 'हां' की संख्या ज्यादा है। हम चाहते हैं कि जो भी उस कुर्सी पर हो उसको आदर मिलना चाहिये। अभी आप ने देखा कि माननीय बनारसी दास ने एक प्रस्ताव रखा और उस को उन्होंने अनुचित माना और वापस लिया। लेकिन यह कहना अध्यक्ष से या उपाध्यक्ष से कि कुर्सी से आप हट जायं, कुर्सी पर इस तरह का आक्षेप करना उचित नहीं है। उस कुर्सी की मान्यताओं और आदर की आप को रक्षा करनी चाहिये जिस के बारे में आप रोज ऐसी बातें करते हैं। हमारे उपाध्यक्ष श्री होतीलाल जी यदि सचमुच देखा जाय तो वह बिलकुल एक देवता हैं, उन्होंने तो उन्हीं के पक्ष में ज्यादातर बातें की हैं और जहां तक श्री बनारसी दास जी की बातों का सम्बन्ध है वह रूलिंग पार्टी के चीफ व्हिप हैं, उनका फर्ज है कि वह साहित्य सप्लाई करें।

माननीय चन्द्रभानु गुप्त का नाम लिया गया कि वह घुड़की देते थे लेकिन अगर बात ऐसी ही थी तो उन को उसी वक्त प्वाइंट आउट करना चाहिये था, उसी वक्त उन को उन के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रस्ताव लाना चाहिये था। इसमें उपाध्यक्ष का क्या कसूर है। कहा गया कि उपाध्यक्ष विरोधी पक्ष से होना चाहिये और सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में ठीक रहा लेकिन श्री चन्द्रभानु गुप्त के जमाने में वह परम्परा तोड़ दी गई। इस में होतीलाल जी का क्या कसूर है। सभी दलों ने मिल कर उन्हें चुना है और वह वैधानिक तरीके से उपाध्यक्ष बनाये गये हैं। इन शब्दों के साथ जो अविश्वास का प्रस्ताव माननीय उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में जो गुण होने चाहिये अगर वे उनमें नहीं हैं तो स्वयं उनको विचार करके उस अच्छी कुर्सी, जिसकी परम्परा माननीय टंडन जी, श्री नफीसुल हसन

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

खेर साहब और रामनारायण त्रिपाठी जी ने निभायी है, उसको वर्तमान उपाध्यक्ष को भी निभानी चाहिये । श्रीमन्, आप जानते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में निर्भीकता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा की योग्यतायें होनी चाहिये । मैं आपसे और सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि ये जो ३ कसौटियां हैं वे माननीय होती लाल अग्रवाल में कहां तक हैं । श्रीमन्, इस हाउस की हमारी जिन्दगी १५ साल की है । हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया और कभी सोचा भी नहीं था कि उपाध्यक्ष को सदन से निकालने का प्रस्ताव लावें लेकिन माननीय सदन और माननीय सदस्य जो लोकतंत्र को मानते हैं, जो नियमों को मानते हैं स्वयं ही नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो फिर प्रजातंत्र में, जम्हूरियत में जो हम विधान सभा में प्रतिबन्धित करना चाहते हैं, वे नहीं हो सकेंगे । मैं माननीय बनारसी दास जी और दूसरे माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि सदन में माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कामों में क्या बंटवारा है । उनकी ओर से कोई विज्ञप्ति द्वारा प्रसारित नहीं किया गया है जिससे उनके कामों के बंटवारे के सम्बन्ध में मैं अपनी कोई राय जाहिर कर सकता । लेकिन २–३ सवाल ऐसे हैं जिनकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पहला प्रश्न सवालों का है जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में जब से अध्यक्ष माननीय मदन मोहन वर्मा हुये और उपाध्यक्ष माननीय होतीलाल अग्रवाल हुये, उन्होंने अपने अधिकारों को सवालों के बारे में माननीय होतीलाल अग्रवाल के सुपुर्द कर दिये ।

अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप नियम ३४ को देखें, जिसमें हर एक सदस्य को अख्तियार मिला हुआ है कि वे एक दिन में ३ सवाल तारांकित करेंगे । कितने अल्पसूचित प्रश्न करेंगे इसके बारे में उस नियम में कोई उल्लेख नहीं है, इसकी कोई सीमा नियमावली में नहीं है । आप से मैं कहना चाहता हूं कि आप उपाध्यक्ष के आदेश देखें कि बिना नियमों में परिवर्तन कराये, बिना इस सदन के माननीय सदस्यों की मोहर लगवाये, उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है । उन्होंने आदेश दे रखे हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में कोई भी सदस्य एक दिन में ३ ही सवाल इस सचिवालय में भेज सकेगा । श्रीमन्, जैसा कि आपको भी विदित होगा, हम लोग देहातों में घूमते हैं, हमको वहां के रहने वालों की रोज की समस्यायें देखने को मिलती हैं तब हम कैसे उन समस्याओं को केवल ३ प्रश्नों द्वारा पूछ सकते हैं । पहले जब कोई प्रतिबन्ध नहीं था तो हम लोग एक एक-दिनमें ५०-५० सवाल पूछ सकते थे लेकिन इन्होंने उस परम्पराको तोड़ दिया है । उनके यह भी आदेश हैं कि तिथिवार निश्चय होगा तभी सवालों को स्वीकार किया जायगा। श्रीमन्, आप पहले के जमाने के अर्थात् माननीय खेर साहब, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के जमाने की कार्यवाही निकलवा कर देखें तो आप देखेंगे कि ५०–५० हजार तक सवाल उनके सचिवालय में गये हैं । लेकिन माननीय होती लाल अग्रवाल ने ऐसा नहीं किया । आप यह भी देखें कि १९६० में और १९६२ में जब ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं थे तो ६६ प्रतिशत प्रश्न हाउस में स्वीकार किए गए और उत्तर मिले । लेकिन आज क्या है । हमारे पास तालिका है । उस से स्पष्ट होता है कि आज केवल २५ फोसदी सवाल सदन में स्वीकार होते हैं । सवाल श्रीमन्, सदनमें इसलिये होते हैं कि बाहर की जो समस्यायें हमारे सामने आती हैं या जो अधिकारी कानूनों की अवहेलना करते हैं उनको इन सवालों के द्वारा हम दुरुस्त कराते हैं । जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सवालों को अस्वीकार करते हैं तो अस्वीकार करना सरकार के पक्ष का समर्थन करना है । जब सवाल खत्म हो जाते हैं तो किन की जीत होती है, नौकरशाही की जीत होती है ।

नौकरशाही की जीत कपाने के लिये सरकारी पक्ष को प्रबल करने के लिये उपाध्वक्ष ने सवालों को काटा । २३ सितम्बर से २४ दिसम्बर तक २,४५९ सवाल अल्प सूचित दिये गये जिसमें से केवल २४ सवाल इन्होंने स्वीकृत किये । अक्टूबर, १९६० की कार्यवाही आप देखें।

मेरा सवाल था लखनऊ किंग जार्ज मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में जिसको माननीय खेर साहब तथा माननीय राम नारायण त्रिपाठी ने स्वीकार किया था और उस दिन १७ अल्प सूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार हुए जिन के उत्तर भी मिले। क्या मिसाल आप दे सकते हैं, आप खेर साहब और माननीय रामनारायण त्रिपाठी की १७ सवाल एक दिन में और वहां २४ सवाल एक साल में। एक बार नहीं अनेकों बार इस सदन में स्पीकर की रूलिंग हुई है कि जब सदस्य व्यवस्था का सवाल उठावें तो सारा काम बन्द कर के व्यवस्था का सवाल सुनना चाहिये। मेरे पास कार्यवाही है १७ अगस्त, १९६६ की माननीय लखपत राम शर्मा ने सवाल किया व्यवस्था का, उन के व्यवस्था के सवाल पर माननीय उपाध्यक्ष ने अनसुनी कर के विरोधी दलों के पचासों व्यक्तियों को इंगित कराया था। आप जानते हैं मैं दुनिया की विधान सभाओं की और, पार्लियामेन्ट की बात कहता हूं कि एक मर्तबा जब सदस्य आप के आदेश का उल्लंघन करता है तो ७ दिन के लिये इंगित होता है, दूसरी बार करता है तो १५ दिन के लिये और तीसरी बार ३० दिन के लिये इंगित होता है। लेकिन माननीय बनारसीदास और श्री होतीलाल की संयुक्त राय ने प्रथम बार आज्ञा उल्लंघन करने वालों को एक-एक महीने के लिए सजा दी। यही है निष्पक्षता और निर्भीकता ? कल की घटना है, मैं तो हैरान हूं कि आखिरकार लोकतंत्र क्या है ? माननीय शरण जी से क्या पूछूं, मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन हाउस आफ कामन्स की २५ मई १९२५ की कार्यवाही को देखें। वहां भी कैप्टेन बैन ने फाइनेंस बिल पर एक सवाल किया कि इस बिल पर केवल तीन आदमी ही बोले हैं और वह केवल ३ लाख आदमियों के प्रतिनिधि हैं इसलिये इस प्रकार का महत्वपूर्ण बिल हाउस में इतनी जल्दी पास नहीं होना चाहिये। इस पर स्पीकर ने कहा था कि हमारे खिलाफ आप मोशन लाइये। और २८ मई, १९२५ को हाउस आफ कामन्स में मोशन लाया गया इस ईश्यू पर कि और लोगों को बोलने क्यों नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप के उपाध्यक्ष ने कल क्या किया था ? जब पुरःस्थापन की अनुज्ञा ली जाती है तो हर एक को अधिकार है विरोध करने का। मैं स्वय खड़ा हुआ विरोध करने के लिये लेकिन माननीय होती लाल अग्रवाल ने नहीं सुना और अपने आप पास करते चले गये।

इसी प्रकार से और चीजें हैं। नियमावली के नियम ३९(४) को देखें–उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अल्पसूचना पर अगर सरकार सवालों का उत्तर देने के लियें तैयार नहीं है तो स्पीकर को पावर मिली हुई है कि फैसला दें कि कितने दिनों के अन्दर उत्तर मिलना चाहिये। आप बता दें एक मिसाल भी कि माननीय उपाध्यक्ष ने नियम ३९(४) के अधीन ७ दिन के अन्दर, १५ दिन के अन्दर उत्तर दिलाया हो। इसलिये नहीं मिलता कि मंत्री स्पीकर के पास लिख कर भेज देता है कि १५ दिन का समय चाहिये, २० दिन का समय चाहियें और डिप्टी स्पीकर आंख मूद कर दस्तखत करते हैं। नहीं मिलता है उत्तर। तो जब शार्ट नोटिस सवालों का उत्तर न मिले, व्यवस्था का सवाल उठायें तो इंगित किया जाय, फाइनेंस बिल पर बोलना चाहें तो बोलने न दिया जाय तो कैसा लोकतंत्र है ? और यह लोकतंत्र वाले लोग जो बैठे हुए हैं माननीय बृजभूषण शरण जी से पूछ ा चाहता हूं, वह कहते हैं कि माननीय रामानारायण त्रिपाठी जब डिप्टी स्पीकर थे तो सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को उन्होंने ताड़ित नहीं किया। माननीय शरण जी आप एक सबूत भी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ प्रस्तुत कर दीजिये। हमारे ऐसा आदमी माननीय उग्रसेन जैसे आदमी ने जब उनके खिलाफ काम किया तो ताड़ित न हुए हों ? और आप रोजमर्रा आये दिन जो काम हम गलत करते हैं वही आप की पार्टी वाले आदमी करते हैं तो क्या डिप्टी स्पीकर ने कभी कांग्रेस वालों को दंडित किया है ?

श्रीमन्, १, २ उदाहरण और देना चाहता हूं। माननीय नवल किशोर जी कहते हैं कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी लोक तंत्र को खत्म करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कानून को बनाने वाले ही कानून को तोड़ते हैं तो फिर हम पर दोष क्यों मढ़ा जाता है। यह तो वही मसल हुई जो हमारे यहां भोजपुरी में है 'उल्टा चोर कोतवाल को डाटे'। मजबूत आदमी हमको डांटते हैं। कानून को तोड़ें यह, घर पर बैठे हुए गिरफ्तारी करायें यह, अदालतों में चालान कर दें, व्यापारियों को रात में २ बजे छोड़ दें यह और फिर हमको कहें कि हम लोकतन्त्र को तोड़ते

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

है । याद रखिये लोकतंत्र में सत्ताधारी दल की सारी जिम्मेदारी होती है और वही लोकतंत्र को तोड़ने वाली होती है, विरोधी पक्ष कभी लोकतंत्र को तोड़ने वाला नही होता है । श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसने कहा कि चेयर की इज्जत नहीं करते । चेयर जब अपनी इज्जत अपने आप न करे तो दूसरा कौन इज्जत करेगा, अपने ही बनाये हुए कोड का, नियमावली का उल्लंघन करे और हमसे कहे कि नियमों का आदर होना चाहिये । इस विचार का वह खुद आदर नहीं करते । नियमों, कानूनों तथा कायदा कानून की पाबन्दी की जिम्मेदारी उन पर है लेकिन अगर एक पक्ष की तरफ वह जाते हैं और वह उन नियमों का आदर खुद ही नहीं करते, लिहाजा मेरा निवेदन है कि उनको अपने पद से हटा दिया जाय ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, हर ६ महीने बाद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की तरफ से आया ही करता है लेकिन आज जो विधान सभा में एक नया चेप्टर खुल गया उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला कर के । मैंने बड़े ही ध्यान से उन सब भाइयों को सुना जिन्होंने उपाध्यक्ष के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश की । अभी माननीय सदस्य रामसुन्दर पांडेय जी कह रहे थे उनका जो भाषण था उसका आधा हिस्सा इस चार्ज पर आधारित था कि उपाध्यक्ष महोदय सदस्यों के प्रश्नों की स्वीकृति के सम्बन्ध में पक्षपात करते हैं और वह एक बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं । मैं उनसे यह सवाल पूछती हूं कि आपने जो यह उदाहरण दिया है कि एक-एक दिन में मैंने १७–१७ सवाल किये हैं और उसे स्वीकार किया गया है तो क्या यह बहुत अच्छा उदाहरण आपने अपने लिये दिया है ? आज अगर कोई व्यक्ति अपने स्थान पर जिम्मेदारी की जगह पर है और यह कहता है कि प्रत्येक सदस्य तीन-तीन सवाल पूछे और तीन इसलिये पूछे कि सब को वह समान रूप से अधिकार देना चाहता है तो वह निष्पक्ष नहीं है तो कैसे पक्षपाती है ? इतने सवाल प्रत्येक दिन एडमिट किये जाते हैं, समय एक घंटा व्यतीत हो जाता है, फिर भी वह सवाल पूरे नहीं होते हैं और फिर भी आपको यह शिकायत रहती है कि हमारा सवाल नहीं लिया जाता है तो यह गलत है । अगर सवालों की संख्या देखी जाय तो विरोधी दलों के सदस्यों के ही सवाल अधिक होते हैं और उसके साथ साथ मैंने यह भी देखा कि जब सवालों पर सप्लीमेंटरीज किये जाते है तो कभी-कभी एक-एक सवाल पर २०-२० मिनट तक लग जाते हैं और दूसरे सदस्य के सवाल आ नहीं पाते हैं तो हम स्वयं ही प्रजातंत्र की जो मान्यतायें हैं, जिसके द्वारा विधान सभा की कार्यवाही को चलाना चाहिये उनको हम स्वयं नहीं मानते हैं और लांछन यह लगाया जाय कि उपाध्यक्ष महोदय जो हमारे हैं वह हमारे अधिकारों का हनन करते है यह लांछन निराधार है । मैं समझती हूं कि इन नियमों का पालन कराने की यथा शक्ति कोशिश की जाती है और उस समय जब सभी निष्पक्ष होने की बात करते हैं तो आप परेशानी में पड़ जाते हैं और इसीलिये आप उनके पक्षपाती होने की बात करते हैं ।

मैंने यह भी देखा है कि व्यवस्था के नाम पर जब-जब भी आप खड़े होते हैं हमेशा अव्यवस्था बढ़ाने की कोशिश की जाती है । व्यवस्था पर खड़े होने का आपको हक है लेकिन अगर व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था आप बढ़ाना चाहते हैं और चेयर उसके लिये आपको रोकती है तभी आप परेशानी अनुभव करते हैं । अब अगर किसी सदस्य को उपाध्यक्ष महोदय ने अवसर नहीं दिया और केवल इसी कारण से उपाध्यक्ष के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया जाय तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं, जनतंत्र को किधर ले जा रहे हैं और क्या सचमुच में हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिये यह कार्य कर रहे हैं ?

मैं यह कहूंगा कि जब जब सदन में अव्यवस्था हुई है उसका मुख्य कारण चेयर नहीं, उपाध्यक्ष नहीं बल्कि माननीय सदस्यों का उसके पीछे आचरण रहा है जिसमें मजबूर होकर सदन का काम नहीं हो सका । दूसरों के ऊपर लांछन लगाने से पहले अपने हृदय को टटोलने चाहिये कि हम कितने पानी में है, हम कहां पर हैं और किस प्रतिज्ञा को लेकर हम इस आदरणीय सदन के सदस्य

हुए थे और प्रथम दिन प्रतिज्ञा पढ़ी थी कि हम जनतंत्र के नाम पर संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। क्या वास्तव में पिछले चार वर्षों में आपने उस प्रतिज्ञा का पालन किया है ? क्या अपने संविधान की मर्यादा का पाल किया है? क्या आपने अपने आचरण के द्वारा प्रदेश की जनता को वह रास्ता दिखाया है ? बहुत ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है बल्कि अभी थोड़ी देर पहले जो दृश्य हमारे सामने हुआ, वह बन सकता था, उसका तरीका हो सकता था बात करने का, लेकिन मुट्ठियां दिखाकर, धमकियां देकर, जो भी चेयर पर था उसको कहा कि कुर्सी उलट दी जायेगी, इस तरह की धमकी देना कि निकाल कर मार दिये जाओगे, यह प्रजातंत्र की रक्षा कर सकती है । अगर हम जिम्मेदार हैं और महसूस करते है कि उपाध्यक्ष का क्या कर्तव्य है तो उनको कुछ कहने के पहले अपने कार्य को देखना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष ने बड़ी नम्रता के साथ और हमेशा जितना ज्यादा अवसर देना चाहिये था उतना देने की कोशिश की है । लेकिन वह कुछ नियमों से बंधे होते हैं और उनका उल्लंघन नहीं करने देते हैं जब तक वह इस चैयर पर हैं। अगर उनका यह दोष है कि वह ठीक से प्रश्नों को अरेंज करते हैं या यह दोष है कि आपकी पार्टी के लोगों को उचित समय देकर बोलने देना चाहते हैं या यह दोष है कि आप सदन में शोरगुल मचायें और वह नियमों के अनुसार आपको निष्कासित करें उसके लिये उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लायें तो यह उनकी मजबूरी कहेंगे । मैं समझती हूं कि एक सज्जन व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसने हमेशा आपको "विराजिये" कह कर बात की और बैठिये कभी नहीं कहा उसके खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव लाये तो यह उचित नहीं है । मुझे विश्वास है कि आप अपने मन की बात कह चुके हैं जो कहना चाहते थे इसलिये अंत में इसको वापस लेकर सदन की मर्यादा को कायम रखेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जरा एक बात बता दीजिये कि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है। उसकी सूचना आपको मिली है ?

श्री अधिष्ठाता—

मुझे नहीं मिली ।

*श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आज आपने उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । जनतंत्र में यह अधिकार होता है कि जो सरकार है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, उनकी नीति के बारे में, उनके कार्यकलाप के बारे में विरोधी पक्ष अविश्वास का प्रस्ताव पेश करे। लेकिन हमें यह देखना पड़ता है कि इसमें मूलभूत आधार क्या है जिसके अन्तर्गत इस प्रस्ताव को पेश करना चाहिये। हमारी परम्परा हो गई है कि प्रत्येक वर्ष हम सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश करते हैं। कहा जाता है कि हम सरकार की कमजोरियों का दिग्दर्शन कराते हैं और सरकार को बताते हैं कि उसका काम ठीक नहीं है, लेकिन पृष्ठभूमि कुछ और होती है। हम सोचते हैं कि सरकार जनता की निगाह में गिरे और अपनी ख्याति बढ़े। लेकिन हम चाहे विरोधी पक्ष में बैठते हों चाहे सरकारी पक्ष में बैठते हों, जब हम जनता के वोट से चुनकर आते हैं तो प्रजातंत्र की रक्षा कैसे हो यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि आज जो लोग सरकारी पक्ष में हैं, हो सकता है कि विरोधी पक्ष में बैठने वाले लोगों को वहां पर बैठने का अवसर लगे और जिन बातों को लेकर इस तरह के अविश्वास के प्रस्ताव पेश किये जाते हैं अगर हमने इन परम्पराओं को जन्म दिया तो यह जनतंत्र खतरे में पड़ सकता है। मैं कह रहा था कि हर वर्ष सरकार के विरुद्ध इस तरह के प्रस्ताव पेश करना मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

आज जो उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है आप अगर उसकी तह को देखें कि आखिर वह किन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है तो आप देखेंगे कि एक-दो सप्ताह हुये जब यह पेश किया गया था जो कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये थे। कदाचित् उन्हें मौका नहीं मिला और उन्होंने एक अभियान चलाया अविश्वास का प्रस्ताव लाने का और उसमें हमारे विरोधी पक्ष के भाई शामिल हो गये, यद्यपि उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। मुझे तकलीफ हुई कि जिन कांग्रेस के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किये थे उनमें से बाद में कुछ सदस्यों ने नाम वापस ले लिये। उनका फर्ज यह था कि अगर उन्होंने यह महसूस किया था कि उपाध्यक्ष ने संसदीय तरीकों का निर्वहन नहीं किया तो उन्हें अपने प्रस्ताव पर अडिग रहना चाहिये था। लेकिन अनुशासन के नाम पर, पार्टी के दबाव से कुछ आदमियों ने वापस ले लिया और कुछ सदस्य कांग्रेस के रह गये। बुनियादी सवाल यह है कि जब अनुज्ञा मांगते समय वे प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुये तो आगे चल कर जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो उनका हाथ किधर उठता है। अधिष्ठाता महोदय, सब से जरूरी बात यह है कि जिस परम्परा को हम जन्म दे रहे हैं, जिन उपाध्यक्ष जी के विरुद्ध हम अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं यह एक अनुचित परम्परा है। अगर हम किसी को हटाने की सोचते हैं तो पहले देखना यह है कि हम जनता के बहुमत के वोट पर यहां चुन कर नहीं आये हैं बल्कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हरा कर इस सदन के मेम्बर बनते हैं। जब किसी दल का बहुमत हो तो उसके किसी भी सदस्य पर हमको अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। इससे जनतंत्र को धक्का पहुंचता है और हम उतने समय को जितने समय उस पर बहस करते हैं जनहित के काम में लगाने के बजाय उससे विमुख कर के दूसरी ओर ले जाते हैं।

जहां तक उपाध्यक्ष जी का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उन्होंने बिना किसी पक्षपात के सभी को अवसर दिया है और जो इस अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले हैं उन्हें तो अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय ने समय-समय पर अधिक समय दिया है। दूसरी बात हमें यह देखनी है कि जिस क्षेत्र से हम चुन कर आये हैं, हम बहुमत के वोट से नहीं आते, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हरा कर आते हैं, लेकिन जिन लोगों के वोट पा कर हम आते हैं क्या वे सारे के सारे हम से खुश हैं और अगर एक भी आदमी उनमें से अप्रसन्न है तो हम क्या हम इस्तीफा देने के लिये तैयार हैं? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। ये बुनियादी बातें हमें जरूर विचारनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव बेबुनियाद है और इसका कोई उसूल नहीं है।

अब कुछ व्यक्तिगत बातें उपाध्यक्ष के विरुद्ध कही गयी हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं। कितना उनका सरल स्वभाव, कितनी उनमें गरिमा, समझने की शक्ति और निर्णय देने का उन में बड़प्पन है और उसी के तहत में वह सारा काम करते हैं। हो सकता है कि जब दस-दस सदस्य खड़े हों तो किसी को मौका न मिला हो लेकिन इस पर उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना उचित नहीं है। कुछ कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वहन करना पड़ता है। मूल प्रश्न यह है कि क्या हम उन संसदीय पद्धतियों का पालन करते हैं? जब कोई उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या अधिष्ठाता अपनी चेयर पर विराजमान हों और जब कोई सदस्य इस तरह से संसदीय नियमों के विपरीत कार्य करते हों और यह अपेक्षा करते हों कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा वह करते हैं वह उन्हें करने की छूट दी जाय तो मैं समझता हूं कि सदन का काम चलने वाला नहीं है। एक तरफ तो हम सदन में विघ्न पैदा करें, इस तरह के नारे लगाएं कि किसी को बैठने नहीं देंगे तो यह कहां की संसदीय बातें हैं? मैं समझता हूं कि यह सारी बातें जो की जाती हैं उनमें कोई बड़प्पन नहीं है केवल गुटबन्दी और पार्टी के आधार पर इन बातों का समावेश है। (व्यवधान) मैं कहता हूं कि मैं निर्दलीय व्यक्ति हूं और जीत कर आने की क्षमता है और जिस तरह से जीत कर आया हूं उसी तरह से फिर जीत कर आऊंगा। (व्यवधान) जब कांग्रेस में आने का सवाल था

तो मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हूंगा। माननीय टंडन जी का बड़ा उदाहरण दिया गया। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि आज जिस तरह से टंडन जी का उदाहरण दिया जाता है अगर आज टंडन जी होते तो ऐसे मौके आ जाते कि विरोधी दल तो करता ही कुछ कांग्रेसियों को भी निकालने को तैयार हो जाते। आज न वह परम्परा है, और न समय है जो हम वैसे उदाहरण प्रस्तुत करें। उस समय संसदीय तरीकों को सभी मानते थे। जो हमारे नियम और प्रक्रिया थी उसका आदर होता था। वह सारी बातें बलाये ताक रख कर ऐसी बातें रोज-रोज करते हैं जो इस प्रदेश के लिए, जनतन्त्र के लिए और सबके लिए घातक है।

अब प्रश्न यह है कि सदस्य जो चाहें करें, उनको रोका जाय या नहीं ? मैं न्यायालय का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिये हाई कोर्ट के सामने कोई मुकदमा पेश हो और कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के जज का अपमान करने पर तुल जाय तो मैं आपके द्वारा सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या इसको हाई कोर्ट का जज बरदाश्त करेगा ? या उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा जिससे न्यायालय की मर्यादा की रक्षा हो ? मैं समझता हूं कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ कर यदि सदन की मर्यादा रखने के लिए कोई कार्य किया जाय तो वह न्यायोचित है और उसके अन्तर्गत उस मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए।

अब, एक प्रश्न उठाया गया कि पार्टी के सचेतक उपाध्यक्ष को परची दे देते हैं। यह संसदीय प्रणाली है जोकि हमारे यहां लोक सभा में भी प्रचलित है। अगर कोई सचेतक किसी सदस्य का नाम नहीं लेता है तो सचेतक से कहें कि हमें भी मौका होना चाहिए। अगर सचेतक उनकी बात पर विचार नहीं करता तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी पार्टी में सचेतक के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाये और उनको सचेतक के पद से अलग कर दें। लेकिन जब तक सचेतक बना रहा है तो मेरा मत है कि हमें उनकी राय और आदेश का पालन करना चाहिये। यह हमारी संसदीय परम्परा है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामसुन्दर पांडेय द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने विरोधी दल के सदस्यों के भाषण सुने और और उनके तर्कों पर विचार किया। सबसे बड़ा उग्र तर्क किया है माननीय उग्रसेन ने।

(इस समय ४ बजकर २१ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुये।)

श्री अधिष्ठाता—

आप आगे के माइक पर आकर बोलें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

उनकी उग्रता तो ज्ञात है, वह अपनी उग्रता से प्रेरित होकर कुछ ऐसी बातें भी कह गये जो सदन की मर्यादा और उसके गौरव-गरिमा के विरुद्ध हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि संसदीय परम्परा यह है कि है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के समय में जो डिप्टी स्पीकर के कार्य-कलाप हैं उन्हीं की चर्चा की जानी चाहिये, लेकिन माननीय उग्रसेन जी व्यक्तिगत बातों का भी उसमें समावेश कर बैठे। मैं इस बारे में उनकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन उनसे हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि उन्हें उस व्यक्ति के लिये ऐसी बातें कतई नहीं कहनी चाहिये जिसने ४५ वर्ष तक देश की, पार्टी की और जनता की निस्वार्थ सेवा की है और जिसका सम्पूर्ण जीवन त्याग और बलिदान की भावना से पूर्ण रहा है। जिसने भूखा मर कर दुनियां की सेवा की है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत आलोचना करना, व्यक्तिगत बातों को लेकर तथ्यों को बैठाना शोभा नहीं देता।

मान्यवर, अभी यहां जिस कोयले का जिक्र किया गया, उस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भट्ठा उनके पास तो बहुत पुराना है। मैं समझता हूं यह भट्ठा तो उनके पास ५५-५६ से है और उसका एक इतिहास है जिसका जिक्र करना यहां इस समय मैं ठीक नहीं समझता हूं। मैं उस समय यहां पर मौजूद था जब भट्ठे

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

से संबंधित प्रश्नों के बारे में यहां पर उत्तर दिया गया था। जिन ८६ बैंगम्स को लेकर चर्चा की गई वह तो स१ ५६ से लेकर ६४ तक के अन्दर की बात है।

कुछ सदस्य--

नहीं, वह सिर्फ तीन महीने की है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

यदि आप ऐसा प्रमाणित कर दें तो मैं इसके लिये बड़े से बड़ा प्रायश्चित करने के लिये सहर्ष तैयार हूं। आप लोग मेरी बात का मजाक उड़ाते हैं, इस पर मुझे खुशी ही है, कम से कम आप हमारी बातों को सुन तो रहे हैं। प्रश्नों में अल्पसूचित प्रश्नों की एक व्यवस्था है और तारांकित प्रश्नों की एक व्यवस्था है। तारांकित प्रश्नों को स्पीकर बाध्य कर सकता है उसे अल्प सूचित मानने के लिये यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बोलने का मौका न देने का एक चार्ज उन पर लगाया गया है तो मैं समझता हूं यह व्यक्तिगत कारणों से, आपसी रंजिश से और दलगत राजनीति के वशीभूत होकर लगाया गया है। ऐसे कुछ सदस्यों ने, असन्तुष्ट सदस्यों के एक समूह ने एक दृश्य उपस्थिति कर दिया है।

तो मान्यवर, मैं आपसे एक बार अर्ज करना चाहता हूं, ऊपर से बड़ी उच्चकोटि की आचार-संहिता का प्रदर्शन किया गया और उसकी दाद दी गयी। "हमें जो चाहते हैं खींचा खुद हम से खींचते हैं, ये उनकी पालिसी के बांग किस पानी से सींचते हैं।" आप अपने कार्यकर्ताओं को देखिये और आप अपने दिलों में सोचिये कि वह कहां तक इस सदन की गौरव गरिमा, स्पीकर के पद और डिप्टी स्पीकर के पद के अनुकूल हैं। अधिष्ठाता महोदय, सबसे बड़ी बात उनके संबंध में प्रक्रिया नियमावली को लेकर कही गयी कि वह उसके नियमों का सम्मान नहीं करते हैं। मैं रोज देखता हूं कि जब स्पीकर बोलता है तो कोई उसको टोंके नहीं, उसकी रूलिंग को चैलेन्ज नहीं किया जाता है, जब स्पीकर बोले तो किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिये, लेकिन मैं माननीय मित्रों से जानना चाहता हूं कि वे इन नियमों का कितना आदर करते हैं? चार-चार मेम्बर्स एक साथ खड़े हो जाते हैं और साथ-साथ बोलने लगते हैं। माननीय पान्डेय जी आचार संहिता की बहुत बात कहते हैं, लेकिन मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों पर ईंटें न फेंकें। माननीय रामसुन्दर जी, कभी विरोधीदल के नेता रहे, आज भले ही वे एक दल के नेता हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने साढ़े चार वर्षों के क्रिया कलापों को और जो कंट्रीब्यूशन आपका रहा है इस असेम्बली के अन्दर उसको देखें और सिंहावलोकन करें तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह ठीक नहीं किया जा रहा है। उनका विश्वास प्रजातंत्र में नहीं रह गया है ऐसा प्रतीत होता है। आज प्रजातंत्र के लिये संकट की स्थिति आ गयी है। राज्यतंत्र मैं कहता हूं कि इस देश में आ नहीं सकता। प्रश्न केवल यह है कि क्या प्रजातंत्र को हम पनपाना चाहते हैं या उसके लिये जो आवश्यक पृष्ठभूमि है वह हम बना रहे हैं। इस सदन को ही देखिये। हम क्या मिसाल कायम कर रहे हैं, किन परम्पराओं का सृजन कर रहे हैं। आज हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिष्ठाता महोदयों की स्थिति वंदनीय बना रखी है और जिन जिन सुन्दर शब्दों का प्रयोग इन कुर्सियों की तरफ से पीठासीन व्यक्तियों पर होता है उसको ये प्रोसीडिंग्ज लिखने वाले लिखा करते हैं और उसको पढ़ने वाले और आनेवाली सन्तानें पढ़ेंगी तो क्या कहेंगी ?

टंडन जी का उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने जो परम्परायें सृजित की वे प्रशंसनीय ही नहीं स्तुत्य भी हैं परन्तु हमको यह भी देखना चाहिये कि उनके जमाने में विरोधीदल में कैसे व्यक्ति थे। उनको भी आज जैसे विरोधी दल के लोगों से काम पड़ता तो वे इस्तीफा देकर चले जाते। (व्यवधान) देखिये, यही आपका संविधान का सम्मान है।

श्री अधिष्ठाता—

आप सीधे बात मत कीजिये, मेरे द्वारा कहिये।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैं कह रहा था कि टंडन जी ने जिस जमाने में यहां सुन्दर मान्यतायें स्थापित कीं वह दूसरा था। उस समय का विरोधी दल बड़ा अनुशासित था। भले उनकी आइडियालोजी से हमारा मतभेद था लेकिन वे बड़े सहनशील और अनुशासित लोग थे और इसीलिये वह कामयाब हो गये।

हमारे विकल जी तो सदा विकल रहते हैं। पता नहीं किस वेदना से पीड़ित रहते हैं और अपनी विकलता व्यक्त करने के लिये वह अवसर की खोज में रहते हैं और जब उन्हें अपनी विकलता व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता तब वे इस प्रकार की नाराजगी जाहिर करने का तरीका निकालते हैं। उनका दावा है कि वे कांग्रेस के हैं। मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। जो व्यक्ति कांग्रेस का नाम लेकर अनुशासन तोड़े और विरोधियों से साजबाज करके यहां कांग्रेस की आलोचनायें करता रहे उसे मैं कांग्रेस वाला कहने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं कहता हूं कि ठंडे दिमाग से सोचिये ....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अविश्वास के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर दिया। बड़े दुख की बात है कि आदरणीय सदन के सदस्य होते हुये भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आये। गत २३ अक्तूबर, १९६२ को जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो उस समय में भी उसके ऊपर हस्ताक्षरकर्ताओं में से था। उस समय माननीय कमलापति त्रिपाठी के भाषण के बाद कि वह समय प्रदेश और देश में इस स्थिति का नहीं था कि उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय तो हम लोगों ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया था। उसके वापस होने के बाद हम लोगों को यह आशा थी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो संविधान के अन्तर्गत आदरणीय सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के उत्तरदायी हैं, अपने कर्त्तव्यों को पूरा करेंगे, परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष ने उन परम्पराओं के विपरीत काम किया है और उन्होंने सदन के अन्दर वह पक्षपातपूर्ण कार्य किये हैं जो विधान सभा के इतिहास में किसी भी उपाध्यक्ष ने नहीं किये होंगे। उनका सारा कार्य सदन के अन्दर वही रहा जो कुछ लोगों ने समय-समय पर उनको बताया और जो समय-समय पर उनको लिखकर देते रहे। उसके अनुसार ही वह लोगों को बोलने का समय देते रहे।

मैंने इस सदन के अन्दर ४ वर्षों में कोई भी ऐसा काम करने का प्रयत्न नहीं किया जिसके द्वारा बुनियादी तौर पर किसी नियम का उल्लंघन होता हो, लेकिन मैं भी इस सदन से निष्कासित किया गया और मुझको भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो मैं अपने विचार कुछ विषयों के ऊपर व्यक्त करना चाहता था। हमारे लखपतराम शर्मा जी के बारे में शरण जी ने कहा कि अध्यक्ष के विरुद्ध चुनाव लड़कर ही वह इस सदन में आ सके हैं। वह यहां पर नहीं आ सकते थे यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को खड़ा न किया जाता। लेकिन वह इस बात को भूल गये कि दूसरे देशों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी पार्टी के नहीं होते हैं। वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वतः अपनी ओर से ही खड़े होते हैं। अपने व्यक्तित्व के आधार पर वह चुनाव लड़ते हैं। वह बिना पार्टी के होते हैं ऐसी सूरत में उनका विरोध नहीं होता। कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि किसी पार्टी का होता है और वह खड़ा होता है तो उस समय उसका विरोध करना निश्चित है और उसका विरोध

[श्री जगदम्बाप्रसाद]

होगा। अगर उन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकलाप इस सदन के अन्दर न्यायसंगत होता तो कोई कारण नहीं था कि वे बाहर चुनाव में ६ हजार और २ हजार से पराजित होते। यह इस बात का प्रतीक है कि इस सदन के अन्दर और बाहर अपने कार्य कलापों से उन्होंने वह प्रतिष्ठा खो दी थी और उन परम्पराओं को उन्होंने नहीं निभाया जो निभानी चाहिये थी। यदि आज भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बिना पार्टी के खड़े हों तो उन परम्पराओं को हम भी मानने के लिये तैयार हैं जिनके द्वारा वह व्यवस्थायें अपनाई जाती हों। हमारे मित्र पालीवाल जी ने कहा कि आज एम० एल० ए० का वह स्तर नहीं है जो टंडन जी के जमाने में था। यह बात उनकी सही है या गलत में इस पर नहीं जाता लेकिन हमारे मन्त्रिपरिषद् के जो सदस्य हैं, वे भी उस तरह के नहीं हैं जो टंडन जी के जमाने के थे। मंत्रि परिषद् के सदस्य के विरुद्ध यदि कोई चार्ज लगाया जाता है, चाहे वह सही हो या गलत, उसका जवाब उधर से नहीं दिया जाता है। मुजफ्फर हसन साहब के खिलाफ चार्जेज लगाये गये थे लेकिन जांच करने के बाद भी उनका जवाब यहां पर नहीं दिया गया। क्या मुजफ्फर हसन जी एम० एल० ए० नहीं हैं? क्या वे मंत्रि परिषद् के सदस्य नहीं है? इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्य भी उस स्तर के नहीं हैं जिस स्तर के टंडन जी के जमाने में थे। तो उनकी तुलना इस समय से करना निराधार है। इस कुर्सी की परम्परा यह रही है कि वह हर एक पार्टी के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करे और उन को अपना सहयोग प्रदान करें। जो नियम के अनुकूल काम है, जिनसे सदन के अधिकारों की रक्षा होती है, जिनके द्वारा सदन के सदस्यों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर मिल सके ऐसी प्रणाली उन को अपनानी चाहिये। माननीया राजेन्द्र कुमारी जी ने कहा है कि जो सवाल इस सदन में आते हैं वे उनको मंजूर करते हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत से उन सवालों को जिनमें सरकार की बदनामी होने का भय है, मंजूर नहीं किया है और उनको खत्म करने की कोशिश की है और इस तरह से सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर चुका और अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता।

*श्री बनारसीदास—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विरोधी पक्ष के शस्त्रागार में अगर कोई अमोघ अस्त्र हो सकता है तो वह अविश्वास का प्रस्ताव है और वह एक अंतिम अस्त्र है। मुझे इस बात का अत्यन्त दुख है कि विरोधी पक्ष की तरफ से जबकि इस सदन का समय बहुत थोड़ा रह गया था इस तरह के प्रस्ताव लाने का संकल्प किया गया। मैंने जब इस प्रस्ताव पर नामों को देखा तो मैं समझ रहा था कि विरोधी पक्ष की तरफ से कई माननीय विरोधी पक्ष के नेता विवश थे और वह संकोच महसूस कर रहे थे, किन्तु परम्परावश उनको विरोधी पक्ष का साथ देने के नाते इस प्रस्ताव पर अनुज्ञा के लिये खड़ा होना पड़ा। मैं जानता हूं कि जब उनके हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर नहीं थे तो वे मौन रूप से इस अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे। वह जानते थे कि इस प्रकार का प्रस्ताव लाना सदन की मर्यादा के विरुद्ध होगा। श्रीमन्, जब इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर दिया गया तो फिर कौन सा शस्त्र बाकी रह जाता है। श्रीमन्, हाईकोर्ट रोज फैसले देते हैं। हाईकोर्ट के फैसले गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं, हमारे देश का नियम है कि हाईकोर्ट के जज की आलोचना नहीं हो सकती। जिस तरह से जस्टिस मुल्ला ने पुलिस के खिलाफ बड़े स्वीपिंग रिमार्क्स किये थे, वह गलत थे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाद में एक्सपंज कर दिया। लेकिन जिस तरह से जस्टिस मुल्ला के लिये कुछ नहीं कहा गया उसी प्रकार से यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की एक चेयर है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य बड़ा अप्रिय होता है। उनका कार्य इस सदन का संचालन करना है और इन जनता के प्रतिनिधियों को कंट्रोल करना है और विवादग्रस्त प्रश्नों पर निर्णय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना होता है। इसके साथ ही उनसे कुछ एरर आफ जजमेंट भी हो सकती हैं। यह स्वाभाविक है कि उन के निर्णयों में भूल हो सकती है, उनमें असावधानी हो सकती है, लेकिन यदि हम मान लें कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नेकनीयती से काम नहीं लेते तो कोई भी सदस्य इस कुर्सी पर बैठ नहीं सकेगा। उस स्थान पर चाहे टंडन जी हों अथवा गांधी जी हों, यदि इस सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग उस चेयर को प्राप्त न हो तो कोई भी सदस्य अध्यक्ष का कार्य संपन्न नहीं कर सकता। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से आप के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा प्रक्रिया नियमावली के नियम २८६ की ओर, जिसमें लिखा है कि "कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा, चीत्कार नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा, जब सदन में भाषण दिये जा रहे हों और साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेगा।" श्रीमन्, जरा विचार करें और मैं बड़ी नम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस नियमावली की यहां दिन प्रति दिन अवहेलना होती है और हमारे पत्रकार, हमारे दर्शक बैठे रहते हैं। यह प्रक्रिया नियमावली जो हमें गाइड करती है इसका उल्लंघन दिन में कितनी बार किया जाता है? कई सदस्य चीत्कार करते हैं, कई लोग टिप्पणियां करते हैं, व्यंग कसे जाते हैं। तो क्या इस नियमावली का पालन किया जाता है?

फिर व्यवस्था देखिये कि अगर नियम का पालन करने का प्रयास किया जाता है तो कहा जाता है कि हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के साथ काम करते हैं। श्रीमन्, आचरण में लिखा है कि "जब वह न बोल रहा हो तो वह शान्त रहेगा"। कितने व्यक्ति शान्त रहते हैं? इसमें लिखा है कि "अध्यक्ष संबोधन कर रहा हो तो न सदन के बाहर जायगा, न दूसरी ओर जायगा।" "किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित या शोर मचाना या अव्यवस्थित रूप से बाधा नहीं डालेगा।" तो श्रीमन्, आज भी आपने देखा कि कितने ऐसे सदस्य हैं—हो सकता है कि आपके मतभेद हों और आप अविश्वास भी ला सकते हैं— लेकिन जब नेता सदन भी खड़े हो जाते हैं तो कितने सदस्य हैं जो लोग मौन होकर सुनते हैं? और इस नियमावली के अन्दर लिखा है कि २९४ में कि "जब अध्यक्ष सम्बोधन करें तो उनका भाषण मौनपूर्वक सुना जायगा और कोई सदस्य उस समय बोल रहा हो या बोलने के लिये खड़ा हो तो तत्काल बैठ जायगा।" क्या सदन में इस प्रकार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का आदर होता है? जब अध्यक्ष बोलते हैं तो क्या वास्तव में संसद नजर आती है? यहां जिस प्रकार से सदस्य खड़े होकर बोलते हैं क्या यह जनतंत्रीय प्रणाली है? वास्तव में उग्रसेन कह रहे थे कि मैं इसका जनाजा निकालता हूं। मैं कहूंगा कि आज वह जनाजा इतना सस्ता हो गया है कि दिन प्रति दिन आज इन नियमों का जनाजा निकाल कर जनतंत्र का जनाजा निकाल कर स्वयं विरोधी दल के लोग सहयोग देते हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कल परसों लोक सभा के अन्दर एक स्वतंत्र पार्टी के सदस्य निकाले गये। तो इसको कहते हैं संसदीय प्रणाली कि एक स्वतंत्र पार्टी के नेता माननीय डांडेकर ने अपने सदस्य की भर्त्सना की और कहा कि उनका आचरण इस सदन की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। क्या मैं कह सकता हूं कि इस सदन के अन्दर कितने माननीय विरोधी दल के नेता हैं जिन्होंने इस प्रकार से आचरण करने पर अपने सदस्यों की आलोचना या भर्त्सना की है? आज कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अध्यक्ष का साथ दिया है? इन परिस्थितियों के अन्दर यह कहा जाना कि माननीय टंडन जी का यह आदर्श था, यह कहां तक ठीक है। सन् ४६ में मैं भी प्रथम बार एक सदस्य निर्वाचित होकर आया था और यहां पर विरोधी दल के नेता चौधरी खलीकुज्जमां थे। हमारे आदर्शों में मतभेद था। मुसलिम लीग कहती थी कि हम इस मुल्क में खून की होली खेलेंगे, मुल्क को बटवा देंगे, तो उनके साथ बुनियादी मतभेद था लेकिन वह एक विरोधी पक्ष के ऐसे लोग थे कि आप ऐसी घटना का जिक्र नहीं कर सकते जहां पर यों चीत्कार होती हो, जिस प्रकार से यहां कमेंट्रियां होती हैं, ऐसी होती हों या इस प्रकार से सदस्यों को चेयर का उल्लंघन करने के लिये बलात् निकाला जाता हो? हां, सदन से वाक-आउट कर सकते थे, वह करते थे।

कहा गया कि अध्यक्ष को पार्टी के ऊपर होना चाहिये। राजर्षि टंडन जी का नाम लिया। प्रथम बार जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता, मैं कांग्रेस का निर्वाचित

[श्री बनारसीदास]

सदस्य हूं और मैं कांग्रेस दल का सदस्य रहूंगा, लेकिन जब कुर्सी पर रहूंगा तो मैं एक दल के सदस्य की हैसियत से नहीं, एक न्यायाधीश की, अध्यक्ष की हैसियत से बैठूंगा । इसी प्रकार से नफीसुल हसन साहब, खेर साहब ने घोषणा की । और सन् ६२ के चुनाव के समय माननीय विरोधी दल के लोगों ने इस बात के लिये प्रयत्न किया कि स्पीकर का विरोध न किया जाय । लेकिन माननीय खेर साहब खड़े हुये और इस सदन के बड़े आदरणीय सदस्य श्री लखपतराम शर्मा, जिन्होंने आज टंडन जी के आदर्श को यहां पर पेश करने की कोशिश की उन्होंने ही खेर साहब का विरोध किया. . . . . .

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

पार्टी कैंडीडेट की हैसियत से किया, नान-पार्टी कैंडीडेट की हैसियत से नहीं ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि कम से कम आज तो इस अविश्वास के प्रस्ताव की छाया में थोड़ी हमारे चेहरों पर गम्भीरता होनी चाहिये । उचित होता यदि लखपतराम जी मुझसे स्पष्टीकरण चेयर के द्वारा मांगते, लेकिन आज फिर रनिंग कमेंट्री होती है । श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि कौन सा उच्च आदर्श आपने पेश किया । यदि खेर साहब के खिलाफ चुनाव न लड़ा जाता और वे चुन कर आते तो अपने को नान पार्टी मैन कह सकते थे । मगर आज की परिस्थिति में दो किसी दल विशेष से ही उसका चुनाव होता है । क्या आज विरोधी पक्ष यह आश्वासन देने के लिये तैयार है कि कोई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा ?

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

आप नान पार्टी मैन को बना दीजिये, हम आश्वासन देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री बनारसीदास—

ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में भी मान्यवर, स्पीकर का चुनाव होता है और वह बहुमत दल से होता है ।

मान्यवर, विरोधी पक्ष ने उपाध्यक्ष के ऊपर तमाम दोषारोपण किये । मैं कहता हूं कि आपने जरा भी इस नियमावली की रक्षा की होती, जरा भी उसका पालन किया होता, तो यह बात न होती । माननीय रामसुन्दर जी ने कहा और एक आरोप यह लगाया, यानी वे अपनी दलील के स्वयं ही शिकार हो गये, कि २५ फीसदी से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर नहीं हो पाते हैं । दूसरी तरफ कहा कि माननीय उपाध्यक्ष ३ प्रश्न से ज्यादा एक दिन में स्वीकार नहीं करते । यदि माननीय उपाध्यक्ष ३ प्रश्न स्वीकार करते हैं तब तो २० फीसदी प्रश्नों के उत्तर हो पाते हैं, यदि वे माननीय रामसुन्दर जी के १०० प्रश्न एक दिन में स्वीकार कर लें तो क्या हाल होगा ? तब तो ५ फीसदी प्रश्न भी नहीं आ सकते । इसके अलावा मान्यवर, नियम समिति ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया कि एक दिन में एक सदस्य के ३ प्रश्न से ज्यादा स्वीकार न किये जायं । सब लोगों ने मिल कर यह तय किया ताकि सब लोगों को समान अवसर मिल सके । मैं भी उस समिति का एक सदस्य था । तो मान्यवर, इसके अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, कहां दोषी हैं ? जब माननीय रामसुन्दर जी तथा अन्य सदस्य यह कहते हैं कि एक सप्लीमेंटरी प्रश्न और कर लेने दीजिये, और अध्यक्ष महोदय आप की इच्छा को स्वीकर करते हैं, तो इसमें अध्यक्ष महोदय का कहां दोष आता है ? यह तो उनकी विनम्रता है कि वे ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंटरी करने देते हैं । अगर आपकी राय की वे इज्जत न करें तो भी तो आपत्ति होती है और यहां विरोध होने लगता है । फिर रामसुन्दर जी चार्ज लगाते हैं कि २५ फीसदी ही प्रश्न यहां हो पाते हैं । क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रश्नों का घंटा

पहले ही समाप्त हो गया हो ? यदि ऐसा नहीं है तो उसमें अध्यक्ष का कहां दोष आता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय की नम्रता की वजह से ही इधर के (कांग्रेस) बहुत से सदस्यों को अवसर नहीं मिलता, उनको प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया जाता। मान्यवर, बदकिस्मती से मैं इस दल का मुख्य सचेतक हूं। अगर इस दल के किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वह पार्टी के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव ला सकता है। मैं माननीय विकल जी से कहना चाहता हूं कि पार्टी में उसको लाते।

मुझे मान्यवर, अमेरिका के राष्ट्रपति की वह बात याद आ गयी । एक बार बेन्जोमीन फ्रैंन्कलीन राष्ट्रपति, जब पढ़ने जा रहे थे तो रास्ते में कहीं धौंकनी चलाने लगे और देर हो गयी । स्कूल में जब पहुंचे तो मास्टर ने सजा दी । उनका कहना था कि जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे कोड़े लगा रहा है ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे कितना समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

१५ मिनट ।

श्री बनारसीदास—

अधिष्ठाता महोदय, २० मिनट बोलना है मुझे ।

श्री अधिष्ठाता—

१५ मिनट बोलना है ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, माननीय खेर साहब की बुहाई दी गई । १५९ पेज के ऊपर खेर साहब की रूलिंग देख ली जाय । एक सदस्य के प्रस्ताव पर उन्होंने यह रूलिंग दी थी—"यह तो उचित है क्योंकि बात वही है कि यह पद्धति मान लें। जहां प्रायोरिटी सिस्टम हो वहां बोलने के लिए फेहरिस्त दी जाय। दोनों तरीकों का समन्वय होना चाहिए"। श्रीमन्, उन्होंने रूलिंग दी। इसी प्रकार से ३७८ पेज के ऊपर स्पीकर की रूलिंग देखिए। पार्लियामेंट में तथा लोक सभा में भी यही रूलिंग है। श्रीमन्, एक दलील का जवाब दलील से देना चाहिए। यह नहीं कि विरोध की तकरीर हुई तो विकल जी खड़े हो गये। एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ मान्यतायें होती हैं और कुछ परम्परायें भी होती हैं। ए० एन० झा, श्रीमन्, तीन प्रकार के लड़के पसन्द करते थे। अच्छा स्कालर, अच्छा खिलाड़ी और सबसे ज्यादा शरारती। विकल जी डिस्टिंक्शन चाहते हैं। वे स्वयं अपने आपको पार्टी का नेता समझकर बोलना चाहते हैं। वे कांग्रेस दल के सदस्य हैं फिर बदकिस्मती है कि बैंक बेन्चर हैं। अखबारों के अन्दर वे विरोधी तकरीर करते हैं। अगर कोई भी संबंधित विषय हो तो वे बोलने के लिए तैयार है, माननीय विकल जी की तकरीर सबसे ज्यादा किन्हें कहें, वे स्वयं अपना अधिकार समझते हैं कि जब तक प्रश्न पर सहमति उनकी नहीं होगी वह विवाद ही अधूरा रह जायगा। माननीय सदस्य जो समझते हैं वे इसको हास्य का विषय बना लेते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को वापस लेकर इसको मजाक का विषय न बनाएं ।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय बनारसीदास के बाद वैसे तो मैं आपको कहूं माननीय उग्रसेन और माननीय रामसुन्दर पांडेय ने जो सही आलोजना करनी चाहिए थी वह की । मैं खुद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

पा रहा हूं कि माननीय बनारसी दास जी कौन बात बता रहे हैं। माननीय बनारसी दास जी के प्रक्रिया नियमावली के पढ़े जाने पर तो ऐसा लगा कि इसकी सब धारायें हम पर ही लागू होती हैं और हम ही बागी हैं और कांग्रेस दल के लोग अक्षर अक्षर इस नियमावली का प्रतिपालन करते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सात-आठ उदाहरण माननीय बनारसीदास के स्वयं रखना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि हम बागी हैं आपकी निगाह में। मैं यह भी मानता हूं कि उग्रसेन और राधेश्याम ज्यादा हल्ला करते हैं, व्यवस्था भी नहीं मानते और इसके अलावा जो भी कहें वह मान लेने के लिए तैयार हैं। यह काम हम तब करते हैं जब हम मजबूर होते हैं। आपके हाथ में ताकत है। आप सरकार चलाने वाले लोग हैं। मैं सात उदाहरण ही दे देता हूं। ये तो मुख्य सचेतक बहुत ही अनुशासित हैं। एक दिन माननीय काशीनाथ सदन में जब हल्ला था तो इस माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गये। माननीय बनारसीदास चप्पल लेकर दौड़े थे। यह है उनकी प्रक्रिया नियमावली। अगर बीच में माननीय सदस्य न आए होते तो आठ दस चप्पल उनपर पड़ जातीं। यह तो एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने बात छेड़ी है तो मुझे कहना पड़ेगा। विरोधीपक्ष के लोग निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बायकाट किया, लेजिस्लेचर से निकाल देते। इसके बाद बहुगुणा ने बायकाट किया। पांच सात आदमी जो खाली कांग्रेस में बचते हैं सबसे ज्यादा इस तरह से प्रक्रिया नियमावली को ये पांच सात आदमी तोड़ते हैं आपको मालुम है कि इस सदन का नियम है बनारसीदास जी, कि यहां पर कोई चीज खाई-पी नहीं जाती है। आप पान खाते हैं। आपके एक सभासचिव डिबिया में पान लाते हैं और पांच सात आदमियों को पान देते हैं, एक मंत्री तो पान खाकर ही जवाब देते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि प्रक्रिया नियमावली के पालन को जहां तक बात है सरकारी पक्ष स्वयं उस नियम को तोड़ता है। अगर विरोधी पक्ष के ५–७ सदस्य खड़े होते हैं तो हमने देखा है कि सरकारी पक्ष के २५–३० आदमी खड़े हो जाते हैं और कभी कभी तो सरकारी पक्ष के सैकड़ों आदमी मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां आये दिन की बात है कि माननीय बनारसीदास जी सदन में विरोधी सदस्यों के विरुद्ध आस्तीन चढ़ाते हुए देखे जाते हैं। वे बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और कभी कभी गाली गलौज पर भी उतर आते हैं। यह सब आप छोड़ें माननीय बनारसीदास जी, अगर आप प्रक्रिया नियमावली का आदर कराना चाहते हैं तो दूसरी तरफ से भी उसका अदर होना चाहिए। एक तरफ तो आप प्रक्रिया नियमावली को मानने की बात करते हैं और दूसरी तरफ स्वयं उसका उल्लंघन भी करते हैं। मैं भी इस पक्ष का हूं कि यह सदन नियमावली के अनुसार चले और उसका कोई कोड आफ कंडक्ट बने। अगर सरकारी पक्ष उसका आदर करेगा तो विरोधी पक्ष को भी वैसा ही आचरण करना पड़ेगा। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि कोड आफ कंडक्ट बनना चाहिए। लेकिन माननीय बनारसीदास की बातों से तो ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर के अवतार उधर ही बैठे हुए हैं और इधर ऐसे वैसे लोग ही हैं।

अब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोग और कांग्रेस पक्ष के लोग भी उनसे क्यों नाराज हैं। अगर माननीय विक्रम जी के खिलाफ कोई बात है तो आप उनको कांग्रेस से निकालिए, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो उनको एक एम० एल० ए० की हैसियत से जानता हूं और उस हैसियत से उनके द्वारा जनता की जो सेवा होती है उसकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक सही बात कही। अगर माननीय बनारसीदास जी को उनसे कोई दिक्कत है तो वे उनकी पार्टी के हैं, उनको रखें या निकालें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।

लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी जो सोशलिस्ट पार्टी के थे, उस समय उपाध्यक्ष थे। उन दिनों मैं यहां एम० एल० ए० चुनकर नहीं आया था। मैंने कई बार ऊपर से देखा कि वे माननीय राजनारायण और माननीय उग्रसेन को डांट रहे हैं।

मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कभी श्री होतीलाल ने सरकारी पक्ष के किसी माननीय सदस्य को या माननीय बनारसीदास को डांटा है ? एक बार भी इन्होंने हाउस में इस तरह का कोई काम नहीं किया है । तो मैं आपसे कहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि उपाध्यक्ष कभी बिलकुल निष्पक्ष नहीं रहे हैं और सरकारी पक्ष के साथ उनका बिलकुल लगाव रहा है और रहता है । जैसा कि विकल जी ने कहा कि सरकारी के एक गुट विशेष के साथ उनका संबंध है और गुट विशेष में भी कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ उनका संबंध है जिससे वे दबते हैं, यह बात बिलकुल सही है । मैंने कहा कि किसी का विश्वास उपाध्यक्ष या अध्यक्ष में नहीं है । आज अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव भेज दिया गया है और उनके आचरण की भी धज्जियां इस सदन में उड़ायी जायेंगी । यहां से बच कर कोई जाने वाला नहीं है । जहां तक संसदीय पद्धति पर चलने की बात है, सब लोगों के लिए यह चीज लागू होनी चाहिए और उस पर आचरण करना चाहिए ।

श्री होतीलाल की एक बात मैं और बतलाऊं जिसके बारे में अभी माननीय सदस्यों को मालुम नहीं होगा, कहीं से ढूंढ कर मैं लाया हूं । जिस वक्त माननीय बनारसीदास द्वारा मुझे एक महीने के लिए निलम्बित करने का प्रस्ताव आया था उस समय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के बगल में ही बैठ कर सरकारी पक्ष के साथ वोट कर रहे थे । इसे किसी ने नहीं देखा था शायद । संसदीय पद्धति के अनुसार उपाध्यक्ष पक्ष को सरकारी पक्ष के साथ कभी वोट नहीं करना चाहिए, यह नैतिक बात है लेकिन यहां पर ऐसी मिसालें भी देखने को मिली हैं । उपाध्यक्ष महोदय हमेशा यहां बैठ कर सरकार के गलत व अच्छे कामों में उसके साथ वोट देते हैं । माननीय रामनारायण त्रिपाठी के लिए अगर आप ऐसा कभी उदाहरण दिखला दें कि उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के साथ वोट किया हो, तो मैं इस उत्तर प्रदेश विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा । वे बराबर निष्पक्ष रहे, लेकिन ये उपाध्यक्ष हमेशा सरकार के साथ वोट देते हैं । एक बार श्री शर्मा जी के प्रस्ताव पर माननीय उग्रसेन को निकाल दिया गया, माननीय काशीनाथ जी भी निकाले जा चुके थे, मैं उसी दिन मथुरा से आया था । जब मैं लाबी में आया तो वहां मुझे माननीय भगवान सहाय जी मिले, उन्होंने मुझसे पूछा कि कहां जा रहे हो मैंने कहा कि असेंबली में जा रहा हूं । जब मैं सदन में आता हूं तो उग्रसेन को देखता हूं टंगे हुए, काशीनाथ जी को देखता हूं टंगे हुए । मैं पूछता हूं कि बात क्या है , और इतने में ही होतीलाल जी कहते हैं कि राधेश्याम, तुम भी बाहर जाओ । तुम भी निकाले जाते हो । मैं कहता हूं कि मैं तो अभी आया हूं । मेरे हाथ में किताब है, मगर वह कहते हैं कि वह कुछ भी सुनने के लिये तैयार नहीं हैं । मार्शल से निकलवाता हूं वरना बाहर जाओ । फिर कैसे हम उन पर विश्वास करें ?

यही नहीं हमारे माननीय लखीसिंह जी चाय पी रहे थे । होतीलाल जी को यह भी मालुम नहीं कि लखीसिंह जी की शक्ल कैसी है । वह यहां नहीं थे । मगर होतीलाल जी कहते हैं कि माननीय लखीसिंह निलम्बित कर दिये गये । इनको सदस्यों का हुलिया भी नहीं मालुम है । जैसा माननीय उग्रसेन जी ने कहा, ये बातें कडवी हो सकती हैं लेकिन अक्षरशः सही हैं । रामसुन्दर पांडेय जी ने बिलकुल संसदीय बात कही है । अगर सरकार निष्पक्ष सदन का काम चलाना चाहती है तो माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के स्थान निष्पक्ष घोषित करें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है । बनारसीदास जी ने कहा कि विरोधी पक्ष कहे कि अध्यक्ष के खिलाफ कोई पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी । आप उनको बैलों की जोड़ी मत दीजिये, हम नहीं लड़ेंगे । लखपतराम जी ने ठीक ही किया कि खेर साहब से चुनाव लड़े । अगर सरकार कुछ मान्यतायें कायम करना चाहती है तो विरोध पक्ष उससे पीछे नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को पास करें ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रस्ताव माननीय उपाध्यक्ष को निकालने का है, अविश्वास का नहीं है । उपाध्यक्ष को रिमूव करने का है । इसके स्पांसरर हैं हमारे बड़े कीमती मित्र रामचन्द्रजी विकल ९५, ९६ मित्र इस पर खड़े हुये । तो पहली नैतिक शिकस्त तो विरोध

[श्री जे० पी० मिश्र]

बात को यह है कि एक ही कांग्रेस मैन आपको खींच ले गया अपने साथ । ९५ भेड़ें एक साथ पीछे-पीछे चल दीं वगैर किसी बात के, वगैर किसी प्रयोजन के । दिक्कत यह हो सकती है कि रामचन्द्र विकल को उपाध्यक्ष ने समय नहीं दिया बोलने के लिये । लेकिन मैं आपसे बताता हूं कि पूरे बजट सेक्शन में मुझे केवल ४ बार मौका मिला और अबकी बार यह चौथा नम्बर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे मुख्य सचेतक ने उपाध्यक्ष जी को लिस्ट भेजी, जैसी कि उधर से भी भेजी जाती है । लेकिन होतीलाल जी ने मुख्य सचेतक की लिस्ट को न मानकर रामचन्द्र जी विकल को मौका दिया बोलने के लिये । अगर होतीलाल जी अग्रवाल इस सदन में अपनी सफाई दे सकते तो वह बतलाते । यह बात सारी कांग्रेस पार्टी को मालुम है कि सचेतक की राय के खिलाफ उपाध्यक्ष ने रामचन्द्र जी विकल को बोलने का अवसर दिया है । कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि विकल जी ग्रेटर हरियाना के उपासक हैं । वह चाहते हैं कि अखबारों में उनका नाम हैड लाइन्स में छपे कि पंजाब का हर व्यक्ति यह अच्छी तरह से देखे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में कांग्रेस पार्टी में एक मेम्बर बड़ा लड़ाकू है उसकी लीडरशिप में काम हो सकता है । ईमानदारी की बात यह है । श्रीमन्, होतीलाल अग्रवाल के विरुद्ध तो शिकायत अगर होनी चाहिये थी तो कांग्रेसपार्टी वालों को होनी चाहिये थी क्योंकि उनके २७५ मेम्बर हैं और अपोजीशन के १५६ हैं उनका रेशियो २.७ और ३.५ का है । कांग्रेस पार्टी वालों को ज्यादा समय मिलना चाहिये था । उनके खिलाफ तो हमारा पक्षपात का चार्ज होना चाहिये था । क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा समय विरोधी पार्टी के लोगों को दिया है और उनको पनपाया । हम तो अनुशासित सिपाही हैं । मुख्य सचेतक जी ने कह दिया और आपने इजाजत दे दी तो खड़े हो गये वरना बैठे रहे । जब आपने इजाजत नहीं दी तो तिलमिलाया भी, क्योंकि हम तो बोलना चाहते थे । कांग्रेस पार्टी और उधर के लोगों की लिस्ट उठा कर आप देख लें, जिन लोगों को शिकायत है उन लोगों को और लोगों से ६-६, ८-८ गुना ज्यादा समय बोलने का मिला है । आपका मकसद क्या है ? आप चाहते क्या हैं ? उधर १५६ आदमी हैं लेकिन उनमें से ४,६,८ ही ऐसे हैं जो कांग्रेस के २७५ आदमियों का भी समय लेकर आठो घंटे स्वयं ही बोलना चाहते हैं । यह उनकी नाइंसाफी है । इस पर उनको विचार करना चाहिये । होतीलाल अग्रवाल कम पढ़े लिखे नहीं हैं। एम० ए० एल०-एल० बी० हैं, कोई दोयम दर्जा पास थोड़े ही हैं । सब बातों को समझते हैं । लेकिन असलियत यह है कि कभी कभी सिधाई भी बड़ी घातक होती है । वे बहुत ही मोबिल, जेन्टिल और सीधे आदमी हैं और उनकी सिधाई की बिना पर ही यह सब प्रदर्शन है। श्री होतीलाल अग्रवाल ही इनके टारगेट हों सो बात नहीं है । अभी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव रखा था, उसके बाद सुना है मदन मोहन वर्मा जी के खिलाफ दस्तखत हो रहे हैं । ईमानदारी की बात यह है कि यह डाक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी के हैं जो जनतंत्र के नाम से भी चिढ़ते हैं । इन साढ़े चार वर्षों में उन्होंने जो काम किया है उसका नतीजा १९ फरवरी को जनता देगी । इन वर्षों में जनता ने समझ लिया है कि जिन लोगों को उन्होंने चुन कर भेजा था वह घोड़े, भैंसे की तरह टांग पकड़ कर बाहर कर दिये जाते हैं और हर इश्यू पर वाक आउट करते हैं और बात-बात पर प्रक्रिया नियमावली का जनाजा निकालते हैं। इस प्रकार यह विरोधी दल नाकारा साबित हुआ है। इन्हीं कारनामों की वजह से उधर से २८ सदस्य इधर आ गये । जो अच्छे थे इधर आ गये, अभी और आना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत टिकट की है । अगर आज माननीय चन्द्रभानु गुप्त या कमलापति त्रिपाठी गंगा कसम खाकर कह दें कि तुमको टिकट देंगे तो अभी १५६ के आधे इधर आ जायं । यहां उसूल और सिद्धान्तों का प्रश्न नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि यह कार्य चले या न चले । मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने १ बजे से साढ़े पांच बजे तक काफी कह लिया । और अब मर्यादा और गरिमा इस सदन की रखने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी ही आपकी है । बल्कि आपकी जिम्मेदारी तो और ज्यादा है । विरोधी दल का दर्जा हम से ऊंचा है और हम इसको मानते हैं । विरोधी दल के नेताओं का हम आदर करते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल से भी मैं निवेदन करूंगा कि कि जो बात उन्हें कहना थी जो कुछ उन्हें सुनाना था वह सुना चुके और अब इस सदन की गरिमा को कायम रखन के लिये उचित यही है कि आप मतदान के ऊपर झुकें । अगर आपने मतदान के लिये दबाव डाला तो आप यहां की संसदीय प्रणाली में एक नया चैपटर जोड़ देंगे । अन्त में मैं फिर निवेदन करूंगा कि श्री होतीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो आपने रिमूवल का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको सम्मानित तरीके से आप अभी वापस ले लें । जो आपकी शिकायत थी वह तो सुन ली गई, जो बातें कहना थीं वह आपने कह लीं । यदि इस सदन की गरिमा को न कायम रखने की बात विरोधी दल ने की तो जनतंत्र के भविष्य पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा । बस यही मुझे कहना था ।

श्री उग्रसेन—

मेरे से पहले आप श्री सहदेवसिंह को समय दे दें ५ मिनट का।

श्री अधिष्ठाता—

अब इतना समय नहीं है।

श्री उग्रसेन—

तो हम नहीं बोलेंगे, आप इन को समय दे दें ।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आप का बहुत ही ऋणी हूं इसलिये कि यद्यपि एस० एस० पी० के कई सदस्य बुलाये जा चुके हैं लेकिन फिर भी आपने हमारे दल के सदस्यों को बुलाया । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सिविल वार के बाद अमरीका में काबिल आदमियों की जिस तरह से कमी पड़ गई थी वही आज यहां की है । पद तो यहां बहुत से ऊंचे-ऊंचे हैं, विधान सभा के अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं, मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं, लेकिन, उन ऊंचे पदों पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग बैठे हैं जिनके दिलोदिमाग संकुचित और तंग हैं जिन को अपने नजदीक का ही नाक के आगे का दिखाई नहीं देता । इसका कारण यह है कि यह देश और प्रदेश को इस तरह से गढ़े की तरफ लिये जा रहे हैं जैसे कि शैतान ऐसा मंत्र उच्चारण करता है उसी तरह से प्रजातंत्र की हत्या करने वाले लोगों ने लोगों को प्रजातंत्र सिखाने की कोशिश की है । जिस गरीब आदमी का एकमात्र धन वोट है इस से ज्यादा उस के पास कुछ नहीं है । आज ४७ करोड़ यहां भी जनता भूखे मर रही है जिस के बदन पर कपड़े नहीं हैं, जो पीड़ित, शोषित और दुखी है उसके पास सिवा वोट के और कोई धन नहीं है । यह बनारसीदास जी और दूसरे लोग हम पर और इन सर्वहारा लोगों पर आरोप लगाते हैं कि हम प्रजातंत्र को नष्ट कर रहे हैं । हम अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र कायम रहे और एक संवैधानिक तरीके से यहां का काम चले । आप जानते हैं कि लोकसभा में बस्तर हत्याकांड पर एक हंगामा हुआ । पहिले कामरोको प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया लेकिन बाद में जब बहुत हंगामा हुआ तब उसको मंजूर किया गया और उस पर वहां बहस हुई । उस के बाद अभी की बात है कि आप ने पढ़ा होगा कि वहां पर यह बात चली कि पहले अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो और उसके बाद सरकार की आर्थिक नीति पर विचार हो । स्पीकर ने पहले वहां विरोध पक्ष की बात नहीं मानी लेकिन बाद में जब उस पर भी हंगामा वहां हुआ तब उनकी बात प्रधान मंत्री ने मान लिया । इस विधान सभा में भी हम रोज देखते हैं कि कितनी ही जायज मांग की जाय पहले सरकार की या अध्यक्ष जी की समझ में नहीं आती लेकिन जब एक हंगामा होता है तब वह मानी जाती है । मुझे अफसोस है कि मैं एक बार नहीं बल्कि अभी तक ३० बार खड़ा हुआ लेकिन चूंकि मैं इटावे का रहने वाला हूं मुझे जानबूझ कर मौका नहीं दिया गया और उसमें और लोग भी शामिल हैं । माननीय होतीलाल जी हमारे बुजुर्ग हैं । किस तरह से वे इस कुर्सी पर आये हैं यह भी सब को विदित है । १९५७ के चुनाव में लोक सभा के ये १ १/२ लाख वोटों से हारे थे । जिले में उनका.....

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया अपने विचारों को उनके उपाध्यक्ष के कार्य के सम्बन्ध में ही सीमित रखें ।

श्री सहदेव सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, जब चुनाव में माननीय चन्द्रभानु गुप्त, इटावा गये थे तो एक सभा में भाषण देते हुये उन्होंने कहा था कि यदि माननीय होतीलाल अग्रवाल जी जीत जायेंगे तो वे मिनिस्टर हो जायेंगे और जिले का कुछ काम होगा । हमको भी बड़ी तसल्ली हुई कि हमारे जिले का एक आदमी मिनिस्टर हो जायगा, लेकिन आज बड़ा दुःख है और शर्म लगती है कि हमारे जिले का व्यक्ति जो उपाध्यक्ष के पद पर आसीन है, उसके खिलाफ यह अविश्वास का प्रस्ताव आये । हमारे जिले के एक माननीय नीफील हसन जी पहले उपाध्यक्ष थे और बाद में वे अध्यक्ष रहें लेकिन कभी भी किसी आदमी ने जिले में उनके खिलाफ आवाज नहीं उठायी और यहां पर भी कभी कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया । हमारे जिले में यमुना का पानी है जो बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल है । उस जिले से हमारे होतीलाल जी यहां पर आये हैं लेकिन उन्होंने जिले तक को बदनाम कर दिया है ।

मैं विरोधी दल का आदमी हूं लेकिन मैं कांग्रेस के आदमी की जमानत जब्त करके यहां पर आया हूं । इसीलिये माननीय होतीलाल जी मेरे से नाराज हैं और अगर कहीं सामने पड़ जाते हैं तो मुंह फेर लेते हैं ।

माननीय अध्यक्ष ने हमारे सवालों का काम इन्हें सौंप दिया है । मैंने जब कभी कोई सवाल किया है उन्होंने एक भी सवाल को मन्जूर नहीं किया । वे सवाल अधिकतर डी० सी० डी० एफ० के भ्रष्टाचार, कोआपरेटिव के भ्रष्टाचार, जिला परिषद् के भ्रष्टाचार के बारे में होते थे और उन भ्रष्टाचारों से माननीय होतीलाल जी का सीधे सम्बन्ध है । उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर उन्हें जो काम करने चाहिये थे, जो उन्हें हृदय की विशालता दिखानी चाहिये थी, जो उन्हें दिमाग की विशालता दिखानी चाहिये थी वह नहीं दिखायी ।

जिले में माननीय उपाध्यक्ष ने सहकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया और १६,००० रुपये का पेट्रोल फूंका । अभी जो चन्दा वसूल किया गया है वह भी सरकारी पेट्रोल खर्च करके और सरकारी कार को इस्तेमाल करके किया गया है । कांग्रेस की गुटबन्दी में जो चुनाव का प्रचार किया गया है उसमें भी सरकारी गाड़ी का प्रयोग हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता—

अन्तिम स्पीच में जिस तरह से जवाब हुआ करते हैं, वैसे ही कहिये ।

श्री सहदेवसिंह—

श्रीमन्, वैसे ही जवाब दे रहा हूं । यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा कि वे तो देवता हैं, कभी मरेंगे नहीं । उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से वे उपाध्यक्ष हुये हैं, इन ४ सालों में, उन्होंने अपने घर वालों, भाई भतीजे को वहां की सरकारी मशीनरी पर रौब डालकर, बना दिया है । और वहां के मिनिस्टरों से काम कराकर सारे जिले को भ्रष्ट कर दिया है । अगर हमारे जिले में भ्रष्टाचार को पनपाने वाला प्रतीक, सिम्बल हो सकता है तो एक शब्द में वह होतीलाल अग्रवाल हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप उनके उपाध्यक्ष के कामों पर ही कुछ कह सकते हैं ।

श्री सहदेवसिंह—

श्रीमन्, मैं आपसे इस सम्बन्ध में सबन की बात कह रहा हूं कि किस तरह से वे ....

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. . . .

(व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सहदेवसिंह—

मेरा भाषण जब समाप्त हो जाय तभी आप व्यवस्था का प्रश्न ला सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस अविश्वास के प्रस्ताव के प्रसंग में व्यक्तिगत आक्षेप की बातें जो असम्बद्ध हैं इनकी अनुमति आप क्यों दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने स्वयं रोक दिया ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, आप माननीय सदस्य को कह दीजिए कि गुस्सा दूसरों को भी आता है, बांह चमकाना दूसरों को भी आता है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, नियमावली के नियम २९१ के अन्तर्गत जो असंत या पुनरावृत्ति का शब्द आया है आप देखें कि जो इस प्रकार के भाषण होंगे जिनमें पुनरावृत्ति होगी उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण में बहुत से ऐसे असंगत तथ्यों का जिक्र किया है जो हमारी कार्यवाही का भाग नहीं हो सकते। इसलिए मैं व्यवस्था चाहता हूं कि वे शब्द, वे वाक्य जो इस अविश्वास के प्रस्ताव से सम्बन्ध नहीं रखते उनको आप कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अधिष्ठाता—

वाक्य तो नहीं निकाले जा सकते हैं। जो असंगत है मैंने उनको रोक दिया।

श्री सहदेवसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अविश्वास के प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष की हैसियत से बाबू होतीलाल गुप्तदास ने जो जो काम किए हैं उनकी मैं एक झलक सदन को देना चाहता था । मैंने बतलाया कि किस तरह से प्रश्नों के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष से चुने जाने के कारण उपाध्यक्ष महोदय ने लोगों से कहा कि मैं जब इजाजत दूंगा सहदेवसिंह को तभी तो वह सदन में बोल सकेंगे, मेरी बगैर इजाजत के नहीं बोल सकते। वह एम० ए०, एल-एल० बी० हैं तो मैं डबल एम० ए०, एल-एल० बी० हूं। मैं चार साल से यह दर्द दबाए बैठा हूं। गुप्ता जी ने जब उनको आश्वासन दिया था कि उनको वोट दें तो उनको मिनिस्टर बना दिया जायगा। लेकिन जब मन्त्रि-परिषद् में बनारसी-दास, कैलाशप्रकाश, शिव प्रसाद गुप्त बनियों की तादाद बहुत बढ़ गयी तो होती लाल जी को नहीं

[श्री सहदेवसिंह]

रखा जा सका। जब डिप्टी मिनिस्ट्री भी उनको नहीं दी जा सकी तब उपाध्यक्ष के पद पर उनको बिठा दिया गया। होतीलाल जी कुछ दिनों पार्लियामेंट में रहे, कुछ दिनों असेम्बली में रहे लेकिन उनका ज्ञान इतना नहीं था कि वह इस कुर्सी को सुशोभित करते। यह बात शुरू से मालुम थी कि जब कांग्रेस पार्टी ने होतीलाल जी का नाम उपाध्यक्ष पद के लिए पेश किया था तो विरोधी दल ने उनको पसन्द नहीं किया था बल्कि उनके बजाय जगदीश शरण जी को पसन्द किया था, लेकिन किसी तरह से उनको यह इनाम देना था इसलिए यह इनाम उनको दिया गया और उन्होंने इस पद का दुरुपयोग किया। मैं पूरी तरह से उनके प्रति अविश्वास प्रकट करता हूं और अपने जिले की तरफ से बहुत शर्मिन्दा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि माननीय होतीलाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष, विधान सभा को उपाध्यक्ष के पद से हटाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
११ अगस्त, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३१ पर)

१—चालान किये गये व्यक्तियों के नाम व पते

१—कामता सिंह पुत्र राम गोपाल सिंह, नि० ग्राम गौरी, थाना पैलानी, जिला बांदा।
२—राम कृपाल सिंह पुत्र बड़कू सिंह, नि० ग्राम गौरी, थाना पैलानी, जिला बांदा।
३—रामपती सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, सा० पचनेही, थाना कोतवाली, जिला बांदा।
४—परशुराम सिंह, निवासी लुकटरा, थाना पैलानी, जिला बांदा।

२—जमानत पर छोड़े गये व्यक्तियों के नाम व पते

१—कामता सिंह पुत्र राम गोपाल सिंह, नि० ग्राम गौरी, थाना पैलानी, जिला बांदा।
२—राम कृपाल सिंह पुत्र बड़कू सिंह, नि० ग्राम गौरी, थाना पैलमनी, जिला बांदा।

विधान परिषद

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १०७ एल०—१९६६—८४६।